<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–25/2014 (100/10)

1– अमरसिंह पुत्र गणेशीलाल **.....(मृतक)** | जातियान ब्राह्मण निवासीयान भुसावर
1/1 श्रीमती ऊगन्तीदेवी बेवा अमरसिंह | तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र अमरसिंह
1/3 अविनाश पुत्र अमरसिंह
1/4 गोविन्द माधव पुत्र अमरसिह
1/5 कु0 सुप्रया पुत्री अमरसिंह पत्नी चतुर्भुज जाति ब्राह्मण निवासी गादौली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2– धर्मचन्द पुत्र गणेशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

––––– वादीगण

बनाम

1– धनसिंह पुत्र राजपाल जाति माली निवासी नया वास मौहल्ला भुसावर जिला भरतपुर।

––––– असल प्रतिवादी

2– राममूर्ति पुत्र कैलाबक्स | जातियान ब्राह्मण निवासी कस्बा भुसावर जिला भरतपुर
3– बाबूलाल पुत्र कैलाबक्स | (राज0)

––––– तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी व मैन्डेटरी इन्जक्शन वसिलसिले गैर मुमकिन रास्ता आम ख0न0 1884 वाके भुसावर</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री ओमप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2–श्री बृजकिशोर धाकड़, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–13–02–2017</u>**

1– वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी व मैन्डेटरी इन्जक्शन वसिलसिले गैर मुमकिन रास्ता आम ख0न0 1884 दिनांक 28–08–2010 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांक 20–07–2013 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वाद–पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1884 गैरमुमकिन रास्ता आम वाके कस्बा भुसावर आबादी क्षेत्र वार्ड नम्बर–13 में स्थित है। यह रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क कस्बा भुसावर में हिण्डौन वाली सड़क से लेकर नयावास होकर कुण्डा रोड़ के लिए नया गॉव दयापुर रणधीरगढ़ के लिए व पहाडिया रोड तक जा रहा है। इस खसरा नम्बर 1884 से लगी हुई वार्ड संख्या–13 की पुरानी आबादी लगी हुई है। पुलिस उप अधीक्षक व उपतहसील कार्यालय भी लगा हुआ है जो पहाडिया परिसर में बने हुए हैं। इसी गैरमुमकिन रास्ते खसरा नम्बर 1884 से लगी हुई वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की गैर मुमकिन भूमि खसरा नम्बर 3747/1883 रकवा 1 बीघा लगा हुआ है। जिसमें रास्ता आम से लगा हुआ वादीगण का हिस्सा है व वादीगण से लगा हुआ निस्फ हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण का है। दावा प्रस्तुत किये जाने से लगभग 15–16 साल पूर्व पुलिस अधीक्षक की बिल्डिंग पहाडिया जी के परिसर में बनकर तैयार हुई थी। जिसमें 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यालय कार्यरत है। इसी सार्वजनिक रास्ते से लगी हुई सब तहसील भुसावर का कार्यालय बना हुआ है, जिसके लिए कई सड़के इस स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है जो इस सार्वजनिक रास्ते से लगी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के दक्षिण दिशा की सड़क जो इस वाद–पत्र की मुतनाजा जमीन से लगी हुई 35–40 फीट चौडी डाबर व सीमेन्ट की सड़क बनी हुई है। डामर वाली सड़क सन् 1972 से बनी हुई है। कस्बा की आबादी बैठने व इस स्थान पर कार्यालयों के बनने से प्रतिवादरी असल की नियत में बद्यान्ति आ गई है। प्रतिवादी असल ने सार्वजनिक रास्ता आम जो पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने सड़क के तरफ दक्षिण दिशा में 16 फीट पक्की सड़क से लगी हुई 19 फीट तरफ पश्चिम 13 फीट पूर्व व तरफ उत्तर 19 फीट रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 की भूमि पर लकड़ी का खोखा रखकर व छप्पर पोश डालकर नाजायज कब्जा सर्वप्रथम माह जनवरी 2005 में कर लिया, जिसको हटवाने के लिए वादीगण ने कार्यालय जिलाधीश व उपखण्ड अधिकारी वैर सतर्कता में प्रार्थना–पत्र पेश किया। उपखण्ड अधिकारी वैर ने जॉच कर प्रतिवादी असल के नाजायज कब्जे को हटवाने के आदेश नगरपालिका भुसावर को दिये। नगरपालिका भुसावर प्रतिवादी द्वारा किये गये नाजायज कब्जा को हटवाये। इससे पूर्व ही प्रतिवादी धनसिंह ने नगरपालिका के विरूद्ध दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 26–07–2007 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश वैर में मुकदमा नम्बर 38/2007 धनसिंह बनाम नगरपालिका भुसावर पेश किया, जिसके साथ विविध दीवानी प्रकरण भी पेश किया। प्रतिवादी के प्रार्थना–पत्र को अदालत ने दिनांक 04–10–2007 को अस्वीकार किया। उसके बाद नगरपालिका भुसावर ने पुलिस व राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में व प्रतिवादी द्वारा सार्वजनिक रास्ते में किये गये अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण को दिनांक 27–03–2008 को हटवा दिया व मौके से हटाकर सामान थडी लकडी की व बल्ली व गड्डू पटिटयों को जब्त कर नगरपालिका के गोदाम में रखवा दिया। इस नाजायज कब्जे को नगरपालिका द्वारा हटाये जाने के बाद प्रतिवादी ने मुकदमा नम्बर 38/2007 को दिनांक 07–08–2008 को स्वयं ही खारिज करवा लिया। माह दिसम्बर 2010 में पुनः नगरपालिका के चुनाव होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों का व राजनैतिक कमजोरियों का फायदा लेते हुए पुनः

उसी स्थान पर प्रतिवादी ने दिनांक 05–08–2010 को 9 पत्थर के गड्डुओं पर छप्पर डालकर व लकडी का खोखा रखकर तरफ उत्तर 19 फुट, तरफ दक्षिण 16 फुट, वादीगण की जमीन की तरफ पूर्व 13 फुट तरफ पश्चिम 19 फुट सरकारी रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। यह अतिक्रमण वादीगण की गैर मुमकिन भूमि खसरा नम्बर 3747/1883 से लगी हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी धनसिंह से वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन के सामने कब्जा करने व गड्डू गाढकर छप्पर डालने की मना किया तो प्रतिवादी धनसिंह ने कहा कि अब इस स्थान पर पक्का निर्माण करके रहेगा। यदि प्रतिवादी असल धनसिंह अपनी उपरोक्त मद संख्या–4 में वर्णित धमकी में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से नहीं हो सकेगी। अन्त में वादकारण दिनांक 05–08–2010 को पैदा होना बताते हुए वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः–

(अ) यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादी असल द्वारा नक्शा पेशकर्दा वादीगण भूमि सरकारी रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 का भाग है, जिस पर प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार कब्जा करने व निर्माण करने का नहीं है।

(ब) प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वह नक्शा वादी में दर्शित पीले रंग में किसी किस्म का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे।

(स) प्रतिवादी असल द्वारा दिनांक 05–08–2010 को नाजायज कब्जा कर गडड् गाढकर व छप्पर डालकर व लकडी की थडी वगैरा रखकर किये गये कब्जे को प्रतिवादी के खर्चे से हटवाया जावे।

3– प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने जवाबदावे में वादीगण के वाद–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 1884 व खसरा नम्बर 3747/1883 के मध्य आराजी खसरा नम्बर 1882 स्थित है जो सरकारी गैर मुककिन आबादी का रकबा है जिससे वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। वादीगण अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर की आड़ में उक्त गैरमुमकिन आबादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण का यह कथन गलत है कि प्रतिवादी असल ने सार्वजनिक रास्ता आम जो पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के पास सड़क के तरफ दक्षिण दिशा में 16 फीट पक्की सड़क से लगी हुई 19 फीट तरफ पश्चिम 13 फीट तरफ पूर्व व तरफ उत्तर 19 फीट रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 की भूमि पर लकडी को खोखा रखकर छप्पर पोश डालकर नाजायज कब्जा सर्वप्रथम माह जनवरी 2005 में कर लिया हो। आराजी खसरा नम्बर 1884 के तरफ दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 1882 स्थित है जो सरकारी गैर मुमकिन आबादी की भूमि है जिस पर वादी का खोखा व छप्पर पोश सड़क निर्माण सन् 1972 से पूर्व का डला हुआ है, जिसके नियमन हेतु सरकारी की नीति के आधार पर प्रतिवादी ने नियमन की कार्यवाही हेतु नगरपालिका भुसावर व राज. सरकार में कार्यवाही

कर रखी है जो पैण्डिंग है। प्रतिवादी ने आराजी खसरा नम्बर 1884 के किसी भी भू–भाग पर कोई कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादी का कब्जा व खोखा आराजी खसरा

.....4

नम्बर 1882 में है ना कि 1884 में जो गैरमुमकिन आबादी का रकबा है और नियमन होने योग्य है, जिसकी नियमन की कार्यवाही नियमानुसार नगरपालिका भुसावर व सरकार में पैण्डिंग है। जब प्रतिवादी ने वादीगण को कोई धमकी ही नहीं दी तो उन्हें किसी प्रकार की अपरमित क्षति होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ना ही वादीगण प्रतिवादी को किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। अपने विशेष विवरण में आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1882 की भूमि सरकारी गैरमुमकिन आबादी की भूमि है जिसमें कस्बा भुसावर की कच्ची बस्ती बसी हुई है जो बस्ती नयावास के नाम से मशहूर है। प्रतिवादी धनसिंह काफी लम्बे समय से उक्त आराजी खसरा नम्बर 1882 में जो रास्ते आम के खसरा नम्बर 1884 के तरफ दक्षिण में स्थित है, में लकडी का खोखा व छप्पर पोश डाल कर चाय की दुकान का कार्य करता है। अन्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– तरतीवी प्रतिवादी संख्या–2 व 3 ने अपना पृथक जबावदावा पेश कर वादीगण के कथनो का समर्थन करते हुए बताया है कि खसरा नम्बर 1883 का अभी तक बॅटवारा ही नहीं हुआ है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार सह काश्तकार प्रत्येक इंच पर काबिज रहता है। उक्त कब्जा वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी की संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 3747/1883 के सामने किया गया है। प्रतिवादी द्वारा किये गये उक्त नाजायज कब्जे से वादीगण को अपरमित क्षति नहीं होगी बल्कि उक्त नाजायज कब्जे से तरतीवी प्रतिवादीगण भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि खसरा नम्बर 3747/1883 पर तरतीवी प्रतिवादी भी सह काश्तकार हैं तथा अभी आराजी का विभाजन भी नहीं हुआ है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रतिवादी असल के उक्त नाजायज कब्जे से वादीगण के साथ तरतीवी प्रतिवादीगण भी प्रभावित है, इसलिए न्यायहित में उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने का निवेदन किया है।

5– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 08–01–2016 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादीगण यह घोषित करवा पाने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी असल द्वारा नक्शा पेशकर्दा वादीगण भूमि सरकारी रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 का भाग है, जिस पर प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार कब्जा करने व निर्माण करने का नहीं है?
————वादीगण

2– आया वादीगण प्रतिवादी संख्या–1 को इस आशय की जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी

से पाबन्द कराये जाने के अधिकारी हैं कि वह नक्शा वादी में दर्शित पीले रंग में किसी किस्म का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें?

————वादीगण

3— आया वादीगण प्रतिवादी असल द्वारा दिनांक 05—08—2010 को नाजायज कब्जा कर

...5

गड्डू गाढ़कर व छप्पर डालकर व लकड़ी की थड़ी वगैरा रखकर किये गये कब्जे को जरिये आज्ञापक आदेश प्रतिवादी के खर्चे पर हटवाये जाने के अधिकारी हैं?

————वादीगण

4— आया वादीगण ने आदेश 1 नियम 8 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की पालना नहीं की है, जिससे वादीगण का वाद काबिले खारिजी है?

5— अनुतोष?

6— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू—1 धर्मचन्द (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू—2 जगदीश प्रसाद, पी डब्ल्यू—3 रत्तीराम वैरवा, तथा पी डब्ल्यू—4 हेमेन्द्र सिंह धाकड़ के बयान शपथ—पत्र पर लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श—1, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श—2 व प्रदर्श—3, नगरपालिका मुकदमे की फैसले की नकल प्रदर्श—4, वाद—पत्र में प्रस्तुत शपथ—पत्र की नकल प्रदर्श—5, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श—6, नगरपालिका द्वारा पेश जबावदावा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—7, नगरपालिका के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र की प्रति प्रदर्श—8, जबाव प्रार्थना—पत्र की प्रति प्रदर्श—9, टीआई फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श—10, एसडीओ वैर से थानाधिकारी भुसावर के लिए जारी की गई प्रति प्रदर्श—11, नकल पालिका भुसावर द्वारा सामान जब्ती की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—12 को प्रदर्शित करवाया गया।

7— प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

8— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

9— इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण का इस सम्बन्ध में यह कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि जो प्रदर्श—1 नक्शा में पीले रंग से दर्शित

की गई है, वह सरकारी रास्ता आम खसरा नम्बर 1884 का भाग है, जिसके दक्षिण में वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की गैरमुमकिन भूमि खसरा नम्बर 1883 रकबा एक बीघा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी असल द्वारा नाजायज कब्जा कर रखा है, , जिसको पहले भी नगरपालिका व राजस्व अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से हटाया गया है।

10— दूसरी ओर प्रतिवादी का अपने जबाव में यह अभिवचन रहा है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1884 व खसरा नम्बर 1883 के मध्य आराजी खसरा नम्बर 1882 में स्थित है जो सरकारी गैर मुमकिन आबादी का रकबा है व प्रतिवादी की ओर से यह भी कहा गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1884 के तरफ दक्षिण में आराजी खसरा नम्बर 1882

...6

स्थित है, जो सरकारी गैरमुमकिन आबादी की भूमि है, जिस पर उसका खोखा व छप्पर पोश सड़क निर्माण 1972 से पूर्व का डला हुआ है, जिसके नियमन हेतु प्रतिवादी द्वारा नगरपालिका भुसावर व राजस्थान सरकार में कार्यवाही कर रखी है जो लम्बित है।

11— इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से विवादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे से इन्कार नहीं किया गया है। जहॉ वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1884 गैरमुमकिन रास्ता में स्थित बताया गया है, वहीं प्रतिवादी द्वारा उसे खसरा नम्बर 1884 व वादी के खसरा नम्बर 1883 के मध्य में खसरा नम्बर 1882 गैरमुमकिन आबादी में स्थित होना बताया है व जिस पर अपना कब्जा प्रतिवादी की ओर से लगभग 40 वर्षों से क्लेम किया गया है।

12— इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि खसरा नम्बर 1884 गैरमुमकिन रास्ता का रकबा है व इस तथ्य में भी कोई विवाद नहीं है कि खसरा नम्बर 1883 वादीगण की खातेदारी का है। जैसा कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी की नकलें प्रदर्श—2 व प्रदर्श—3 से स्पष्ट है।

13— वादी की ओर से प्रतिवादी द्वारा नगरपालिका भुसावर के विरूद्ध इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में सन् 2007 में प्रस्तुत वाद—पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श—5 प्रस्तुत की गई है व इसके साथ प्रदर्श—6 वाद—पत्र के साथ नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में विवादग्रस्त भूमि व वर्तमान वाद में विवादग्रस्त भूमि दोनों वाद—पत्र के अवलोकन से एक ही होना स्पष्ट होता है। हालांकि उक्त प्रदर्श—5 वाद—पत्र में प्रतिवादी की ओर से वादग्रस्त भूमि को खसरा नम्बर 1884 वाके भुसावर में स्थित होना बताया है व उक्त वाद—पत्र में कहीं भी कोई भी अभिवचन वर्तमान प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार का नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1882 का भाग हो। प्रतिवादी स्वयं अपने कथनों से बिबन्धित है व अब वह एक नया स्टेण्ड नहीं ले सकता कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1882 का हिस्सा हो।

14— यह भी स्वीकृत है कि जिस नियमन की बात प्रतिवादी द्वारा की गई है, ऐसी

कोई नियमन की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रतिवादी का कब्जा विधिक हो, यह किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता है।

15— दूसरी ओर स्वयं प्रतिवादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत वाद—पत्र व न्यायालय में की गई कार्यवाहियों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1884 गैरमुमकिन रास्ता का हिस्सा माना है। कमिश्नर रिपोर्ट प्रकरण में न्यायालय द्वारा तलब की गई है, जिसके अनुरूप भी मौके पर स्थाई रूप से छप्पर पोश व खोखे का ही निर्माण होना बताया गया है, जिसको कोई अस्थाई प्रकृति का निर्माण या कब्जा नहीं कहा जा सकता है। जहॉ प्रतिवादी का स्वीकृत कथन प्रदर्श—5 दस्तावेज के रूप में

....7

रिकार्ड पर उपलब्ध है, वहॉ प्रतिवादी के इस अभिवचन पर विचार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1882 का भाग हो। अतः यह सम्भावनाओं की प्रबलता से परे प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1884 गैरमुमकिन रास्ता का भाग है, जिस पर प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार कब्जा करने व निर्माण करने का नहीं है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या—2 व 3

16— उक्त दोनों ही विवाद्यक एक दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण इन दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन दोनों ही विवाद्यकों को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। विवाद्यक संख्या—1 के विवेचन में यह विनिश्चित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जिस पर प्रतिवादी द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया है, वह गैरमुमकिन रास्ता का हिस्सा है, जिस पर प्रतिवादी को कोई वैधानिक अधिकार कब्जा या निर्माण करने का नहीं है। अपने कब्जे को स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा दोनों ही अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः ये दोनों ही विवाद्यक वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या—4

17— यह विवाद्यक प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावे में ली गई आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है। स्वीकृत रूप से वाद आदेश 1 नियम 8 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश के अनुरूप वादी द्वारा दिनांक 27—11—2010 की आदेशिका के अनुरूप अखबार साया

कराया जा चुका है। अतः प्रतिवादी की यह आपत्ति कोई बल नहीं रखती है। अतः विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित की जाती है।

अनुतोष

18— चूँकि विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

— :: आदेश :: —

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी व आज्ञापक निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता हैः—

(1) प्रतिवादी संख्या—1 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जाता है कि वह नक्शा वादी में दर्शित पीले रंग की जायदाद में किसी किस्म का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें।

(2) प्रतिवादी संख्या—1 को जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह

...8

वादग्रस्त पीले रंग की जायदाद में अपने कब्जे को दो माह के अन्दर हटाले। प्रतिवादी के उक्त अवधि में ऐसा करने से विफल रहने पर वादीगण प्रतिवादी के खर्चे पर उक्त कब्जा स्वयं हटाने के अधिकारी होंगे।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

डिक्री पर्चा उक्तानुसार बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 13—02—2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–23/2016 (11/06)

शिवदयाल पुत्र करनसिंह जाति धाकड निवासी मौहल्ला खिडकी दरवाजा कस्बा वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

रामबाबू उर्फ नत्थी पुत्र फूलसिंह उर्फ सकोरी जाति धाकड निवासी ग्राम बीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

————प्रतिवादी

<u>वाद बावत दिलाये जाने 22,500/—रूपये</u>
<u>ट्रक ड्राईवरी</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1—श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2—श्री बल्देव प्रसाद शर्मा, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादी की ओर से।

<u>—:: निर्णय ::—</u> **<u>दिनांकः—18—02—2017</u>**

1— वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् दिलाये जाने 22,500/—रूपये ट्रक ड्राईवरी दिनांक 30—11—2006 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक 195 दिनांक 31—05—2016 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ट्रक ड्राईवर है और प्रतिवादी ट्रक नम्बर आरजे—05—जी—0409 का मालिक है। वादी ने प्रतिवादी के वाहन संख्या आरजे—05—जी—0409 पर चालक के रूप में दिनांक 01—01—98 से 05—09—98 तक 3000/—रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कार्य किया जिसका वेतन 8 महीने व 5 दिन का 24,500/—रूपये होता है। इस वेतन में प्रतिवादी ने 500/— रूपये व 1500 रूपये कुल 2000 रूपये की अदायगी की थी। शेष राशि 22,500/—रूपये प्रतिवादी के जिम्मे वादी के बकाया हैं। प्रतिवादी दिनांक 31—12—97 को कस्बा वैर में

...2

वादी के मकान पर अपने ट्रक ड्राईवर नियुक्त किए जाने हेतु आया और उसके साथ धर्मसिंह धाकड भी आये थे व उस समय वादी के मकान पर सुरेशचन्द धाकड वैर भी मौजूद थे। इन सभी के सामने यह तय हुआ कि प्रतिवादी वादी को ड्राईवरी के वेतन बतौर 3000/—रूपये प्रतिमाह अदा करेगा। इसके अलावा ड्राईवर का खाना व अन्य खर्चा अलग से देय होगा। इस पर वादी ने दिनांक 01—01—98 से प्रतिवादी के ट्रक पर ड्राईवर का कार्य शुरू कर दिया। प्रतिवादी ने दिनांक 01—01—98 को वादी को ट्रक का

हिसाब–किताब रखने के लिए डुप्लीकेट बुक दे रखी थी जिस पर वादी आय व व्यय का हिसाब प्रत्येक चक्कर के अनुसार रखता था। चक्कर पूर्ण होने पर हिसाब की असल प्रति प्रतिवादी को दी जाती थी। असल प्रति (प्रथम प्रति) प्रतिवादी के पास है एवं कार्बन पेपर द्वारा तैयार द्वितीय प्रति वादी के पास है। प्रतिवादी वादी की जाति विरादरी का है। प्रतिवादी ने वादी को यह कहा था कि प्रतिवादी ने नया कारोबार शुरू किया है। इकठ्ठा हिसाब कर देगा। वादी के परिवार का अन्य भाईयों के साथ संयुक्त परिवार है, इसलिए परिवार का निर्वाह हो जाता था तथा खाना खुराक खर्चा ट्रक पर जो होता था वह तय किये गये अनुसार मिल जाता था, इसलिए भाई चारे की वजह से वादी ने प्रतिमाह वेतन नहीं लिया। बाद में प्रतिवादी वेतन देने का आश्वासन देता रहा, लेकिन 22,500/–रूपये की राशि बतौर वेतन नहीं दिया। प्रतिवादी ने श्रम न्यायालय भरतपुर में कार्य कर रहे वकील श्री गुरू0रन सिंह गिल को अपना वकील नियुक्त किया और उन्होंने दिनांक 02–01–2000 को श्रम न्यायालय भरतपुर में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 33 सी (2) औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रस्तुत कराया। यह प्रार्थना–पत्र अदालत श्रम न्यायालय भरतपुर में दिनांक 20–01–2000 से 10–10–2001 तक चला व दिनांक 10–10–2001 को वादी के प्रतिनिधि श्री गुरूचरन सिंह गिल एडवोकेट ने आवेदन–पत्र की मैन्टेनेबिल बाबत् बहस सुनाकर प्रार्थना–पत्र को नॉट प्रैस में खारिज करा लिया, लेकिन वादी के वकील ने उसे वादी को इस बाबत् कोई सूचना लिखित या मौखिक नहीं की। वादी इस विश्वास में रहा कि उसका आवेदन–पत्र श्रम न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद दिनांक 10–10–2001 को मालुम करने पर पता चला कि उसका प्रार्थना–पत्र खारिज हो गया है। इस प्रकार वादी दिनांक 20–01–2000 से 25–11–2005 तक की अवधि को दावे में मियाद अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत एक्सक्लूड करा पाने का अधिकारी है। श्रम न्यायालय भरतपुर ने दिनांक 10–10–2001 को आवेदन–पत्र पर जो आदेश दिया था उसमें यह भी निर्देशित किया था कि वादी विधिक रूप से उपचार प्राप्ति हेतु स्वतंत्र होगा। अतः यह सिविल मुकद्मा 22,500/–रूपये की वसूली हेतु प्रतिवादी ने दायर किया है। वादी को इस दावे की विनाय मुखास्मत् दिनांक 31–12–97 को प्रतिवादी को वैर आकर वादी को ड्राईवर नियुक्त करने से दिनांक 01–01–98 से 05–09–98 तक विभिज्ञन तिथियो में वाहन पर ट्रक चालक का कार्य करने से व दिनांक 10–10–2001 को श्रम न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त करने से पैदा हुआ है। अन्त में वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः–

(अ) वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध 22,500/–रूपये की डिक्री प्रदान की जावे तथा

...3

उक्त राशि पर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से दिलाया जावे।

(ब) खर्चा मुकमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

3– प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में वादी के वाद–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि वाहन संख्या आरजे–05–जी–0409 के प्रतिवादी के अलावा चार हिस्सेदार धर्मसिंह, राधेश्याम, धर्मसिह पुत्र चिरमोली व हरीसिह और थे। इस प्रकार उक्त ट्रक में पॉच वर्किंग हिस्सेदार थे। जिनमें धर्मसिह, राधेश्याम वादी के बहनोई है, जिन्होंने

ही वादी को अपनी एवज में उक्त वाहन पर ड्राईवर रखा था। वादी को कभी भी प्रतिवादी ने उक्त वाहन पर ड्राईवर नहीं रखा है और ना ही कभी वादी प्रतिवादी के नियोजन में नहीं रहा है। प्रतिवादी कभी भी वादी के गॉव उसे नौकरी ड्राईवर पर रखने के लिए नहीं गया और ना ही वादी को प्रतिवादी ने कभी उक्त ट्रक पर ड्राईवर की नौकरी पर रखा है ना ही वादी की कोई वेतन राशि प्रतिवादी की तरफ निकलती है। वादी द्वारा अपना क्लेम माननीय श्रम न्यायालय में दिनांक 10710–2001 को नोट प्रैस के आधार पर खारिज कराया गया है, जिसकी पूरी जानकारी वादी को दिनांक 10–10–2001 को ही थी। माननीय श्रम न्यायालय भरतपुर में वादी ने क्लेम बल्देव सिंह सन्धु एडवोकेट के मार्फत पेश किया था जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कभी भी सरकारी अधिवक्ता नहीं हुए हैं। जहॉ तक श्री गुरूचरनसिंह गिल एडवोकेट का प्रश्न है, वह सन् 2004 में एएजी बने हैं। इस प्रकार दावा वादी मियाद बाहर है व काबिले खारिजी है। प्रतिवादी गॉव वीरमपुरा तहसील बयाना का रहने वाला है तथा प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के हिस्सेदारान् द्वारा उक्त ट्रक का कारोबार वीरमपुरा बयाना से ही किया है, इसलिए इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार हांसिल नहीं होता है। अपने विशेष विवरण में आगे कथन किया है कि वादी द्वारा वाहन के सभी हिस्सेदारान को फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है, जिनके अभाव में प्रकरण का सही व प्रभावी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक दावा न्यायालय में ही दीगर राशि की बाबत् कर रखा है। यदि वादी का कोई वेतन प्रतिवादी की तरफ बकाया होता तो वादी उसका विवरण उस वाद–पत्र में अवश्य करता। इससे स्पष्ट है कि दावा वादी प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17–11–2009 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी ने प्रतिवादी के वाहन संख्या आरजे–05–जी–0409 पर चालक के रूप में दिनांक 01–01–98 से 05–09–98 तक 3000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कार्य किया जिसका वेतन 8 माह व 5 दिन का 24,500/–रूपये होता है और प्रतिवादी द्वारा 2,000/–रूपये की अदायगी के पश्चात् शेष राशि 22,500/–रूपये प्रतिवादी के जिम्मे वादी के बकाया हैं?

————वादी

...4

2– आया वादी प्रतिवादी से 22,500/–रूपये 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त करने का अधिकारी है?

————वादी

3– आया वादी का वाद मियाद बाहर है?

———प्रतिवादी

4– आया उक्त वाद की सुनवाई के क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को न होकर श्रम न्यायालय को है?

———प्रतिवादी

5— आया वादी ने विवाद कारण की दिनांक अंकित नहीं की है, इस बिनाय पर वाद—पत्र वादी काबिले खारिजी है?

———प्रतिवादी

6— आया वाद—पत्र के वाहन के सभी भागीदारान को फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है, इस बिनाय पर दावा वादी काबिले खारिजी है?

———प्रतिवादी

7— आया वादी प्रतिवादी दस हजार रूपये हर्जा खास प्राप्त करने का अधिकारी है?

———प्रतिवादी

8— अनुतोष?

5— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू—1 शिवदयाल (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू—2 धर्मसिह, पी डब्ल्यू—3 बजरंग लाल के बयान शपथ—पत्र पर लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में आदेशिका दिनांक 10—10—2001 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श—1, डुप्लीकेट बुक प्रदर्श—2 तथा अधिकार—पत्र प्रदर्श—3 व प्रदर्श—4 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— प्रतिवादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू—1 रामबाबू (स्वयं प्रतिवादी) व डी डब्ल्यू—2 धर्मसिह पुत्र चिरमोली के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये गये। कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

8— इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि उसके व प्रतिवादी के मध्य प्रतिवादी के वाहन संख्या आरजे—05—जी—0409 पर चालक के रूप में कार्य करने की संविदा हुई व उस संविदा के तहत 3,000/—रूपये प्रतिमाह के हिसाब से वादी को प्रतिवादी के ट्रक पर ड्राईवर के रूप में नियोजित करना तय किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01—01—98 से दिनांक 05—09—98 तक वादी द्वारा प्रतिवादी के ट्रक पर ड्राईवर के रूप में कार्य किया।

9— दूसरी तरफ प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई संविदा होने से स्पष्ट इन्कार करते

...5

हुए वादी का कभी भी प्रतिवादी के यहॉ उसके ट्रक पर ड्राईवर के रूप में नियोजित रहने के तथ्य से स्पष्ट इन्कार किया है बल्कि यह कहा है कि उक्त ट्रक का वह एकमात्र मालिक नहीं था बल्कि ट्रक के चार हिस्सेदारान और थे। अतः ट्रक में पॉच वर्किंग हिस्सेदार थे, जिनमें धर्मसिंह, राधेश्याम पुत्रान् परभाती वादी के बहनोई हैं जिन्होंने ही वादी को अपनी एवज में ड्राईवर रखा है। वादी को कभी भी प्रतिवादी द्वारा वाहन पर ड्राईवर न रखा है, न ही वादी प्रतिवादी के नियोजन में रहा।

10— वादी की ओर से यह कहा गया है कि प्रतिवादी दिनांक 31—12—97 को वादी के मकान पर ट्रक ड्राईवर नियुक्त किये जाने हेतु आया, उसके साथ धर्मसिह भी आया

था। उस समय वादी के मकान पर सुरेशचन्द धाकड़ मौजूद था। इन सभी के सामने उक्त संविदा दोनों पक्षों के मध्य होना वादी द्वारा कथित किया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा इससे इन्कार किया है कि वादी कभी भी धर्मसिंह को लेकर उसके घर आया हो।

11— इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में पी डब्ल्यू—1 के रूप में स्वयं को परीक्षित करवाया गया है जो अपने मुख्य परीक्षा शपथ—पत्र में अपने वाद—पत्र के कथनों को दोहराता है। प्रतिपरीक्षण में वादी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि धर्मसिंह उसके बहनोई हैं व राधेश्याम धर्मसिंह का भाई है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन हरीमोहन मनमोहन के नाम है। बिक्रीनामा उसके सामने नहीं हुआ। वादी का कथन रहा है कि उसने बकाया वेतन प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी को कोई नोटिस नहीं दिया व वह जाति बिरादरी के लिहाज से कार्य करता रहा। उसके बाद ट्रक बिक गया था जो रामबाबू ने बेचा था, सही से उसे नहीं पता।

12— वादी की ओर से प्रदर्श—2 के रूप में डुप्लीकेट बुक ट्रक के कथित हिसाब—किताब रखने से संबंधित प्रस्तुत की है, जिस पर उसके द्वारा आय व्यय का हिसाब प्रत्येक चक्कर के अनुसार रखा जाना उसके द्वारा बताया गया है व चक्कर पूर्ण होने पर हिसाब की असल प्रति प्रतिवादी को दे दी जाती थी। इस प्रकार असल प्रति प्रतिवादी के पास होना वादी द्वारा बताया गया है एवं कार्बन पेपर द्वारा तैयार द्वितीय प्रति वादी के पास होना बताया गया है। उक्त कार्बन प्रति बुक को वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसी किसी बुक को वादी को देने से इन्कार किया है व कहा है कि जब वादी उसके यहॉ नियोजित ही नहीं था तो ऐसी किसी बुक को वादी को दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्वयं वादी की ओर से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि डुप्लीकेट बुक प्रदर्श—2 पर कहीं भी उसके किसी भी पृष्ठ पर रामबाबू प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है।

13— यह उल्लेखनीय है कि उक्त असल बुक को प्रतिवादी से तलब कराने हेतु प्रार्थना—पत्र वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा शपथ—पत्र पर ऐसी किसी आय व्यय की असल बुक उसके पास होने से स्पष्ट इन्कार करने के कारण न्यायालय द्वारा वादी को उक्त डुप्लीकेट बुक को द्वितीयक साक्ष्य में

...6

ग्रहण करवाने की अनुमति दी गई। हांलाकि केवल साक्ष्य में प्रदर्श कराये जाने मात्र से किसी भी दस्तावेज का साक्ष्य विधि के अनुरूप प्रमाणित होना तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि साक्ष्य विधि के प्रावधानों के अनुसार उक्त दस्तावेज को प्रमाणित न कर दिया जावे। जहॉ लगातार वादी द्वारा असल दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जे में होना बताया है, वहीं ऐसा कोई तथ्य न तो प्रतिवादी की साक्ष्य में स्वीकृति के रूप में आया है कि ऐसी कोई असल बुक प्रतिवादी के कब्जे में हो, न ही वादी अन्य किसी साक्ष्य से इसे प्रमाणित कर पाया है। जो डुप्लीकेट बुक प्रदर्श—2 वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें कहीं भी प्रतिवादी के हस्ताक्षर या प्रतिवादी की लिखावट मौजूद न होने का तथ्य स्वयं वादी मानता है। ऐसी स्थिति में इस दस्तावेज को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि यह पक्षकारों द्वारा वादी के नियोजन के दौरान् प्रतिदिन के आय व्यय के हिसाब

के रूप में तैयार किया गया हो। प्रतिवादी द्वारा वादी को नियोजित किया गया हो, इस सम्बन्ध में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी की नहीं है। वादी 05–09–98 तक प्रतिवादी के यहॉ कार्य करना बताता है व इसके पश्चात् बकाया वेतन देने का आश्वासन दिये जाने का कथन किया गया है, परन्तु वेतन न देने के बावजूद कोई लिखित नोटिस वादी द्वारा जारी न करना स्वयं वादी के मामले को ही संदिग्ध बनाता है। जिस धर्मसिंह को साथ लेकर प्रतिवादी का वादी के यहॉ 31–12–97 को आना बताया गया है, वह धर्मसिंह स्वीकृत रूप से वादी का निकट रिश्तेदार है, जिसको भी वादी द्वारा पी डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी उस दिन दिनांक 31–12–97 को सुरेश धाकड़ के साथ–साथ पूरनसिंह व बजरंग की भी उपस्थिति वादी के घर पर बताता है व शिवदयाल को ड्राईवर रखने की बात सभी के सामने होना बताता है व कोई लिखापढ़ी न होना बताता है। बजरंग को पी डब्ल्यू–3 के रूप में वादी द्वारा परीक्षित करवाया गया है जो ट्रक चलाते हुए वादी को न देखना व तकादा हेतु भी पूरन व सुरेश के साथ स्वयं का वादी के साथ प्रतिवादी के यहॉ जाना बताता है।

14– वादी द्वारा अपने अभिवचन में केवल सुरेश धाकड की ही उपस्थिति वादी के घर पर बताई गई है जब प्रतिवादी धर्मसिंह के साथ दिनांक 31–12–97 को उसके घर आया। हालांकि उक्त सुरेश जो मूल रूप से अपने अभिवचन में वादी द्वारा पक्षकारों के बीच हुई बातचीत के समय मौके पर होना बताया गया है। उक्त सुरेश को वादी की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है, न ही उसे परीक्षित न करवाने का कोई कारण बताया गया है। पी डब्ल्यू–2 धर्मसिंह स्वीकृत रूप से हितबद्ध गवाह है व पी डब्ल्यू–3 बजरंग लाल की उपस्थिति अपने घर पर दिनांक 31–12–97 को स्वयं वादी द्वारा अपने अभिवचन में नहीं बताई गई है। हांलाकि वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ–पत्र में उक्त तथ्य में अभिवृद्धि कर पूरन व बजरंग की भी उपस्थिति अपने घर पर बताई गई है। परन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त् है कि अभिवचन के विपरीत कोई भी साक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती है।

15– वादी द्वारा यह तथ्य उठाया गया है कि हरिमोहन व मनमोहन द्वारा इकरारनामा के माध्यम से प्रतिवादी को विवादित वाहन बेचा जिसको यदि प्रतिवादी प्रस्तुत करता तो यह तथ्य उजागर होता कि प्रतिवादी ही उक्त ट्रक का मालिक है। हांलाकि प्रतिवादी

..7

की ओर से हरिमोहन व मनमोहन से उक्त ट्रक खरीदने की बात स्वीकार की गई है, परन्तु सभी हिस्सेदारों द्वारा ही उक्त ट्रक खरीदने की बात कही गयी है। यदि यह तथ्य मान भी लिया जावे कि उक्त ट्रक केवल रामबाबू के ही मालिकाना हक में था तब भी इससे वादी व प्रतिवादी के मध्य ट्रक चलाने की संविदा होने व वादी का प्रतिवादी के यहॉ ट्रक ड्राईवर के रूप में दिनांक 01–01–98 से 05–09–98 तक नियोजित रहने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

16– वादी व प्रतिवादी के मध्य हुई संविदा के सम्बन्ध में वादी न तो कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पाया है, न ही वादी की प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य इस तथ्य को सम्भावनाओं की प्रबलता से परे प्रमाणित करती है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य वादी को प्रतिवादी के ट्रक पर ड्राईवर के रूप में रखने की संविदा हुई, न ही यह

प्रमाणित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के ट्रक पर ड्राईवर के रूप में दिनांक 01–01–98 से 05–09–98 तक कार्य किया। अतः वादी प्रतिवादी से कोई राशि वेतन स्वरूप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

17– यह विवाद्यक वादी के वाद–पत्र की परिसीमा के प्रावधानों के तहत पोषणीयता सम्बन्धी आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है। स्वीकृत रूप से वादी का कथित नियोजन दिनांक 05–09–98 तक होना बताया गया है व यह वाद वादी द्वारा दिनांक 30–01–2006 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा यह कहा गया है कि उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 20–01–2000 को श्रम न्यायालय भरतपुर में इस सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो वादी के प्रतिनिधि श्री गुरूचरन सिंह गिल एडवोकेट द्वारा आवेदन–पत्र की मैन्टेनबिलिटी बाबत् बहस सुनाकर नौट प्रैस में खारिज करा लिया। उक्त मामला श्रम न्यायालय में दिनांक 20–01–2000 से 10–10–2001 तक विचाराधीन रहा। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रदर्श–1, प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श–4 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे उक्त तथ्य प्रमाणित होता है कि समान वादकारण के रूप में वादी द्वारा श्रम न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध सिविल कार्यवाही की गई है।

18– वादी द्वारा यह कहा गया है कि उक्त आवेदन खारिज होने पर वादी के अधिवक्ता द्वारा उसे इस बाबत् कोई सूचना नहीं दी व वादी जब भरतपुर दिनांक 25–11–2005 को न्यायालय में जॉच करने आया तब उसे इस बारे में पता चला व उसके द्वारा उक्त आदेश की नकल ली गई जो नकल दिनांक 25–11–2005 को उसके द्वारा प्राप्त की गई। अतः वादी द्वारा दिनांक 20–01–2000 से दिनांक 25–11–2005 तक की अवधि को धारा–14 के अन्तर्गत अपवर्जित करा पाने का अधिकारी अपने आप

....8

को होना बताया है। अपने तर्कों के समर्थन में वादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त् पेश कियेः–

1– 2009 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 1669 (एससी)
2– एआईआर 1985 एससी पेज 1669
3– आरएलडब्ल्यू 2005 (2) राज0 पेज 1159
5– आरएलआर 2001 (2) पेज 190

19– दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य से इन्कार किया है कि वादी को उक्त श्रम न्यायालय के आदेश की जानकारी न रही हो।

20– प्रदर्श–1 श्रम न्यायालय की आदेशिका वादी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त आवेदन नौट प्रैस में खारिज किया गया है, जिसकी आदेशिका पर स्पष्ट रूप

से वादी की ओर से उसके प्रतिनिधि/अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं, जिनके द्वारा उक्त आवेदन को नौट प्रैस किया गया है। कोई भी अधिवक्ता या प्रतिनिधि अपने क्लाइन्ट के निर्देश पर ही न्यायालय या अधिकरण में कोई कार्यवाही करता है व यदि अधिवक्ता व प्रतिनिधि द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो पक्षकार उक्त कार्यवाही से यह कहकर नहीं बच सकते कि उक्त कार्यवाही की उसे कोई जानकारी नहीं रही हो।

21— वादी की ओर से धारा—14 परिसीमा अधिनियम का अवलम्ब लिया है। यह सही है कि प्रदर्श—3 व प्रदर्श—4 आवेदन को दृष्टिगत रखने से यह प्रकट होता है कि उक्त कार्यवाही वर्तमान वाद के समान ही वादकारण के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध वादी द्व ारा श्रम न्यायालय में की गई, जिसको वादी द्वारा पश्चात्वर्ती अवस्था में नौट प्रैस किया गया व न्यायालय द्वारा वादी को विधिक उपचार प्राप्ति हेतु स्वतंत्र होना बताया। वादी की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में इस प्रकार की सद्भावपूर्ण समान वाद कारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों में लगे समय को परिसीमा की गणना करते समय अपवर्जित होना माना है। मैं उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से पूर्णतः सहमत हूँ, परन्तु वर्तमान मामले में यदि उक्त श्रम न्यायालय में वादी द्वारा की गई कार्यवाही में लगे समय को धारा—14 के अन्तर्गत अपवर्जित कर भी दिया जावे तब भी दिनांक 10—10—2001 के पश्चात् पुनः परिसीमा दौडना चालू होती है व वादी दिनांक 25—11—2005 को आदेश की नकल लेने के आधार पर उक्त दिनांक 10—10—2001 की जानकारी होने के तथ्य से नहीं बच सकता है। जबकि स्वयं वादी द्वारा जारी अधिकार—पत्र प्रदर्श—4 जो गुरूचरनसिंह गिल को अपना प्रतिनिधि बनाते हुए वादी द्वारा श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट रूप से प्रदर्श—1 आदेशिका पर वादी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं, जिसको उन्होंने नौट प्रैस किया है। अतः दिनांक 10—10—2001 के पश्चात् की अवधि का वादी अपवर्जन करा पाने का अधिकारी नहीं है।

22— वादी द्वारा दिनांक 05—09—98 तक अपना नियोजन समाप्त होने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा वेतन देने का आश्वासन दिया जाना कहा है, लेकिन राशि उसे नहीं दिया जाना कहा है। स्वीकृत रूप से वादी के क्लेम को मानते हुए कोई अभिस्वीकृति प्रतिवादी

....9

द्वारा दी गई हो जिससे वादी के क्लेम की परिसीमा पुनः शुरू हो, ऐसा वादी का मामला नहीं है। अतः दिनांक 20—01—2000 से दिनांक 10—10—2001 तक श्रम न्यायालय में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में भी धारा—14 परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिसीमा का अपवर्जन किया जावे तब भी वादी का दिनांक 30—01—2006 को प्रस्तुत यह वाद परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है व स्पष्ट रूप से वादी का वाद परिसीमा से बाहर है जो इसी आधार पर धारा—3 परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत खारिज किये जाने योग्य है। उक्त समस्त विवेचना से यह विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या—4,5,6 व 7</u>

23— ये विवाद्यक प्रतिवादी द्वारा जबावदावे में ली गई आपत्तियों से संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वादी के वादकारण के सम्बन्ध में बाधित नहीं

है। इसके अलावा विवाद्यक संख्या–1 व 3 के विनिश्चिय को देखते हुए इन विवाद्यकों के सम्बन्ध में और कोई विवेचना किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः यह विवाद्यक उक्तानुसार विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या–2

24– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी व प्रतिवादी के मध्य हुई संविदा को विवाद्यक संख्या–1 के विवेचन में प्रमाणित नहीं माना गया है, न ही यह प्रमाणित पाया गया है कि वादी प्रतिवादी के यहॉ ट्रक ड्राईवर के रूप में किसी भी अवधि में नियोजित रहा हो। अतः न तो वादी प्रतिवादी से कोई बकाया वेतन की राशि, न ही उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

25– चूँकि विवाद्यक संख्या–1 व 2 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या–3 प्रतिवादी के पक्ष में विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् दिलाये जाने वेतन ट्रक ड्राईवरी रूपये

...10

22,500/– अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।
तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 18–02–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0 ।

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–12 / 2014

ओमवती पत्नी महेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा भुसावर जिला–भरतपुर।

———— वादिया

बनाम

1– सहायक अभियन्ता ज.वि.वि.नि.लि. वैर जिला भरतपुर, राज0।
2– कनिष्ठ अभियन्ता ज.वि.वि.नि.लि. भुसावर जिला भरतपुर, राज0।

3– अधीक्षण अभियन्ता ज.वि.वि.नि.लि. भरतपुर।
4– चेयरमैन ज.वि.वि.नि.लि. जयपुर, राज0।

———— प्रतिवादीगण

वाद बावत दिलाये जाने क्षतिपूर्ति राशि 45,000/–रूपये

उपस्थितः–

1–श्री चन्द्रशेखर तिवारी, विद्वान अभिभाषक, वादिया की ओर से ।
2–श्री गोपाल राम शर्मा, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–15–02–2017**

1– वादिया की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् दिलाये जाने प्रतिकर राशि 45,000/–रूपये दिनांक 23–08–2013 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वाद–पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17–06–2013 को वादिनी की भैंस जो दूसरा ब्याई थी तथा 12 किलो दूध देती थी जिसको वादिनी अपने घर से खेत दयापुर वाले कुआ पर चराने ले गई थी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विद्युत लाईनों की ठीक ढंग से देखरेख व मरम्मत नहीं की जिससे खम्बे की झौंक (तार) में विद्युत प्रवाह हो जाने के कारण वादिनी की भैंस चिपक कर मर गई। प्रतिवादीगण विद्युत सप्लाई का निगम है जो कि विद्युत सप्लाई के उपकरणों व बिजली कनैक्शनों व खम्बों के बीच तार एवं उनमें होने वाली विद्युत प्रवाह करें सही रूप से वितरण करने एवं रख रखाव का उत्तरदायी है, क्योंकि विद्युत के उपकरणों में प्रवाहित होने वाले करन्ट का सही प्रकार से मेन्टीनेंस प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया जाता है जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा विद्युत लाईनों के तारों के रखरखाव व उनके टूटने व खम्बे की झौंक (तार) में करन्ट आने के बावजूद भी उसे सही नहीं किया जिससे वादिनी की भैंस प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही व अर्कमण्यता के कारण खम्बे की झौंक में करन्ट होने से भैंस की मृत्यु हो गई। वादिनी द्वारा मौखिक रूप से प्रतिवादीगण को खम्बे की झौंक (तार) में करन्ट आने बाबत् कहा फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादिनी ने इस सम्बन्ध में घटना के सम्बन्ध में पुलिस थाना भुसावर में दिनांक

.....2

17–06–2013 को रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस थाना भुसावर ने रपट डालकर रपट संख्या एसपीएल–बीएसआर 1 डालकर मामले को अकस्मात् एक्सीडेन्ट का होना पाया तथा भैंस का पोस्टमार्टम करा दिया। उक्त भैंस की बाजारू कीमत 45000/–रूपये थी। उक्त कीमत को चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया है। अतः उक्त राशि को वादिनी प्रतिवादीगण से मय ब्याज 12 प्रतिशत की दर से प्राप्त करने की अधिकारी है। अन्त में वादकारण 17–06–2013 को पैदा होना बताते हुए वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादिनी का वाद

विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः—

(अ) वादिनी को दिनांक 17—06—2013 को हुई दुर्घटना में उसकी भैंस की मृत्यु की प्रतिकर राशि 45000/—रूपये प्रतिवादीगण से दिलाई जावे व उक्त राशि पर दुर्घटना तिथि से वा अदायगी तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाया जावे।

3— प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वादिनी के वाद—पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 17—06—2013 को दयापुर वाले कुआ के पास लगे पोल में अचानक विद्युत प्रवाह के कारण उसके पास से गुजरने से भैंस चिपट गई जिससे भैंस की मृत्यु हो गई। यह विद्युत प्रवाह अचानक एलटी लाईन इन्सुलेटर आपस में तार भिड़कर चटक गया और पोल में लगी स्टे वायर में करन्ट आ गया, जिससे दुर्घटना हुई है। विभाग की इस कृत्य में कोई गलती नहीं है, जिसके कारण वादिनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अन्त में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4— दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20—03—2015 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः—

1— आया दिनांक 17—06—2013 को प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता से विद्युत लाईन में विद्युत प्रवाह होने के कारण वादिनी की भैंस की मृत्यु हुई है?

————वादिनी

2— आया वादिनी प्रतिवादीगण की उपेक्षा से वादिनी की भैंस की मृत्यु हुई, इसलिए वादी प्रतिवादीगण से बतौर क्षतिपूर्ति राशि 45,000/—रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है?

————वादिनी

3— आया वादिनी का वा बेरून म्याद होने के कारण दावा काबिले खारिजी है?

———प्रतिवादीगण

4— अनुतोष?

5— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू—1 ओमवती (स्वयं वादिया), पी डब्ल्यू—2 प्रतापसिंह, पी डब्ल्यू—3 सुग्रीब तथा पी डब्ल्यू—4 डाक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता के सशपथ बयान करवाये गये हैं तथा दस्तावेजी

..3

साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—1, जॉच अधिकारी पुलिस थाना भुसावर प्रदर्श—2, पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमाण—पत्र प्रदर्श—3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने बाबत् पत्र प्रदर्श—4, पंचनामा प्रदर्श—5, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—6 व नक्शा मौका प्रदर्श—7 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू—1 मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

विवाद्यक संख्या—1

8— इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादिया पर था। वादिया का इस सम्बन्ध में यह कथन रहा है कि दिनांक 17—06—2013 को वादिया जब अपने घर से दयापुर वाले कुआ के खेत पर भैंस को चराने ले गई थी, तो खम्भे की झौंक में विद्युत प्रवाह हो जाने के कारण वादिया की भैंस उससे चिपककर मर गई। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से वादिया की भैंस के विद्युत प्रवाह करन्ट से मरने के तथ्य से अपने जबाव में इन्कार नहीं किया गया है। वरन यह कहा गया है कि यह विद्युत प्रवाह अचानक एलटी लाईन इन्सूलेटर आपस में तार भिडकर चटक गया और पोल में लगी स्टे वायर में करन्ट आ गया, जिससे उक्त दुर्घटना हुई।

9— वादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं को पी डब्ल्यू—1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जो अपने मुख्य परीक्षा शपथ—पत्र में अपने अभिवचनों को दोहराते हुए अपनी भैंस की मृत्यु विद्युत विभाग की लापरवाही और उपेक्षा के कारण हो जाने का कथन करती है। प्रतिपरीक्षण में वादिया का कथन रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण करन्ट आ रहा था। वह रोजाना भैंसों को दयापुर के जंगल में चराने ले जाती थी। उसने झौंक में करन्ट आने बाबत् मौखिक रूप से विद्युत विभाग में कहा था। वादिया द्वारा इस सुझाव से इन्कार किया गया है कि उसकी भैंस जहरीले कीड़े के काटने से मरी हो। वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—1 थानाधिकारी को भैंस के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट व प्रदर्श—2 थानाधिकारी के निर्देश पर उक्त रिपोर्ट पर जॉच अधिकारी द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट व प्रदर्श—3 व प्रदर्श—4 भैंस का शव परीक्षण कराने हेतु दिये गये प्रार्थना—पत्र व प्रदर्श—6 भैंस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रदर्श—2 जॉच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से जॉच अधिकारी द्वारा बिजली के करन्ट आने से भैंस की मृत्यु होना अपनी जॉच में पाना जाहिर किया गया है। प्रदर्श—6 रिपोर्ट में भी विद्युत करन्ट प्रवाह से ही भैंस की मृत्यु होना चिकित्सक द्वारा बताया गया है। चिकित्सक पी डब्ल्यू—4 डाक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता उक्त रिपोर्ट के समर्थन में साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं। वादिया की मौखिक साक्ष्य के समर्थन में पी डब्ल्यू—2 प्रताप व पी.

...4

डब्ल्यू—3 सुग्रीव की साक्ष्य भी वादिया द्वारा लेखबद्ध करवाई गई है जो वादिया के

कथनों का समर्थन करते हैं। हालांकि इन साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खम्भे की झौंक में विद्युत प्रवाह पहले से ही था, परन्तु इस तथ्य से विद्युत विभाग की लापरवाही का तथ्य कमतर होना नहीं माना जा सकता। वादिया व उसके साक्षियों द्वारा लगातार यह कहा है कि उनके द्वारा मौखिक रूप से विद्युत विभाग को सूचना दी गई। प्रतिवादी साक्षी मुकेश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल प्रतिवादी साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं जो इस बारे में पूर्णरूप से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि उपभोक्ता द्वारा झौंक में करन्ट आने बाबत् शिकायत विद्युत विभाग में कराई हो। अतः जहॉ कोई अभिवचन स्पष्ट रूप से नकारा नहीं गया है, वहॉ वह अभिवचन दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया हुआ माना जावेगा। अतः इस तथ्य के सम्बन्ध में भी प्रतिवादी की स्वीकृति मानी जावेगी कि खम्भे की झौंक में विद्युत प्रवाह होने की शिकायत वादिया व अन्य ग्रामवासियों द्वारा पहले ही विद्युत विभाग में की थी, जिसके बावजूद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

10— अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादिया की भैंस की मृत्यु प्रतिवादी की उपेक्षा व लापरवाही का ही सीधा परिणाम है या नहीं? इस सम्बन्ध में वादिया की ओर से प्रतिवादी को इस सम्बन्ध में मौखिक रूप से शिकायत करने का तथ्य सामने आया है। प्रतिवादी विद्युत विभाग भी राज्य सरकार का एक उपक्रम है, जो विद्युत की उचित रूप से सप्लाई व सप्लाई के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण व तारों के रख—रखाव के लिए जिम्मेदार है, यह दायित्व विद्युत विभाग का है कि वह अपने सप्लाई तारों व खम्भों को इस प्रकार दुरूस्त रखे जिससे जान—माल की कोई हानि न हो पाये, परन्तु विद्युत विभाग के विद्युत सप्लाई के खम्भों की झौंक में विद्युत करन्ट आना प्रत्य क्ष रूप से विद्युत विभाग की उपेक्षा व लापरवाही का द्योतक है व यदि इसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना कारित हुई है तो विद्युत विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 17—06—2013 को प्रतिवादीगण की लापरवाही व उपेक्षा की वजह से विद्युत खम्भे में विद्युत प्रवाह होने के कारण वादिया की भैंस की मृत्यु हुई। अतः यह विवाद्यक वादिया के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या—2</u>

11— यह विवाद्यक क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित है। वादिया द्वारा यह कहा गया है कि उसकी भैंस का वक्त दुर्घटना बाजार मूल्य 45,000/—रूपये था। दूसरी ओर प्रतिवादी द्व ारा इससे इन्कार किया गया है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भैंस की प्रदर्श पी—6 वादिया की ओर से प्रस्तुत की गई है। उसमें भैंस का कोई मूल्यांकन चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सक द्वारा अपनी साक्ष्य में भैंस की कीमत 50,000/—रूपये होना बताई है। हालांकि उक्त तथ्य का समर्थन किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होता है। परन्तु प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए वादिया की भैंस की वक्त दुर्घटना कीमत 30,000/—(तीस हजार) रूपये होना निर्धारित किया जाता है व वादिया की भैंस की मृत्यु प्रतिवादीगण के उपेक्षापूर्ण कृत्य के फलस्वरूप होने के कारण वादिया

....5

प्रतिवादीगण से उक्त राशि मय ब्याज के प्राप्त करने की अधिकारिणी होना पाई जाती है। अतः यह विवाद्यक वादिया के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

12– यह विवाद्यक प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावे में ली गई आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है। वादिया का वाद वाद–पत्र के अवलोकन से अन्दर मियाद है। प्रतिवादी द्वारा इसके विपरीत ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वादिया का वाद मियाद बाहर हो। अतः प्रतिवादी की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोष

13– चूँकि विवाद्यक संख्या–1 वादिया के पक्ष में पूर्णरूप से व विवाद्यक संख्या–2 वादिया के पक्ष में आंशिक रूप से विनिश्चित किया गया है। अतः वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण उक्तानुसार डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

वादिया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् दिलाने जाने प्रतिकर राशि निम्न प्रकार मय खर्चा डिक्री किया जाता हैः–

1– वादिया प्रतिवादीगण से उसकी भैंस की वक्त दुर्घटना कीमत 30,000/–रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है।

2– वादिया दिनांक 17–06–2013 से उक्त राशि वसूल होने तक प्रतिवादीगण से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी उक्त राशि पर प्राप्त करने की अधिकारी है।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 15–02–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–94 / 2013 (117 / 10)

1– लक्ष्मन उर्फ लच्छो पुत्र मुरली
2– हरज्ञान पुत्र काशीराम
3– कप्तान पुत्र हरीसिंह
4– महाराजसिंह पुत्र रामसिंह
5– भीमसिंह पुत्र दरबसिंह

जाति गुर्जर निवासी खेरली गूजर तहसील वैर जिला–भरतपुर।

———— वादीगण

बनाम

1– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वैर।
2– अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बयाना।
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर, भरतपुर।

————प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1—श्री सुरेशचन्द शर्मा, विद्वान अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2—श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान् राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>—:: निर्णय ::—</u> **<u>दिनांकः—27—02—2017</u>**

1— वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 13—11—2010 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांक 20—07—2013 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 455/रकबा 2 बीघा 07, 240/ रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, 241/ रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम खेडली गुर्जर तहसील वैर में स्थत है। वादीगण की उक्त आराजी के मध्य में होकर करीब 12 फीट चौडाई का रास्ता है जिसे नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा में हरे रंग से दर्शित सड़क हलैना से वैर निकली हुई है। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा एबीसी मार्क बिन्दु वाली सड़क को खसरा नम्बर 452,453,454,457,458,460,461 में खातेदारान् को मुआवजा देते

...2

हुए सड़क का निर्माण किया गया है। प्रतिवादीगण एबीसी बिन्दु वाली सड़क को छोड़कर नक्शे में लाल रंग से दर्शित रास्ता में सड़क वैर से हलैना का निर्माण कर सड़क की चौडाई का विस्तार कर दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जा रहा है। उक्त सड़क का विस्तार व निर्माण करने व सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जा रहा है। उक्त सड़क का विस्तार व निर्माण करने व सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण करने से वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण होगा। जबकि प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त आराजी में सड़क हेतु कोई भी अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की है और ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कोई विधिवत् नोटिस नहीं दिया गया है और वादीगण की बिना सुनवाई के अवैधानिक रूप से वादीगण की उक्त खातेदारी की आराजी में अतिक्रमण कर सड़क निर्माण व विस्तार कर वृक्षारोपण करने को आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि से किसी भी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये अवैधानिक रूप से सड़क हलैना से वैर वाली का निर्माण लाल रंग से दर्शित रास्ते में निर्माण करते हुए विस्तार करना शुरू कर दिया और वृक्षारोपण के लिये आराजी की डौलो को तोड़ना शुरू

कर दिया। जब वादीगण ने दिनांक 11–11–2010 को उपरोक्त प्रतिवादीगण से बिना अवाप्ति की कार्यवाही के सड़क का निर्माण व विस्तार करने व वृक्षारोपण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण प्रशासन के बल पर वादीगण की आराजी में होकर सड़क का निर्माण व विस्तार करने व वृक्षारोपण करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कामयाब हो गये तो वादीगण को सख्त हक तलफी व बर्बादा होगी और वादीगण की आराजी व उसमें बने हुए मकानियत बोर आदि नष्ट हो जावेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगी। अन्त में वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः–

(अ) प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता एवं वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नम्बर 455/ रकबा 2 बीघा, 07 बिस्वा, 240/ रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा, 241/रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम खेडली गुर्जर में होकर सड़क हलैना से वैर का निर्माण, विस्तार व वृक्षारोपण बिना अवाप्ति कार्यवाही किये नहीं करें तथा वादीगण की आराजी में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं करें व आराजी में गड्डे आदि कर आराजी को नाकाबिल काश्त नहीं बनावे तथा वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अवाप्ति शुदा भूमि में पूर्व से निर्मित सड़क हलैना से वैर नक्शे में एबीसी मार्क से दर्शित में होकर ही सड़क का निर्माण, विस्तार व वृक्षारोपण करें।

3– प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वादीगण के वाद–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को कोई धमकी ही नहीं दी है तो उसमें सफल व असफल होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और अपरमित क्षति भी नहीं होती

...3

है। जब वादीगण को प्रतिवादीगण ने कोई धमकी नहीं दी है तो वाद कारण पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपने विशेष विवरण में आगे कथन किया है कि वादीगण ने अपने दावा के साथ संलग्न नक्शा में बिन्दु एबीसी द्वारा दर्शित जो सड़क बताई गई है, वह मौके पर किसी भी सड़क व रास्ते के रूप में नहीं है। वादीगण ने गलत एवं मौके के विरूद्ध नक्शा कसीद कराया गया है। केशरिया रंग से नक्शे में चित्रित है। चालू सड़क व रास्ता है जिस पर कार्य किया जाना है। वादीगण ने अपने नक्शा में जो सड़क का वर्णन किया है, वह रास्ता के रूप में चालू है एवं डामरीकृत सड़क है, जो हलैना से वैर व वैर से हलैना की तरफ पूरी जुडी हुई है एवं आवागमन के काम में चालू है। पिछे कुछ समय से कार्य ना करने से लगभग 50 मीटर सड़क के पानी भरने से एवं मरम्मत ना करने के कारण डामर की सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। सड़क का निर्माण काफी पुराना है एवं सड़क पर डामरीकरण भी हो चुका है। परन्तु कोर्ट केस बाद में किया है जिससे, चालू सड़क को रोकने या सड़क को दूसरी तरफ डाईवर्ट करने में आपसी ग्रामीणों का विवाद भी हो सकता है, क्योंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत कथन में जहॉ होकर सड़क जानी चाहिए थी, वह बहुत लम्बा है। उसे छोड़कर दूसरी ओर सड़क पर कुटाई होकर डामरीकरण हो जाना विधि विरूद्ध है। अन्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत

वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20–03–2013 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित आराजी वादीगण की खातेदारी काश्तकारी तथा आधिपत्य, उपयोग व उपभोग की है?

————वादीगण

2– आया प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण व विस्तार कर वृक्षारोपण करने को आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है?

————वादीगण

3– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 भीमसिह, पी डब्ल्यू–2 कप्तानसिंह के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श–1, नकल पटवारी नक्शा गुर्जर खेडली की छायाप्रति प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3, प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू–1 महेशचन्द शर्मा के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये गये। कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं की।

...4

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

विवाद्यक संख्या 1

8– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित आराजीयात को स्वयं की खातेदारी काश्तकारी का होना बताया गया है व इस सम्बन्ध में प्रदर्श–3 लगायत प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया है कि विवादित आराजीयात वादीगण के खातेदारी काश्तकारी की न हो। अतः यह प्रमाणित है कि विवादित आराजीयात जो वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित की गई है, वह वादीगण के खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। अतः यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

9— इस विवाद्यक को भी प्रमाणित करने का भार वादीगण पर पर था। वादीगण का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि प्रदर्श—1 नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता वादीगण की आराजीयात के मध्य में से होकर निकला हुआ 12 फुट चौडाई का रास्ता है। वादीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रदर्श—1 में हरे रंग से प्रदर्शित सड़क हलैना से वैर निकली हुई है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा एबीसी मार्क बिन्दु वाली सड़क को खसरा नम्बर 452,453,454,457,458,460,461 में खातेदारान् को मुआवजा देते हुए सड़क का निर्माण किया गया था, परन्तु प्रतिवादीगण उक्त एबीसी बिन्दु वाली सड़क को छोड़कर लाल रंग रास्ता में सड़क का निर्माण कर सड़क की चौड़ाई का विस्तार कर दोनों तरफ वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण होगा। प्रतिवादीगण द्वारा कोई अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

10— दूसरी तरफ प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा हरे रंग से प्रदर्शित वादी द्वारा बताई गई किसी भी सड़क के मौके पर होने से इन्कार किया है, जो रास्ता के रूप में चालू हो। बल्कि यह कहा है कि केसरिया रंग से नक्शा में चित्रित चालू सड़क व रास्ता है जिस पर कार्य किया जाना है। उक्त रास्ता ही डामरीकृत सड़क है जो हलैना से वैर व वैर से हलैना की तरफ पूरी जुड़ी हुई है, जो आवागमन के रूप में चालू है। पिछले कुछ समय से कार्य न करने से लगभग 50 मीटर सड़क में पानी भरने से एवं मरम्मत न करने से डामर की सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है।

11— इस प्रकार प्रथम तो पक्षकारों के मध्य मौके पर यह विवाद बिन्दु उत्पन्न होता है कि हलैना से वैर के लिए मौके पर कौनसा रास्ता आवागमन के लिए चालू रास्ता है।

...5

जहॉ तक एबीसी बिन्दु सड़क का सम्बन्ध है। वादी द्वारा मौके से संबंधित प्रदर्श—2 नक्शा ट्रैस स्वयं की साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादीगण द्वारा कथित रूप से एबीसी बिन्दु के रूप में बताया गया किसी भी रास्ता का अस्तित्व नहीं दिखाया गया है। जबकि कथित लाल रंग से प्रदर्शित रास्ता का ही अस्तित्व होना उक्त नक्शा ट्रैस से प्रमाणित होता है।

12— वादी की मौखिक साक्ष्य को देखें तो पी डब्ल्यू—1 भीमसिंह अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श—1 में एबीसी स्थान वाली बन्द है, लाल वाली सड़क है। पहले रास्ता 12 फुट चालू था उसमें होकर सड़क डाली थी, जिसको ही चौड़ा करना चाहते हैं। इसी रास्ते से वाहन चल रहे हैं। हालांकि बड़े वाहनों का न चलना वादी कहता है, परन्तु वादी की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मौके पर आवागमन के लिए जो रास्ता चालू है, वह लाल रंग रास्ते से दर्शित रास्ता ही है। कथित एबीसी बिन्दु वाला कोई रास्ता मौके पर चालू नहीं है। वादी साक्षी पी डब्ल्यू—2 कप्तानसिंह भी केसरिया रंग से प्रदर्शित रंग से ही वाहन आने जाने का तथ्य स्वीकार करता है व एबीसी जो सड़क है वह तोड़ दिया जाना बताता है व उनके खेतों में से करीब 12 फुट का रास्ता होना साक्षी बताता है। इस प्रकार मौके पर एबीसी बिन्दु सड़क का अस्तित्व न होना व उक्त सड़क आवागमन के रूप में प्रयुक्त न होने का तथ्य

प्रमाणित है। यह तथ्य भी प्रमाणित है कि लाल रंग रास्ता ही मुख्य रूप से आवागमन का रास्ता है जिससे वाहनों की व जनता की आवाजाही है।

13— अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार की कोई धमकी दी गई कि वह अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना वादी की आराजी पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अपने जबाव में कहा है कि 50 मीटर में सड़क पर पानी भरने से एवं मरम्मत न होने से डामर की सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। प्रतिवादी साक्षी डी डब्ल्यू—1 महेश शर्मा पूर्व से ही जो आम सरकारी रास्ता है, उसमें होकर ही सड़क निकालने का कथन करते हैं। डाबर की चौड़ाई साढे 12 फुट होना व रास्ता की चौडाई सभी जगह 25 से 35 फुट चौडाई अलग—अलग जगह रास्ते की होना साक्षी कहता है।

14— यह वादी को प्रमाणित करना था कि उक्त रास्ता मौके पर 12 फुट ही है व प्रतिवादीगण द्वारा इससे अधिक बढ़कर उनकी आराजी पर अतिक्रमण किया जा रहा है, परन्तु न तो इस सम्बन्ध में वादी की कोई साक्ष्य है कि मौके पर रास्ता की चौडाई 12 फुट ही है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में डामर की ही चौडाई साढे 12 फुट होना बताया है व रास्ता की चौड़ाई 25 से 35 फुट अलग—अलग जगह होना बताया है। इसके विपरीत वादी की कोई स्पष्ट साक्ष्य इस सम्बन्ध में नहीं है कि मौके पर वादीगण की आराजी के पास रास्ता 12 फुट में ही सीमिति हो। इसके अलावा भी वादीगण द्वारा दिनांक 11—11—2010 को प्रतिवादीगण द्वारा वृक्षारोपण के लिए स्वयं

...6

की आराजी की डोलों को प्रतिवादीगण द्वारा तोड़ने का तथ्य प्रमाणित नहीं किया है।अतः यह सम्भावनाओं की प्रबलता से परे प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण व विस्तार कर वृक्षारोपण करने को आमादा हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं। जबकि मौके पर रास्ता का अस्तित्व प्रमाणित है जो पूर्व से ही डामरीकृत रास्ता है। ऐसी स्थिति में यह विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

15— चूँकि विवाद्यक संख्या—2 वादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया गया है। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

— :: आ दे श :: —

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 27–02–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0 ।

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–105/2013 (82/11)

भगवान स्वरूप पुत्र श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम समराया तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1– परभाती पुत्र सीतोली
2– रज्जो पुत्र परभाती
3– शिवसिंह पुत्र परभाती
4– बलराज सिंघल पुत्र भोजराज जाति वैश्य निवासी समराया हाल आबाद बामडा का मंदिर, सुभाष चौक बयाना तहसील बयाना।

———— प्रतिवादीगण

5– श्याममोहन पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी समराया तहसील वैर।

———— तरतीवी प्रतिवादी

वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थितः–

1–श्री चन्दनसिंह डागुर, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री मानसिंह धाकड व श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान् अभिभाषकगण, क्रमशः प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–02–03–2017**

1— वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 05—11—2011 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) वैर में प्रस्तुत किया गया जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांकित 20—07—2013 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश वाके ग्राम समराया तहसील वैर में जिसके तरफ उत्तर मकान स्वयं वादी नाप इस तरफ 52 फीट, तरफ दक्षिण सड़क वैर से बयाना नाप इस तरफ 54 फीट, तरफ पूर्व रास्ता आम नाप इस तरफ 54 फीट तथा तरफ पश्चिम गौत जमीन रामखिलाडी खटीक नाप इस तरफ 56 फीट स्थित है। वादी के उपरोक्त आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश को वाद—पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में

...2

लाल रंग से दर्शित किया गया है जो वादी को अपने भाई तरतीवी प्रतिवादी संख्या—5 श्याममोहन एवं स्वर्गीय मॉ गंगादेई से बाहमी पारिवारिक बंटवारे में न्यारान्यूर प्राप्त हुआ है और तभी से वादी अपने उपरोक्त प्लॉट को अपने पशुओं को बांधने, ईधन उपला रखने व अपने उठने बैठने के काम में लेता चला आ रहा है। उक्त आवासीय प्लॉट उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 369/1—0.03 ग्राम समराया का भाग है। वादी के उपरोक्त आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश से असल प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार दावा प्रस्तुत करने तक किसी भी प्रकार का नहीं रहा है, लेकिन प्रतिवादीगण लठैत व सरगना व्यक्ति है जो कि लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी से उसके उपरोक्त आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश को छीनना चाहते है और जबरन कब्जा कर उसमें पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 04—11—2011 को खुले आम वादी को धमकी दी कि हम तेरे उक्त प्लॉट व पाटौर पोश पर जबरन कब्जा करेंगे और जबरन निर्माण कर तुझे बेदखल व महरूम कर देंगे और अगर तूने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तुझे धारा 3 एससी/एसटी एक्ट का झूंठा मुकदमा लगाकर फंसा देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गये तो वादी को सख्त हक तलफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अन्त में वादकारण दिनांक 04—11—2011 को पैदा होना बताते हुए वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः—

(अ) प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय प्लॉट पाटौर पोश जिसे वाद—पत्र की मद संख्या—1 एवं वाद—पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है, में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें तथा वादी के उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालें और ना ही अपने किसी नौकर एजेन्ट से करावें।

3— प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वादी के वाद—पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि विवादित जायदाद वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के खातेदारी की

आराजी खसरा नम्बर 368/1 रकवा 03 विस्वा का भाग नहीं है। क्योंकि इनकी खातेदारी में तो विवादित प्लॉट के तरफ उत्तर में मकानियत निर्माण कर रखा है जिसमें वादी वगैरा रिहायश कर रहे हैं। बॅटवारानामा कब हुआ, उसका कोई बंटवारानामा वादी द्वारा पेश नहीं किया है। विवादित प्लॉट प्रतिवादी संख्या–4 के स्वामित्व व आधिपत्य का है, जिसने यह प्लॉट प्रतिवादी संख्या–3 को जरिये इकरारनामा दिनांक 22–03–2011 को विक्रय कर कब्जा मौके पर दे दिया। वादी व तरतीवी प्रतिवादी का इस प्लॉट से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। दिनांक 04–11–2011 को प्रतिवादीगण ने इस खण्ड में वर्णित कोई धमकी वादी को नहीं दी है और ना ही कोई वार्ता वादी से हुई है। जब प्रतिवादीगण ने धमकी ही नहीं दी है तो उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रतिवादी संख्या–4 बलराम सिंघल ने उक्त प्लॉट को जरिये इकरारनामा दिनांक 22–03–2011 को प्रतिवादी संख्या–3 शिवसिंह को विक्रय कर मौके

...3

पर कब्जा दे दिया था। वादी ने उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में घोषणा व कब्जा वापिसी की कोई दादरसी नहीं चाही है, इसलिए वादी का वादा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण, जाब्ता दीवानी की धारा 35 ए के तहत वादी से हर्जा खास के रूप में पॉच हजार रूपये प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या–5 ने यह दावा आपस में कौलूजन करके व प्रतिवादीगण के प्लॉट को हडपने की नियत से गलत नक्शा मौके के विरूद्ध अदालत हाजा में नक्शा नवीस से मिलकर दायर किया गया है। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29–08–2012 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित सीमाओं व पैमाईश का आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश खसरा नम्बर 369/1 रकबा तीन बिस्वा का भाग है जो वादी के आधिपत्य व उपयोग, उपभोग का है?

————वादी

2– आया प्रतिवादीगण उक्त आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को अधिकार नहीं है?

————वादी

3– आया वाद अवधि में पेश नहीं है तो इसका प्रभाव?

————प्रतिवादीगण

4– आया विवादित प्लॉट का मूल्य दो लाख बाईस हजार रूपये का है और कोर्ट फीस कम अदा की गई है तो इसका प्रभाव?

————प्रतिवादीगण

5– आया विवादित प्लॉट की सीमायें व पैमाईश लिखित कथन के पैरा संख्या–10 में

वर्णित सीमाओं व पैमाईश के अनुसार है?

————प्रतिवादीगण

6— अनुतोष?

5— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्य—1 भगवानस्वरूप (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू—2 गबरू तथा पी डब्ल्यू—3 मानसिंह के सशपथ बयान करवाये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श—1, नकल जमाबन्दी प्रदर्श—2, सनद प्रदर्श—3 व दूसरी सनद प्रदर्श—4, मौका रिपोर्ट प्रदर्श—5 तथा नजरी नक्शा प्रदर्श—6 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पर्याप्त अवसर दिये जाने के

....4

बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या 1 व 5</u>

8— उक्त दोनों विवाद्यक एक—दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से इन दोनों ही विवाद्यकों को निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या—1 को प्रमाणित करने का भार वादी पर था व विवाद्यक संख्या—5 को प्रमाणित करने का सबूत भार तनकीयात सूची में प्रतिवादीगण को दिया गया।

9— वादी का इस सम्बन्ध में यह कथन रहा है कि विवादित आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश जो उसने वाद—पत्र के पैरा संख्या—1 में वर्णित की गई है, उसके स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद है जो उसे तरतीवी प्रतिवादी संख्या—5 व अपनी स्वर्गीय मॉ गंगादेवी से बाहमी पारिवारिक बंटवारे में न्यारान्यूर प्राप्त हुई है और तभी से वह अपने उक्त प्लॉट को पशुओं को बांधने, ईधन—ऊपला रखने व उठने—बैठने के काम में लेता चला आ रहा है। उक्त प्लॉट उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 369/1—0.03 ग्राम समराया का भाग है।

10— दूसरी ओर प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई जायदाद ग्राम समराया तहसील वैर में वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होने से स्पष्ट इन्कार किया है व विवादित प्लॉट को प्रतिवादी संख्या—4 के स्वामित्व व आधिपत्य का बताया है, जिसके द्वारा यह प्लॉट प्रतिवादी संख्या—3 को जरिये इकरारनामा दिनांक 22—03—2011 को विक्रय कर मौके पर कब्जा दे दिया। वादी का मकान विवादित प्लॉट के तरफ उत्तर में बना हुआ होना बताया है, जिसमें वादी वगैरा रिहायश कर रहे हैं।

11— प्रतिवादी की ओर से विवादित प्लॉट प्रतिवादी संख्या—4 को उसके पिता

भोजराज से विरासत में प्राप्त होना जिसमें उसके पिता द्वारा प्लॉट की बाउण्ड्री बॉल व पुरानी पाटौर पोश डलवाना व बलराज के पिता द्वारा ही उक्त प्लॉट में आटा चक्की लगाई, जिसका बिजली का कनैक्शन भी उक्त प्लॉट में लिया जाना बताया है। उक्त प्लॉट की निर्माण स्वीकृति भी ग्राम पंचायत उमरैड से भोजराज द्वारा 15–05–1962 को विधिवत् रूप से मय नक्शा प्राप्त किया जाना कहा गया है।

12– वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में मुख्य रूप से प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 एवं प्रदर्श–3 सनद व प्रदर्श–4 सनद प्रस्तुत की गई हैं। प्रदर्श–2 जमाबन्दी से यह तथ्य प्रकट होता है कि खसरा नम्बर 369/1

...5

क्षेत्रफल 0.03 गैरमुमकिन आबादी का खसरा है, जिसकी काश्तकार वादी की मॉ गंगादेवी व वादी व उसका भाई श्याममोहन है। हालांकि वादी के लिए केवल इतना प्रमाणित करना ही पर्याप्त नहीं है वरन् वादी को अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि विवादित प्लॉट इसी खसरा नम्बर में निर्मित है। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से वादी की ओर से प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 सनद तहसीलदार, वैर द्वारा क्रमशः 08–07–1976 व दिनांक 26–12–1980 को जारी किया जाना अंकित किया गया है। उक्त सनद में खसरा नम्बर 369 गैरमुमकिन पोखर का 271 वर्गगज क्षेत्रफल व खसरा नम्बर 369/1 का 449 वर्गगज क्षेत्रफल गैरमुमकिन पोखर वादी के पक्ष में नियमन किया गया है, परन्तु उक्त सनद के साथ न तो कोई नक्शा संलग्न है, न ही सम्पत्ति की कोई हदूद हैं, जिसका नियमन किया गया। जिससे विवादित जायदाद सनद के अन्तर्गत नियमित की गयी भूमि का ही हिस्सा हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

13– वादी के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में अपने मुख्य परीक्षा कथनों को दोहराते हुए अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन रहा है कि उसके द्वारा खसरा नम्बर 369 व 369/1 का नक्शा ट्रैस प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वादी द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरान् का अलग–अलग होना स्वीकार किया गया है। प्लॉट की नापें शपथ–पत्र में वकील साहब द्वारा लिख दिया जाना कहा गया है। वादी यह स्वीकार करता है कि खसरा नम्बर 369 व 369/1 पोखर है व विवादग्रस्त जायदाद पोखर का भाग है। पोखर में पट्टा जारी होता है या नहीं, उसे पता नहीं। वादी द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पहले उनकी ग्राम पंचायत उमरैड लगती थी। हालांकि ग्राम पंचायत उमरैड के सन् 1962 में लच्छीराम सरपंच रहे हों और उन्होंने 15–05–62 को भोजराज को विवादित प्लॉट की निर्माण मन्जूरी व पाटौर डालने बाबत् नक्शा मन्जूर करके दिया हो तो उसे पता नहीं। वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित प्लॉट में काफी पुरानी पाटौर पोश डली हुई है।

14– वादी का दूसरा साक्षी पी डब्ल्यू–2 गबरू अपने मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र में पक्षकारों को अच्छी तरह से जानना व विवादित जायदाद को अच्छी तरह से जानने व विवादित जायदाद वादी को बाह्मी पारिवारिक बंटवारे में न्यारान्यूर प्राप्त होना कहता है, परन्तु यह स्वीकार करता है कि उसके सामने भगवानस्वरूप व श्याममोहन व गंगादेवी के मध्य पारिवारिक बंटवारानामा नहीं लिखा गया। विभाजन का सन्, सम्वत् व तारीख नहीं

बता सकता। यहॉ तक कि श्याममोहन व गंगादेवी के हिस्से में कौन–कौन से खेत व कौन–कौनसी जायदाद आई, इस सम्बन्ध में भी साक्षी अनभिज्ञता जाहिर करता है। वादी द्वारा विवादित जायदाद जहॉ पारिवारिक बंटवारे में उसके स्वामित्व में आना बताया गया है, वहीं प्रथम तो कोई लिखित दस्तावेज उक्त बंटवारानामा के सम्बन्ध में प्रस्तुत न होने, द्वितीय बंटवारानामा के सम्बन्ध में वादी की कोई मौखिक साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रकृति की न होने के तथ्य को देखते हुए गवाह के यह कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहॉ प्रतिवादी का यह कथन रहा है कि विवादित जायदाद में उसकी पुरानी पाटौर पोश व आटा चक्की उसके पिता के समय से ही लगी हुई थी, वहॉ स्वयं वादी द्वारा विवादित जायदाद में पाटौर पोश पुरानी होना स्वीकार किया है। साक्षी गबरू द्वारा भी इस तथ्य

..6

को अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि पाटौर में काफी समय पूर्व आटा चक्की लगी हुई थी जो भोजराज वैश्य की थी। यहॉ तक कि इस विवादित जायदाद के सम्बन्ध में भोजराज को दिनांक 15–05–62 को ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण मन्जूरी मय नक्शा जारी की गई हो तो इस तथ्य को भी यह गवाह स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं कर पाया है व बलराज द्वारा शिवसिंह को उक्त जायदाद 22–03–2011 को बेचान करने के तथ्य से भी साक्षी द्वारा स्पष्ट इन्कारी नहीं की गई है।

15– अतः स्वयं वादी व उसके साक्षी की साक्ष्य से प्रतिवादी के अभिवचन इस अंश तक स्वीकार किये गये हैं कि विवादित जायदाद में पुरानी पाटौर पोश डली हुई है। जिसमें पहले आटा चक्की लगी हुई थी, जो भोजराज वैश्य की थी। प्रकरण में हालांकि प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त् है कि स्वीकृति स्वयंमेव ही सर्वोत्तम साक्ष्य है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी के अभिवचनों को उसके कब्जे के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है व स्वयं वादी के विवादित जायदाद के कब्जे व स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। न तो वादी यह प्रमाणित कर पाया है कि विवादित जायदाद उसके स्वामित्व व आधिपत्य में कथित बंटवारानामा से प्राप्त हुई, न ही वादी इस तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रहा है कि विवादित जायदाद प्रदर्श–3 व प्रदर्श पी–4 सनद से उसके पक्ष में नियमित की गई भूमि का ही हिस्सा रहा हो। जबकि स्वीकृत रूप से स्वयं वादी के अभिवचनों के अनुसार वादी की मकान जायदाद विवादित जायदाद के उत्तर में बनी हुई है, जिस पर वादी की रिहायश है। वादी द्वारा एक अन्य साक्षी पी डब्ल्यू–3 मानसिंह को प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से न तो भोजराज के पक्ष में ग्राम पंचायत उमरैड द्वारा दिनांक 15–05–1962 को निर्माण मन्जूरी जारी किये जाने के तथ्य से इन्कार कर पाया है, न ही इस तथ्य से इन्कार कर पाया है कि उक्त जायदाद में भोजराज की निर्माण मन्जूरी में चार गैह पाटौर डालकर आटा चक्की बाबत् ग्राम पंचायत उमरैड को लिखा गया हो। दूसरी तरफ स्वयं वादी साक्षी गबरू द्वारा विवादित जायदाद में पुरानी आटा चक्की भोजराज की लगी होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। जहॉ तक प्रकरण में आई कमिश्नर रिपोर्ट का सम्बन्ध है। कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–6 वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत की गई है, परन्तु उसको तैयार करने वाले कमिश्नर को वादी द्वारा साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे उक्त दस्तोवज साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं रह जाता है।

16— अतः वादी यह सम्भावनाओं की प्रबलता से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि विवादित जायदाद खसरा नम्बर 369/1 रकबा 3 बिस्वा ग्राम समराया का भाग हो, जो उसके स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद हो। अतः विवाद्यक संख्या—1 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या—5 प्रतिवादीगण में पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या—2</u>

17— इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर था। विवाद्यक संख्या—1

.....7

के विवेचन में विवादित जायदाद वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होना प्रमाणित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण की पुरानी पाटौर पोश व आटा चक्की लगे होने का तथ्य स्वयं वादी साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। उक्त स्थिति को देखते हुए यह विवाद्यक भी वादी अपने पक्ष में प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या—2 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 3 व 4</u>

18— ये दोनों ही विवाद्यक प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावा में ली गई आपत्ति के आधार पर विरचित किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से परिसीमा की आपत्ति व विवादित जायदाद का बाजार मूल्य अधिक होने सम्बन्धी आपत्ति ली गई है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त् है कि वाद—पत्र की पोषणीयता को निर्धारित करने के लिए वादी द्व ारा वाद—पत्र में किये गये कथन ही सुसंगत होते हैं। प्रतिवादी का प्रतिवाद इस सम्बन्ध में नहीं देखा जाना है। वादी के वाद—पत्र में किये गये कथनों को देखते हुए वादी का वाद निर्धारित परिसीमा में प्रस्तुत होना व न्यायशुल्क विधि अनुसार अदा किया जाना प्रकट होता है। अतः ये दोनों विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

अ नु तो ष

19— चूँकि विवाद्यक संख्या—1 व 2 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>— :: आ दे श :: —</u>

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

वैर।

निर्णय आज दिनांक 02–03–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0 ।

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–02/2015 (78/09)

दयाचन्द पुत्र मूलचन्द जाति कोली निवासी खिडकी दरवाजा कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र बनिया –**(मृतक)** 1/1 सोनदेई पत्नी बाबूलाल 1/2 सुरेश पुत्र बाबूलाल 1/3 सुन्दरलाल पुत्र बाबूलाल 1/4 श्याम पुत्र बाबूलाल 1/5 कुमरसिंह पुत्र बाबूलाल 1/6 विनोद पुत्र बाबूलाल 1/7 राजकुमारी पुत्री बाबूलाल 1/8 अनीता पुत्री बाबूलाल 2– रामस्वरूप पुत्र बनिया	जातियान कोली निवासी खिडकी दरवाजा कस्बा वैर तहसील वैर, जिला–भरतपुर (राज0)

———— प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी एवं मैन्डेटरी इन्जक्शन</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री राजकुमार नगायच, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–08–03–2017</u>**

1– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी एवं मैन्डेटरी इन्जक्शन दिनांक 28–10–2009 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) वैर में प्रस्तुत किया गया जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांकित 20–07–2013 के अनुसरण में

अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व

.....2

व आधिपत्य की आवासीय प्लॉट एवं पाटौर पोश घरखाम वाके खिरकी दरवाजा कस्बा वैर में जिसके तरफ उत्तर रास्ता सड़क आम नाप इस तरफ 32 फीट, तरफ दक्षिण मकान गोगी कोली दरम्यान गली 4 फीट चौडी नाप 31 फीट, तरफ पूर्व रास्ता निकास 9 फीट चौडा बाद मकान स्वयं वादी दयाचन्द कोली एवं प्लॉट प्रतिवादी बाबूलाल कोली नाप इस तरफ 48 फीट तथा तरफ पश्चिम मकान व प्लॉट बुलबुल कोली हाल प्रतिवादीगण दरम्यान चार फीट चौडी गली नाप इस तरफ 41 फीट स्थित है। उपरोक्त आवासीय प्लॉट जमीन एवं पाटौर पोश घरखाम को वाद—पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। उक्त जायदाद वादी को मु0 सुक्को बेवा पून्या जाति कोली निवासी कस्बा वैर से जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15—11—77 को प्राप्त किया है और तभी से वादी उक्त जायदाद को रिहायश करने, ईधन, ऊपला रखने व खण्डा पत्थर आदि रखने व उठने बैठने के काम में लेता चला आ रहा है। वादी की उपरोक्त जायदाद से प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। वादी की जायदाद के तरफ पश्चिम में चार फीट चौडी गली के बाद प्रतिवादीगण की जायदाद लगी हुई है, लेकिन प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिन्होंनें दोनों जायदाद के मध्य आसमानी रंग से दर्शित चार फीट चौडी गली की जमीन व वादी की जायदाद की 2 फीट 6 इन्च चौडी व 14 फीट लम्बाई में जिसे वाद—पत्र में लाल रंग से एबीसी बिन्दु से दर्शित स्थान पर दिनांक 25—10—2009 को नींव खोदकर अतिक्रमण करते हुए निर्माण करना शुरू कर दिया। जब वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी जायदाद की जमीन व गली की जमीन में नींव खोदने व निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण झगडा फिसाद व मारपीट करने को आमादा हो गये और वादी को खुले आम धमकी दी कि हम तेरी जायदाद की जमीन एवं गली की जमीन पर अतिक्रमण अपनी पुख्ता निर्माण करेंगे और तुझे तेरी जायदाद व गली की जमीन से बेदखल व महरूम कर देंगे और इस मंशा में प्रतिवादीगण का निर्माण कार्य जारी है। वादी की उपरोक्त जायदाद की मंजूरी मु0 सुक्को ने अपने जीवनकाल में नगरपालिका वैर से दिनांक 22—01—70 को प्राप्त कर ली थी और इस जायदाद से प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कामयाब हो गये तो वादी को सख्त हक तलफी व बर्बादी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी और वह अपनी जायदाद से बेदखल व महरूम हो जावेगा। अन्त में वादकारण दिनांक 25—10—2009 को पैदा होना बताते हुए वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः—

(अ) प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आवासीय प्लॉट व पाटौर पोश घरखाम जिसे वाद—पत्र की मद संख्या—1 मे वर्णित किया गया है, में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, हस्तक्षेप एवं निर्माण कार्य नहीं करें और वादी की इस जायदाद से तरफ पश्चिम में

आसमानी रंग से 4 फीट चौडी गली की जमीन में भी अतिक्रमण व हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें और वादी के उपयोग व उपभोग व रिहायश में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही किसी नौकर एजेन्ट से करावें।

(ब) प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25–10–2009 को वादी की उपरोक्त जायदाद व गली

....3

की जमीन में किये गये अतिक्रमण व निर्माण जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है, को जरिये मैन्डेटरी इन्जक्शन प्रतिवादीगण के हर्जे खर्चे पर तुडवाया जाकर हटवाया जार साफ करवाया जावे तथा दौराने मुकद्मा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की पीले रंग की जायदाद व आसमानी रंग से दर्शित गली की जमीन में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण पाया जावे तो उसे भी प्रतिवादीगण के हर्जे खर्चे पर साफ करवाया जावे।

3– प्रतिवादी संख्या–1 व प्रतिवादी संख्या–2 ने अपने पृथक–पृथक जवाबदावे में लगभग एक समान कथन करते हुए वादी के वाद–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किये हैं कि वसीयतनामा दिनांक 15–11–77 की जानकारी नहीं है। मु0 सुक्को की मन्जूरी दिनांक 22–01–1970 से पूर्व की मन्जूरी प्रतिवादी के पास है। तरफ पश्चिम को कोई गली चार फुट चौडी आज तक नहीं रही है और ना मौके पर है। वादी की पाटौर पोश का भी ढलान उत्तर दक्षिण को है। इस आधार पर भी गली नहीं है और ना ही वादी की किसी गली की जमीन को दबाया है। मौके पर आज भी प्रतिवादी द्वारा छोडी गई जमीन 6 फुट चौडाई में स्थित है जो उसके निकास की जमीन है, कोई निर्माण कार्य लाल रंग से दर्शित जगह में नही ंकिया है। वादी को कोई धमकी प्रतिवादी ने नहीं दी है। अपने विशेष विवरण में आगे कथन किया है कि वादी ने जो नक्शा पेश किया है वह मौके पर जाकर नहीं बनाया है बल्कि अपनी हिदायत के अनुसार मनमाने तरीके से बनवाया है। वादी ने अपने नक्शा में जो पाटौर पोश दिखलाई है। उसके ढलान की बाबत् दर्ज नहीं किया है। जबकि पाटौर पोश का ढलान उत्तर व दक्षिण को है। दक्षिण में जोगा के मकान व वादी के प्लॉट के बीच वादी ने चार फीट चौडी गली बतलाई है उसमें पाटौर पोश का पानी गिरता है तथा उत्तर को अपने प्लॉट में पानी गिरता है। वादी के पास यह जायदाद सुक्को द्वारा वसीयत कराने पर प्राप्त होना बताया है। जिसमें मात्र पाटौर पोश, रसोई या प्लॉट दर्शाया है। जिसकी कोई हदूद व पैमाइश दर्ज नहीं है। सुक्को द्वारा जिस प्लॉट की बाबत् मन्जूरी चाही है, उसमें केवल मात्र नीम का पेड दर्शाया है। पाटौर पोश नहीं दर्शाई है तथा मन्जूरी के वक्त जो नक्शा पेश किया है उसको भी सुक्को ने कहे अनुसार कसीद कराया है जबकि मन्जूरी का नक्शा जो पेश किया जाता है वह मौके का होना आवश्यक है। मु0 सुक्को की मन्जूरी से पहले प्रतिवादी के पिता बनिया पुत्र बुलबुल जाति कोली ने अपने प्लॉट की मन्जूरी नगरपालिका वैर से प्राप्त की है। जिसका नक्शा मौके पर सचिव ने बनाया था। जिसमें तरफ दक्षिण को 20 फुट X 35 फुट में पुख्ता निर्माण करा लिया। बाद मकान पुख्ता के प्रतिवादी के पिता बुलबुल का स्वर्गवास हो गया तथा प्रतिवादी से अपनी जायदाद का विभाजन कर लिया जो विभाजन इकरारनामा दिनांक 03–09–2002 के द्वारा किया गया है तथा रास्ता निकास के लिए जो 6 फीट चौडी जमीन छोडी गई है वह प्रतिवादी की शामलाती रहेगी तथा शेष प्लॉट से जो 40 फुट लम्बा दक्षिण से उत्तर है तथा 24 फुट चौडा पूर्व से पश्चिम में से 6 फीट का रास्ता निकास अपनी निजी छोडकर ईटों की

बाउण्ड्री बाल कराई है, जो मौके पर मौजूद है। बाद 6 फुट रास्ता निजी के बाद वादी की पाटौर पोश व जमीन है, बीच में कोई गली नहीं है तथा सुक्को की मन्जूरी प्रशासक

...4

द्वारा दी है जो प्रतिवादी के पिता के द्वारा चाही गई मन्जूरी के बाद की है। वादी गलत मन्जूरी के आधार पर प्रतिवादी की जमीन में अवैध रूप से गली कायम करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के पास जो मन्जूरी है, वह बिल्मुल सही व विधिवत रूप से एवं नियम के अनुसार है, जो मण्डल की बैठक द्वारा सर्वसम्मति से दी गई है। वादी ने अपने दावा में गली की बाबत् डिक्लेरेशन नहीं चाहा है और ना ही मौके पर कोई गली है। जबकि प्रतिवादी ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन में से निकास निजी की जमीन को छोडकर निर्माण कराया है, इसलिए डिक्लेरेशन की दादरसी चाहे बिना यह दावा चलने योग्य नहीं है। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15–09–2014 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय प्लॉट एवं पाटौर पोश घरखाम वाके खिडकी दरवाजा कस्बा वैर में स्थित है जिसे वाद–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शित भाग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, हस्तक्षेप एवं निर्माण कार्य नहीं करें और इस जायदाद से तरफ पश्चिम में आसमानी रंग से 4 फीट चौडी गली की जमीन में भी अतिक्रमण व हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करें?

————वादी

2– आया उक्त विवादित जमीन व गली की जायदाद में किये गये अतिक्रमण व निर्माण जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित किया गया है, को जरिये मैन्डेटरी इन्जक्शन प्रतिवादीगण के हर्जे खर्चे पर तुडवाया जाकर साफ करवाया जावे?

————वादी

3– आया विनाय मुखास्मत् दावी हाजा दिनांक 25–10–2009 को धमकी दिये जाने पर बमुकाम मुखैना तहसील वैर में पैदा हुआ?

————वादी

4– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्य–1 दयाचन्द (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू–2 पुष्पेन्द्रसिंह तथा पी डब्ल्यू–3 दिनेशचन्द सिंघल के सशपथ बयान करवाये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श–1, मन्जूरी नक्शा प्रदर्श–2, नकल पालिका वैर द्वारा निर्माण मन्जूरी प्रदर्श–3, रजिस्टर्ड वसीयत तारीखी 15–11–77 प्रदर्श–4, निर्णय एडीजे नम्बर–2, भरतपुर तारीखी 09–01–1990 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–5, मौका रिपोर्ट नोटिस प्रदर्श–6, नजरी नक्शा

प्रदर्श–7, मौका रिपोर्ट प्रदर्श–8 को प्रदर्शित करवाया गया।

....5

6– दूसरी ओर प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू–1 श्याम, डी डब्ल्यू–2 रमनलाल तथा डी डब्ल्यू–3 रामस्वरूप के शपथ–पत्र पर बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श ए–1, मन्जूरी नगरपालिका वैर प्रदर्श ए–2 तथा नक्शा प्रदर्श ए–3 को प्रदर्शित करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

8– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। इस सम्बन्ध में वादी का यह कथन रहा है कि वाद–पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित नाप का आवासीय प्लॉट एवं पाटौर पोश घरखाम उसके स्वामित्व व आधिपत्य का है जो उसे सुक्को बेवा पून्या से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15–11–77 प्राप्त हुआ है और तभी से वादी उक्त जायदाद को रिहायश करने, ईंधन, ऊपला रखने व खण्डा पत्थर आदि रखने व उठने बैठने के काम लेता चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट के तरफ पश्चिम में स्वयं की निजी 4 फुट चौडी गली होना बताते हुए उसके पश्चात् प्रतिवादीगण की जायदाद लगी होना बताया है व प्रतिवादीगण द्वारा दोनों जायदाद के मध्य उक्त चार 4 फुट चौडी गली की जमीन व वादी की जायदाद 2 फुट 6 इन्च चौडी व 14 फुट लम्बाई में एबीसी स्थान पर नींव खोदकर अतिक्रमण करना बतलाया गया है। वादी द्वारा अपने आवासीय प्लॉट के सम्बन्ध में सुक्को द्वारा दिनांक 22–01–70 को नगरपालिका वैर से निर्माण मन्जूरी प्राप्त करना बताया गया है।

9– दूसरी ओर प्रतिवादीगण की ओर से वादी द्वारा वर्णित सीमाओं की कोई जायदाद वादी के स्वामित्व आधिपत्य की खिडकी दरवाजा कस्बा वैर में होने से इन्कार किया है, न ही पश्चिम में वादी की 4 फुट गली होना बताया है बल्कि प्रतिवादी स्वयं की निजी गली होना बताया है व दिनांक 22–01–1970 से पूर्व की मन्जूरी प्रतिवादी के पास होना बताया है व मौके पर आज भी स्वयं प्रतिवादी द्वारा छोड़ी गई जमीन 6 फुट चौड़ाई में स्थित होना जो उसके निकास की जमीन होना बताया गया है। लाल रंग से प्रदर्शित जगह में कोई भी निर्माण न किया जाना बताया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादी की पाटौर पोश का ढलान उत्तर व दक्षिण को होना व दक्षिण में गली में पाटौर पोश का पानी गिरना बताया गया है व प्रतिवादी के पिता बनिया द्वारा अपने प्लॉट की मन्जूरी नगरपालिका वैर से प्राप्त करना जिसका नक्शा मौके पर सचिव द्वारा बनाना जिसके तरफ दक्षिण को 20 X 35 फुट में पुख्ता निर्माण करा लेना व बाद मकान पुख्ता को बुलबुल का स्वर्गवास हो जाने व विभाजन इकरारनामा दिनांक 03–09–2002 किया जाना जिसमें रास्ता निकास के लिए 6 फुट चौड़ी जमीन प्रतिवादीगण की शामलाती तय होने की बात कही गयी हैं।

10— वादी के द्वारा मुख्य रूप से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—2 वसीयत दिनांक

...6

15—11—1977 प्रस्तुत की गई है। उक्त वसीयत को प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं किया गया है। वसीयत में सुक्को द्वारा वादी दयाचन्द को बझेंरा कला की उसकी कृषि भूमि के अलावा उसकी पाटौर रसोईयॉ व प्लॉट आदि वसीयत किये गये हैं, जो वसीयत सुक्को की मृत्यु के बाद प्रभावी हो चुकी है। हालांकि वसीयत में वसीयती जायदाद की कोई स्पष्ट हदूद व नाप अंकित नहीं की गई हैं। वादी की ओर से स्वर्गीय सुक्को द्वारा अपने जीवनकाल में नगरपालिका वैर से प्राप्त निर्माण मन्जूरी प्रदर्श—3 व मन्जूरी नक्शा प्रदर्श—2 प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त मन्जूरी नक्शा में सुक्को की उक्त जायदाद के पश्चिम में व बुलबुल कोली के मकान के बीच 4 फुट चौड़ी गली का अस्तित्व दर्शित किया गया है। हालांकि उक्त गली सुक्को की निजी गली रही हो, यह उक्त मन्जूरी से व नक्शा से प्रमार्णित नहीं होता है। हांलाकि मौके पर 4 फुट चौड़ी गली का अस्तित्व सुक्को की जायदाद के पश्चिम में होना प्रमाणित होता है व यह भी उक्त मन्जूरी व नक्शा के अवलोकन से प्रकट होता है कि मोरी, परनालों का बहाव उक्त गली की तरफ पश्चिम की ओर किया गया है। हांलाकि उत्तर व दक्षिण की ओर भी मोरी, परनाले की निकासी दी गई है।

11— वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं को पी डब्ल्यू—1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षा शपथ—पत्र में अपने अभिवचनों को दोहराया है व प्रतिपरीक्षण में वादी द्वारा यह कहा है कि वसीयत से पहले उसे जायदाद मिली तब उसमें पाटौर बनी हुई थी तथा उसके पास 4 फुट चौड़ाई में रसोई थी व फिर गली थी। उसने उक्त विवादित जगह पर कुछ निर्माण नहीं कराया है। वादी पाटौर का ढलान उत्तर व दक्षिण की ओर होना स्वीकार करता है व बाबूलाल द्वारा बिना मन्जूरी निर्माण किया जाना व साढे दस फुट जमीन कवर कर लेना कहा है। बनिया बुलबुल द्वारा कोई निर्माण मन्जूरी ले रखी हो, इस तथ्य से वादी द्वारा इन्कार किया गया है। गली 4 फुट चौड़ी निजी होने पर ही वादी अडिग रहा है व उक्त गली 31 फुट के बाद 4 फुट चौड़ी थी व 31 फुट के बाद ही गली होना वादी कहता है। वादी द्वारा नक्शानवीश पी डब्ल्यू—3 दिनेशचन्द को प्रस्तुत किया गया है, जो प्रदर्श—1 नक्शा दयाचन्द के अनुसार बनाया जाना व मौके पर न बनाने की बात कहता है। सुक्को की वसीयत दिनांक 15—11—1977 के आधार पर यह स्थिति आती है कि सुक्को द्वारा अपनी पाटौर पोश व अन्य जायदाद वादी के नाम वसीयत की गई है। उक्त प्लॉट व पाटौर पोश के सम्बन्ध में अन्य कोई स्वत्व सम्बन्धी दस्तावेज वादी की ओर से से पेश नहीं किया गया है। केवल वादी की ओर से निर्माण मन्जूरी 22—01—70 प्रस्तुत की गई है। हांलाकि प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा बताई गई वादग्रस्त जायदाद की हदूद व सीमाओं को विवादित किया गया है व मौके पर वादी की जायदाद कम होना व 6 फुट गली मौके पर होना बताया गया है, परन्तु स्वयं प्रतिवादी द्वारा नजरी नक्शा प्रदर्श ए—1 व मन्जूरी नगरपालिका वैर प्रदर्श ए—2 तथा नक्शा प्रदर्श ए—3 के अलावा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी डी डब्ल्यू—1 श्याम स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उनके घर एवं दयाचन्द के मध्य 4 फुट गली हो, यह गलत है बल्कि रास्ता है, जो बाबूलाल व रामस्वरूप का है। रास्ते में निर्माण करने वाली बात भी प्रतिवादी गलत बताता है। डी डब्ल्यू—3 रामस्वरूप प्रदर्श—1 में गली के अन्दर उनके द्वारा अपनी ओर निर्माण किया

जाना बताता है। जो मन्जूरी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्रथम तो न तो प्रतिवादी द्वारा उसको जारी करने की कोई स्पष्ट दिनांक बताई गई है कि उक्त मन्जूरी कब जारी हुई, न ही उक्त मन्जूरी पर कोई दिनांक या क्रमांक अंकित है। उक्त मन्जूरी के अवलोकन से उस पर पत्रावली का कोई क्रमांक भी अंकित नहीं है। जबकि वादी द्व ारा जो मन्जूरी प्रदर्श–3 प्रस्तुत की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से मिशल नम्बर व मन्जूरी जारी किये जाने का दिनांक अंकित होने के साथ–साथ उस पर प्रशासक नगरपालिका वैर के साथ–साथ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका के भी हस्ताक्षर हैं। जबकि प्रदर्श ए–2 मन्जूरी में न तो अधिशाषी अधिकारी के कोई हस्ताक्षर हैं, न ही उक्त मन्जूरी पर कोई मिशल नम्बर अंकित है। अतः प्रथमदृष्ट्या तो उक्त मन्जूरी का अस्तित्व ही विवाद के घेरे में प्रकट होता है। वादी की ओर से प्रदर्श–5 निर्णय दिनांक 09–02–1990 जो प्रतिवादी द्वारा वादी व सुक्को के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि है, भी साक्ष्य में प्रस्तुत की है जिसमें सुक्को व दयाचन्द की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है।

12– वादी की ओर से विवादित प्लॉट व पाटौर पोश के सम्बन्ध में कोई स्वत्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। हांलाकि यह तथ्य विवादित नहीं है कि वसीयत दिनांक 15–11–1977 से सुक्को द्वारा उक्त जायदाद वादी को अन्तरित की गयी व सुक्को की मृत्यु के बाद वादी उक्त जायदाद पर सुक्को जैसे ही स्वामित्व अधिकार रखता है। जहॉ तक उक्त जायदाद की सीमाओं का सम्बन्ध है, प्रतिवादी द्वारा हालांकि उक्त सीमाओं को विवादित किया गया है व प्रकरण में मौका आयुक्त रिपोर्ट का भी अवलम्ब लेते हुए वह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत होना बताया है। हांलाकि उक्त मौका रिपोर्ट को देखें तो मौका रिपोर्ट प्रदर्श–8 के सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 31–03–2010 को उक्त कमिश्नर रिपोर्ट के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए मौका रिपोर्ट की मद संख्या–2 में एवं नजरी नक्शा में आई स्थान से ए स्थान तक 20 फुट बताई लम्बाई को गलत बताते हुए उस पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उक्त स्थान की लम्बाई 18 फुट होना व गली 2 फुट 8 इन्च की न होकर 3 फुट होना बताया है। स्वयं प्रतिवादी की उक्त आपत्ति को यदि स्वीकार भी कर लिया जावे तब कमिश्नर रिपोर्ट में वादी की कथित पाटौर पोश के पश्चिम में दर्शाई गली जो कमिश्नर द्वारा 5 फुट 11 इन्च बताई गई है, वह भी स्वयंमेव ही 2 फुट कम हो जाती है, जिससे स्वयं वादी के यह अभिवचन कि उसके पाटौर पोश व प्लॉट के पश्चिम में व प्रतिवादी के मकान के मध्य 4 फुट चौड़ी गली मौजूद है, के अभिवचन प्रमाणित होते हैं। हांलाकि उक्त गली निजी गली वादी की ही हो, इस तथ्य के सम्बन्ध में वादी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अतः विवादित गली शामलाती उपयोग, उपभोग की होना ही प्रमाणित होता है।

13– इस प्रकार प्रदर्श–1 में पीले रंग से प्रदर्शित आवासीय प्लॉट एवं पाटौर पोश के सम्बन्ध में वादी अपने मामले को प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः वादी उक्त जायदाद के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

14– हांलाकि आसमानी रंग से दर्शित गली जिसकी चौड़ाई 4 फुट होना प्रमाणित

हुआ है, जो पीले रंग की जायदाद व प्रतिवादी की जायदाद के मध्य स्थित है, शामलाती उपयोग, उपभोग की होना व वादी की निजी गली न होना प्रमाणित हुआ है। अतः उक्त गली के सम्बन्ध में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध केवल उसके शामलाती उपयोग, उपभोग में दखलन्दाजी न करने व गली में कोई निर्माण न करने सम्बन्धी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में आंशिक रूप से विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

15– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा विवादित जमीन व गली की जायदाद में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया जाना कहा गया है, हांलाकि प्रतिवादी द्वारा इससे इन्कार किया गया है। हांलाकि आसमानी रंग से दर्शित 4 फुट चौड़ी गली व पीले रंग की जायदाद में प्रदर्श–1 में लाल रंग से प्रदर्शित जगह पर कोई निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा किया गया हो, इस तथ्य को वादी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से सम्भावनाओं की प्रबलता से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

16– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा दिनांक 25–10–2009 को वाद कारण उत्पन्न होना बताया गया है व कहा गया है कि वादी की जायदाद व गली की जमीन में जबरन अतिक्रमण करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा नींव खोदकर निर्माण किया गया व जबरन कब्जा व निर्माण करने की धमकी दी गई। अतः उसे वाद कारण उत्पन्न हुआ। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य से इन्कार किया है। हांलाकि विवाद्यक संख्या–2 के विवेचन में प्रदर्श–1 में दर्शित लाल रंग पर प्रतिवादीगण द्वारा नींव खोदकर निर्माण किया गया हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है, परन्तु वादी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा गली में निर्माण करने की वादी को धमकी दी गई है। अतः दिनांक 25–10–2009 को वादी को वाद कारण उत्पन्न होना प्रमाणित होता है। अतः यह विवाद्यक भी आंशिक रूप से उक्तानुसार वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

17– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1 व 3 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से तय पाये गये हैं। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी एवं मैन्डेटरी

इन्जक्शन आंशिक रूप से निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः–

1– प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वाद–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित जायदाद में वादी के उपयोग, उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करें व उसमें कोई निर्माण न करें।

2– प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में आसमानी रंग से दर्शित 4 फुट चौड़ी गली जो वादी व प्रतिवादीगण दोनों के ही शामलाती उपयोग, उपभोग की होना प्रमाणित हुआ है, में कोई निर्माण या अतिक्रमण न करें व उक्त गली के शामलाती उपयोग उपभोग में वादी के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न करें।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 08–03–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला —भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः—</u> प्रशान्त अग्रवाल, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः—154 / 2013 (60 / 11)

नरेन्द्र सिंह शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा पौत्र श्री बृजलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

————प्रतिवादी

<u>वाद बावत दिलाये जाने कब्जा मकान जायदाद व हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1—श्री हरीश भारद्वाज, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2—श्री शिवचरनलाल धाकड, विद्वान् राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादी की ओर से।

<u>—:: निर्णय ::—</u> **<u>दिनांकः—07—03—2017</u>**

1— वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् दिलाये जाने कब्जा मकान जायदाद व हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 30—07—2011 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0 / 2013 / 194 दिनांक 20—07—2013 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के बाबा स्वर्गीय श्री बृजलाल पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राह्मण का एक निजी खरीदशुदा प्लॉट मकान वाके ग्राम बिचपुरी पट्टी कस्बा वैर में जिसके तरफ उत्तर सड़क भुसावर गेट से बयाना गेट जो भुसावर से बयाना को जाती थी, नाप इस तरफ 40 फुट, तरफ दक्षिण

....2

गली 3 फुट चौडी सामलात स्वयं वादी एवं हरीचरन मास्टर की बाद मकान हरीचरन मास्टर नाप इस तरफ 38 फुट, तरफ पूर्व चौक नगरपालिका वैर नाप इस तरफ 58 फुट तथा तरफ पश्चिम प्लॉट स्वयं वादी नरेन्द्रसिंह शर्मा का नाप इस तरफ 60 फुट 9 इन्च स्थित है। उक्त मकान प्लॉट में एक तिवारा, हॉल, रसोई, लेट्रीन, बाथरूम बने हुए हैं। उक्त विवादित जायदाद को वादी के बाबा स्वर्गीय बृजलाल ने खरीद किया था, जो उनकी निजी खरीदशुदा सम्पत्ति है एवं वादी के बाबा पटवारी के पद से रिटायर्ड हुए थे, जिनकी बुजुर्ग स्थिति में सेवा सुश्रुषा वादी ने ही की थी तथा उक्त जायदाद की वसीयत मृतक बृजलाल ने दिनांक 17—06—1997 को लिखी जाकर दिनांक 26—06—1997 को सब रजिस्ट्रार वैर के समक्ष तस्दीक हो गई थी। उक्त वसीयत में वादी के बाबा ने अपनी निजी सम्पत्ति में से मकान, पाटौर, प्लॉट को वादी के हक में करा दी तथा उक्त वसीयत वादी के बाबा की मृत्यु के बाद स्वतः ही प्रभावी हो गई है। यह वसीयत उनकी तथाकथित सम्पत्ति बाबत् अन्तिम वसीयत थी। वादी का भाई रविन्द्र कुंमार बांसवाडा में सर्विस करता था। जब उसका स्थानान्तरण वैर में ही हो गया तब वादी से एवं वादी के बाबा से कुछ दिन रिहायश के लिए उक्त मकान जायदाद में जगह ले ली और यह कहा था कि वह जल्दी ही निजी मकान बना लेगा। तब इस मकान को खाली करेगा। तत्पश्चात् वादी के बाबा ने प्रतिवादी से मकान को खाली करने को कहा तो प्रतिवादी उनके खिलाफ एक मुकदमा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, वैर के समक्ष ले आया और मकान को खाली नहीं किया। वादी के बाबा की मृत्यु दिनांक 06—11—1977 के बाद वादी ने प्रतिवादी से उक्त जायदाद को खाली करने के लिए कहा तो प्रतिवादी समय लेता रहा और टालमटोल करता रहा तथा प्रतिवादी ने जो मुकदमा उनवानी रविन्द्र बनाम बृजलाल मुकदमा नम्बर 344/07 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, वैर की अदालत में कर रखा था, वह दिनांक 14—09—2009 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका था। तब वादी नरेन्द्रसिंह ने प्रतिवादी से मकान को खाली करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने यह कह दिया कि साल दो साल में लडका की शादी कर मकान खाली कर दूॅगा तथा प्रतिवादी ने लडकी की दिनांक 09—07—2011 को शादी हो गई। उसके बाद भी दिनांक 11—07—2011 को मकान खाली करने की प्रतिवादी से कहा तो प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि मैं तेरे मकान को खाली नहीं करूॅगा और इसको किसी दीगर व्यक्ति के लिए विक्रय कर दूॅगा। यदि प्रतिवादी अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में कामयाब हो गये तो वादी अपनी वसीयत द्वारा प्राप्त जायदाद से महरूम रह जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। अन्त में वाद कारण दिनांक 11—07—2011 को पैदा होना बताते हुए वाद को अन्दर मियाद, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का तथा पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है किः—

(अ) कि वाद—पत्र की मद नम्बर—1 में वर्णित जायदाद जिसे संलग्न नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित की गई है, का कब्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे।

(ब) प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वो मद नम्बर—1 में वर्णित जायदाद जिसे नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है, के वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादी को उपयोग व उपभोग में बाधा हो।

...3

3— प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में वादी के वाद—पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि वादी के बाबा बृजलाल शर्मा का स्वर्गवास हो गया था लेकिन वादी के बाबा बृजलाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रतिवादी से मकान को खाली करने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी भी वादी ने आज तक कहा है। प्रतिवादी ने एक दावा वादी के बाबा के खिलाफ दायर कर रखा है जो दिनांक 14—09—2009 को खारिज हो गया तथा दिनांक 15—09—2009 को पुनः नम्बर पर लिए जाने का प्रार्थना—पत्र पेश कर दिया है जो अभी तक विचाराधीन है। प्रतिवादी की कोई लडकी की शादी नहीं थी बल्कि लडका की शादी थी। वादी ने प्रतिवादी को कोई धमकी नहीं दी है। जब वादी को प्रतिवादी ने कोई धमकी ही नहीं दी है तो वादी को अपरमित क्षति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त जायदाद का मूल्यांकन कम से कम पॉच लाख रूपया है। वादी ने 1,000/—रूपये कायम कर कम कोर्ट फीस अदा की है, जिससे न्यायालय को मालियत के आधार पर वाद को सुनने का अधिकार नहीं है। अपने विशेष विवरण में आगे कथन किया है कि वादी ने अपने वाद में डिक्लेरेशन की दादरसी नहीं चाही है, बिना डिक्लेरेशन की दादरसी चाहे दावा चलने योग्य नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के बाबा श्री बृजलाल ने दिनांक 23—05—78 को अपने पुख्ता मकान, पाटौर व प्लॉट का बॅटवारा उनके चारों लडके लक्ष्मीकान्त, शिखरचन्द, ताराचन्द व रूपेन्द्र कुमार की रजामन्दी से कर दिया, पुख्ता मकान लक्ष्मीकान्त के हिस्से में आया, प्लॉट मय पाटौर पोश ताराचन्द के हिस्से में आया, प्लॉट मय टीन शिखरचन्द के हिस्से में आया व प्लॉट रूपेन्द्र कुमार के हिस्से में आया। बॅटवारा करने के बाद जो जायदाद बृजलाल के चारों पुत्रों के हिस्से में आई उस पर बृजलाल ने चारों लडकों को कब्जा दे दिया। इस विभाजन के बारे में एक बॅटवारानामा व नक्शा तहरीर व तकमील हुआ था। इस बॅटवारानामा व नक्शा पर बृजलाल के, लक्ष्मीकान्त, शिखरचन्द, ताराचन्द व रूपेन्द्र कुमार ने हस्ताक्षर किये थे, जो प्लॉट प्रतिवादी के चाचा रूपेन्द्र कुमार के हिस्से में आया, उस प्लॉट पर कब्जा प्रतिवादी के चाचा रूपेन्द्र कुमार को उसके पिता बृजलाल ने दिनांक 23—05—78 को ही दे दिया तथा कब्जा मिलने के बाद प्रतिवादी का चाचा रूपेन्द्र कुमार शर्मा ने इस प्लॉट पर अपना पुख्ता मकान सन् 1980 में तामीर कर दिया। प्रतिवादी का चाचा रूपेन्द्र कुमार नौकरी के सिलसिले में वैर से काफी दूर रह रहा था, इसलिए इस उक्त पुख्ता मकान में रूपेन्द्र कुमार का भतीजा प्रतिवादी रविन्द्र कुमार रह रहा है। इस समय भी इस मकान में प्रतिवादी ही रह रहा है। इस प्रकार बृजलाल का लडका रूपेन्द्र कुमार उक्त मकान का पूर्ण मालिक हो गया था। प्रतिवादी इस मकान का मुख्त्यारआम होने की वजह से मालिक है। प्रतिवादी का चाचा रूपेन्द्र कुमार विवादित प्लॉट का दिनांक 17—06—97 को जिस दिन बृजलाल विवादित प्लॉट का मालिक व काबिज नहीं था बल्कि विवादित प्लॉट का मालिक व काबिज प्रतिवादी का चाचा रूपेन्द्र कुमार था। इस प्रकार दिनांक 17—06—97 को बृजलाल को वादी के हक में विवादित प्लॉट की बाबत् वसीयत करने का कोई भी अधिकार नहीं था। वादी की धमकी के आधार पर रूपेन्द्र कुमार ने अपना मुख्त्यारनामा प्रतिवादी को देकर प्रतिवादी के द्वारा एक दावा डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान एडीजे, बयाना में दायर किया जो उनवानी रूपेन्द्र बनाम नरेन्द्रसिंह नम्बरी दीवानी संख्या 2/98 है, जिसमें आदेश 39 नियम 1 व 2 जाब्ता दीवानी का भी

...4

प्रार्थना–पत्र पेश किया जो मैरिट पर फैसल की गई और प्रतिवादी नरेन्द्रसिंह जो इस मुकदमा में वादी है, को दिनांक 07–02–2003 को इस उम्र से पाबन्द किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वे दावे के निर्णय तक किसी दीगर व्यक्ति को किसी प्रकार हस्तान्तरित नहीं करें। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ यह दावा गलत पेश किया है, क्योंकि प्रतिवादी इस मकान में बतौर किरायेदार रहता है जो रूपेन्द्र कुमार की ओर से रहता है। यह वाद वादी को रूपेन्द्र कुमार को पक्षकार बनाकर ही करना चाहिए था, जिसको पक्षकार नहीं बनाया है। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 15–12–2014 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित जायदाद जिसे संलग्न नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, का कब्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे?

————वादी

2– आया वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह वाद–पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित जायदाद जिसे नक्शा में रंग लाल से दर्शित किया गया है, के वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न न करें, जिससे वादी को उपयोग व उपभोग में बाधा हो?

————वादी

3– आया विनाय मुखास्मत् दावी हाजा दिनांक 11–07–2011 को धमकी दिये जाने पर बमुकाम वैर तहसील वैर में पैदा हुआ?

————वादी

4– वादग्रस्त जायदाद का मूल्यांकन पॉच लाख रूपये हैं जबकि वादी द्वारा वाद कम कोर्ट फीस अदा कर पेश किया है, इसलिए मालियत के आधार पर इस न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार नहीं है?

———प्रतिवादी

5– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 नरेन्द्र सिंह (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू–2 मोहनसिंह, डी डब्ल्यू–3 मोहनसिंह पुत्र झम्मनसिंह, डी डब्ल्यू–4 गोपालसिंह, पी डब्ल्यू–5 हरीसिंह तथा पी डब्ल्यू–6 दिनेशचन्द के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतक बृजलाल प्रदर्श–2 तथा वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू–1 रविन्द्र कुमार (स्वयं प्रतिवादी), डी डब्ल्यू–2 दूल्हेराम तथा डी डब्ल्यू–3 घीसीराम के सशपथ बयान लेखबद्ध

...5

करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विशिष्ट अधिकार–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रदर्शडी–1, दावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–2 व जबाव की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी–3, नम्बरी दीवानी 344/07 की जबावदावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–4 को प्रदर्शित करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

विवाद्यक संख्या 1

8– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रदर्श–1 नक्शा में लाल रंग से दर्शित सम्पत्ति स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की होना बताया गया है। उक्त जायदाद के सम्बन्ध में मृतक बृजलाल जो वादी के बाबा थे, द्वारा दिनांक 17–06–1997 को वादी के पक्ष में वसीयत लिखी जाकर दिनांक 26–06–1997 को सब रजिस्ट्रार वैर के समक्ष तस्दीक करवाया जाना उसके द्वारा बताया गया है व उक्त वसीयत में बृजलाल द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति में से मकान, पाटौर, प्लॉट को वादी के हक में वसीयत किये जाने की बात कही गयी हैं। विवादित जायदाद बृजलाल की खरीदशुदा जायदाद होना वादी द्वारा बताया गया है। हालांकि वादी के बाबा बृजलाल की अनुमति से प्रतिवादी का वादग्रस्त जायदाद में परमीसिव कब्जा होना उसके द्वारा बताया गया है।

9– दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से विवादित जायदाद बृजलाल की वसीयत के आधार पर वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होने के तथ्य से स्पष्ट इन्कार किया है व कहा है कि वादी के बाबा द्वारा वादग्रस्त जायदाद का बंटवारा दिनांक 23–05–1978 को कर दिया गया जिसमें विवादग्रस्त जायदाद प्रतिवादी के चाचा रूपेन्द्र के हिस्से में आई व रूपेन्द्र द्वारा सन् 1980 में उक्त जायदाद पर मकान तामीर करा दिया व उक्त जायदाद अब प्लॉट की स्थिति में न होकर मकान के रूप में है। चूँकि रूपेन्द्र कुमार नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था, इसलिए विवादग्रस्त जायदाद में प्रतिवादी रूपेन्द्र का भतीजा होने के कारण उसकी अनुमति से रहने लग गया व रूपेन्द्र द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में मुख्त्यारआम भी निष्पादित किया गया। इस प्रकार विवादग्रस्त जायदाद व मकान प्रतिवादी के चाचा रूपेन्द्र के सन् 1978 से मिलकीयती व मकबूजा की होना क्लेम किया गया है।

10– वादी द्वारा विवादित जायदाद पर अपने समस्त क्लेम का आधार प्रदर्श–3 वसीयत को बताया है। हालांकि वसीयत में बृजलाल द्वारा विशिष्ट रूप से कोई सम्पत्ति नामित नहीं की गई है। वसीयत में मकान के प्लॉट, पाटौर 6 गैह घनुष उसके द्वारा छोडी गई सम्पत्ति को वादी के नाम वसीयत किया गया है, परन्तु यह प्रमाणित वादी को करना था कि विवादित जायदाद पर बृजलाल का वसीयत लिखते समय स्वामित्व व

..6

अधिकार था, जिसको वह अन्तरित करने हेतु समर्थ था। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने अभिवचन में विवादित सम्पत्ति को बृजलाल की खरीदशुदा होना बताया गया है, परन्तु

कोई भी दस्तावेज विवादित जायदाद की खरीद के सम्बन्ध में या विवादित जायदाद के स्वत्व के सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11— वादी की मौखिक साक्ष्य को देखें तो वादी स्वयं पी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है। वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र में अपने अभिवचनों को दोहराया है। हालांकि प्रतिपरीक्षण में बृजलाल की निजी जमीन केवल वसीयत के आधार पर वादी होना बताता है। वादी साक्षी पी डब्ल्यू–2 मोहनसिंह वादग्रस्त मकान को जानने व वादग्रस्त मकान वादी को उसके बाबा से जरिये वसीयत प्राप्त होने की बात अपनी मुख्य परीक्षा में करता है। परन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकारता है कि उसने तो जमीन के बारे में सुना था। 1997 में बृजलाल ने रविन्द्र को जमीन दी थी तो उसे नहीं बुलाया था। पी डब्ल्यू–3 मोहनसिंह पुत्र झम्मन का स्पष्ट कथन रहा है कि रविन्द्र को उसके बाबा बृजलाल द्वारा कौनसे सन् व दिनांक को मकान दिया, वह नहीं बता सकता। पी डब्ल्यू–4 गोपालराम जहॉ अपने मुख्य परीक्षण में विवादित जायदाद वादी को उसके बाबा से प्राप्त होने की बात करता है, वहीं प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि शपथ–पत्र में क्या लिखा, वह नहीं बता सकता, जो वकील साहब ने लिखी उस पर उसने हस्ताक्षर किये। अतः गवाह की साक्ष्य उक्त आधार पर कोई वजन नहीं रखती है। साक्षी पी डब्ल्यू–5 हरीसिंह भी अपने शपथ–पत्र में क्या लिखा है, इस बारे में कुछ भी पता न होने की बात प्रतिपरीक्षण में कहता है। नजरी नक्शा प्रदर्श–1 तैयार करने वाले साक्षी पी डब्ल्यू–6 दिनेशचन्द मौके पर न जाना व वादी के कहे अनुसार ही नक्शा बनाने की बात कहते हैं।

12— प्रकरण में वसीयत लिखते समय विवादित जायदाद पर बृजलाल का स्वत्व व अधिकार था, इस तथ्य के लिए स्वयं बृजलाल का स्वीकृत दस्तावेज प्रदर्श डी–4 प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जो सिविल न्यायालय में चले दीवानी वाद रविन्द्र बनाम बृजलाल में कथित बृजलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया जबाव है, जिसमें बृजलाल द्वारा स्पष्ट रूप से उसके द्वारा अपनी सम्पत्तियों का बंटवारा दिनांक 25–05–78 को किया जाना व विवादित जायदाद रूपेन्द्र को उक्त बंटवारानामे में दिये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है व रूपेन्द्र को ही विवादित जायदाद का स्वामी बताया गया है जो प्रतिवादी के इस अभिवचन की ताईद करता है कि बृजलाल द्वारा अपनी सम्पत्तियों का सन् 1978 में अपनी सन्तानों के बीच बंटवारा किया, जिसमें विवादित जायदाद रूपेन्द्र के हिस्से में आई। यह भी तथ्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी–3, जो रूपेन्द्र बनाम नरेन्द्र के दीवानी वाद में स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत जबाव है, से प्रकट होता है कि वादी द्वारा उक्त जबाव में दिनांक 23–05–1978 के कथित बॅटवारे के सम्बन्ध में उसको मन्सूखी करने का एक प्रलेख दिनांक 12–06–1997 बृजलाल द्वारा निष्पादित किया जाना कहा गया है व उक्त आधार पर उक्त बंटवारानामा दिनांक 23–05–78 अस्तित्व में न होना बताया है, परन्तु वादी द्वारा इस वाद में किये

...7

गये अपने अभिवचनों तो ऐसा कोई दिनांक 12–06–97 का दस्तावेज वर्णित तक नहीं किया गया है जो उसके द्वारा 1999 में प्रस्तुत किये गये जबाव में अस्तित्व में होना बताया गया है, न ही बॅटवारानामा होने व उसको मन्सूख करने के कोई कथन अपने

अभिवचनों में किये गये हैं जबकि प्रतिवादी के इन अभिवचनों कि सन् 1978 में विवादित जायदाद का बॅटवारा हुआ, को स्वयं बृजलाल के दस्तावेज प्रदर्श डी–4 से सम्पुष्टि मिलती है कि बृजलाल द्वारा अपनी सन्तानों के बीच अपनी जायदाद का बॅटवारा किया गया व विवादित जायदाद रूपेन्द्र के हिस्से में आई। इस प्रकार बृजलाल द्वारा दिनांक 17–06–1997 को वसीयतनामा तहरीर किये जाते समय विवादित जायदाद पर बृजला का कोई स्वत्व व अधिकार रहा हो, यह वादी प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है, जिसके आधार पर यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित जायदाद का वादी प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः विवाद्यक संख्या–1 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–2

13– इस विवाद्यक को भी प्रमाणित करने का भार वादी पर था। चूॅकि विवाद्यक संख्या–1 के विवेचन में वादी का विवादग्रस्त जायदाद पर कोई स्वत्व व अधिकार नहीं पाया गया है। अतः वादी प्रतिवादी को विवादग्रस्त जायदाद के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी नहीं होना पाया जाता है। अतः विवाद्यक संख्या–2 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–3

14– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1 के विवेचन में वादी का विवादग्रस्त जायदाद में कोई स्वत्व व अधिकार नहीं पाया गया है। अतः दिनांक 11–07–2011 को वादी को प्रतिवादी द्वारा धमकी दिये जाने पर कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ हो, यह भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः यह विवाद्यक संख्या–2 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4

15– इस विवाद्यक को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर था जो प्रतिवादी द्वारा जबावदावे में ली गई आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है। यह विवाद्यक न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है व प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त जायदाद का मूल्यांकन पॉच लाख रूपये होना बताते हुए वाद कम कोर्ट फीस अदा कर पेश किया जाना बताया है। हालांकि ऐसी कोई साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है कि वादग्रस्त जायदाद की मालियत इस न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की परिधि में न आती हो। अतः प्रतिवादी की यह आपत्ति भी कोई बल नहीं रखती है। अतः विवाद्यक

....8

संख्या–4 प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

16— चूँकि विवाद्यक संख्या—1, 2 व 3 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

— :: आ दे श :: —

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् दिलाये जाने कब्जा मकान जायदाद व हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 07—03—2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रशान्त अग्रवाल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला —भरतपुर।

पीठासीन अधिकारीः— मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः—74 / 2016 (68 / 07)

धनीराम पुत्र अजीराम जाति धाकड निवासी ग्राम लुहासा तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।
2— ग्रामीण विकास कलक्टर, भरतपुर।
3— विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वैर।
4— सचिव ग्राम पंचायत जीवद पंचायत समिति, वैर।

————प्रतिवादीगण

वाद बावत दिलाये जाने 20,230/—रूपये

उपस्थितः—

1—श्री बृजकिशोर धाकड, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2—श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान् राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—07—04—2017**

1— वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् दिलाये जाने 20,320/—रूपये दिनांक 02—06—2006 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक 195 दिनांकित 31—05—2016 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की मूल पत्रावली गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में जल कर नष्ट हो जाने पर श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/4356 दिनांक 19—07—2007 द्वारा पत्रावली के पुनः निर्माण की कार्यवाही करने के आदेश के उपरान्त् उभय पक्षकारान् द्वारा मूल दावे से संबंधित रिकार्ड पेश करने पर पुनः संधारित की गई है।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने 20,230/—रूपये की वसूली बाबत् दावा इस आधार पर पेश किया कि वह ग्राम पंचायत जीवद तहसील वैर का दावा पेश किये जाने से सत्र से पूर्व सत्र का पूर्णकालिक सरपंच

....2

रहा है। दिनांक 13—02—2005 को वादी ने नव नर्वाचित सरपंच को चार्ज सम्भला दिया है। वादी ने सन् 2002 से जनवरी सन् 2005 तक 35 माह का मानदेव प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि ग्राम पंचायत जीवद में बजट राशि का अभाव था। उक्त राशि आज दिन तक बकाया है। प्रत्येक सरपंच को 400/—रूपये माह के हिसाब से मानदेय मिलता है। इसी प्रकार वादी के कार्यकाल में ग्राम लुहासा से खोहरी तक ग्रेवल कार्य से सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। जिसमें 3,720/—रूपये का खर्चा हुआ था एवं यह राशि एमएलए

कोटे से आनी थी जो वादी के कार्यकाल में नहीं आई। वादी ने उक्त राशि का भुगतान अपनी जेब से किया था। इसी प्रकार ग्राम लुहासा से बझेरा का ग्रेवल कार्य हुआ था। जिसमें 2,510/–रूपये खर्च हुआ है। जिसमें भुगतान की राशि भी एमएलए कोटे से आनी थी, परन्तु पैंसा न आने से यह भुगतान वादी ने ही किया था। ऐसे में वादी की 35 माह की मानदेय राशि कुल 14,000/–रूपये व ग्रेवल कार्य के 3,720/–रूपये व 2,510/– कुल 20,320/–रूपये बकाया निकलते हैं। जिन्हें वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने इस राशि बाबत् प्रतिवादीगण से कई बार मौखिक व लिखित निवदेन किया, लेकिन प्रतिवादीगण ने उसे राशि का भुगतान नहीं किया। दिनांक 09–11–2015 को पंचायत अधिनियम की धारा 109 के तहत नोटिस भी दिया गया जिसका कोई जबाव नहीं दिया गया। अतः वादी को 12 प्रतिशत मय ब्याज 20,320/–रूपये दिलवाये जायें।

3– प्रतिवादीगण ने अपने सम्मिलित जवाबदावे में वादी के वाद–पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया है कि सरपंच ग्राम पंचायत की निजी आय से ही मानदेय प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कभी कोई नोटिस नहीं दिया, न ही उसे 09–11–2005 को कोई वादकारण उत्पन्न हुआ है। वादी ने स्वेच्छया से ही मानदेय प्राप्त नहीं किया एवं राशि का हक त्याग किया है। यदि वह यह राशि प्राप्त करना चाहता तो प्राप्त कर सकता था जो कि वह ग्राम पंचायत की निजी आय से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की कोई मानदेय राशि बकाया नहीं निकलती है। मानदेय राशि का भुगतान करने या न करने के लिए निर्णय लेने बाबत् ग्राम पंचायत ही सक्षम है। दावा निराधार व गलत तौर से राशि ऐंठने के लिए पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 28–10–2010 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी प्रतिवादी से सन् मार्च 2002 से जनवरी 2005 तक 35 माह का मानदेय जो बजट राशि के अभाव में नहीं दिया गया जो कुल 14,000/–रूपये मूल व ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?

———— वादी

2– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी

.....3

डब्ल्यू–1 धनीराम (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू–2 भूदेव तथा पी डब्ल्यू–3 तेजपाल के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सचिव व सरपंच ग्राम पंचायत जीवद को दिया गया नोटिस प्रदर्श–1, नोटिसों को भेजने की रसीदें प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, मानदेय दिलाने बाबत् प्रार्थना–पत्र जिला कलक्टर प्रदर्श–5 बकाया भुगतान दिलाये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रदर्श–6 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद

साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

8— इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। सर्वप्रथम यहॉ यह देखा जाना आवश्यक है कि वास्तव में क्या वादी द्वारा सन् 2002 से जनवरी 2005 तक 35 माह का मानदेय बजट राशि के अभाव में नहीं उठाया गया। इसके सम्बन्ध में वादी ने मौखिक रूप से शपथ—पत्र में यह कथन किया है कि उसने ऐसा कोई भुगतान नहीं उठाया है, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष का यह कथन रहा है कि वादी को मानदेय उठाने से नहीं रोका गया है। अपितु वह ग्राम पंचायत की निजी आय से ही यह मानदेय प्राप्त करने का अधिकारी था, जिस तथ्य को स्वयं वादी ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है। तत्समय् वादी के अनुसार ग्राम पंचायत की कोई निजी आय नहीं थी, जिसकी वजह से वह अपना मानदेय नहीं उठा पाया था एवं वर्तमान सरपंच अब उसके मानदेय राशि को भुगतान हेतु पास नहीं कर रहा है। परन्तु उसके द्वारा वर्तमान सरपंच को मानदेय राशि के लिए कब प्रार्थना—पत्र पेश किया गया, इसका कोई उल्लेख दावे में नहीं किया गया है। जबकि दावा पेश किये जाने तक स्वयं मद संख्या—1 में कथन करता है कि वह ग्राम पंचायत जीवद से वर्तमान सत्र से पूर्व सत्र का पूर्णकालिक सरपंच रहा है। ऐसे में उसने अपना भुगतान प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, यह अस्पष्ट है। वादी ने पत्रावली पर विकास अधिकारी को पेश किये गये प्रार्थना—पत्र एवं जिला कलक्टर को दिये गये प्रार्थना—पत्र की प्रतियॉ तो पेश की है, परन्तु अपने बकाया भुगतान से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर पेश नहीं किये हैं। यहॉ तक कि वादी ने स्वयं के सरपंच पद पर पदस्थापित होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी अपने दावे में यह भी कथन कर रहा है कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान् लुहासा से खोहरी एवं लुहासा से बझेरा तक हुए ग्रेवल कार्य के लिए भी स्वयं की निजी राशि दी थी, जिसे भी वह अब प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु यह राशि किसकी अनुमति से व किन प्रावधानों के तहत ग्रेवल कार्य में लगाई गई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई दतावेजी प्रमाण अथवा मस्टरौल की प्रतियॉ पेश की गई है जिससे यह दर्शित हो कि वास्तव में ऐसा कोई कार्य किया गया था। हालांकि उक्त कार्य के सम्बन्ध में गवाह पी डब्ल्यू—2 भूदेव व

....4

पी डब्ल्यू—3 तेजपाल को पुष्टि बाबत् परीक्षित करवाया गया है एवं ये दोनों गवाह इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरी की थी, परन्तु इस निर्माण कार्य में वादी ने अपनी निजी राशि लगाई हो, यह इन गवाहान् की साक्ष्य से साबित नहीं होता है। वादी ने अपनी निजी राशि लगाये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हिसाब या लेखाजोखा रखा हो, न ही इसका उल्लेख दावे में है, न ही इसकी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। हालांकि प्रदर्श—6 विकास अधिकारी को भेजे गये प्रार्थना—पत्र पर ग्राम सचिव का इस आशय का नोट अंकित होना बताया गया

है कि वादी का 35 माह का मानदेय एवं ग्रेवल कार्य में लगाई गई राशि भुगतान हेतु बकाया है। परन्तु उक्त ग्राम सचिव को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि वास्तव में यह नोट ग्राम सचिव द्वारा ही डाला गया था एवं ग्राम सचिव की कथित नोट में भी मस्टरौल के अनुसार ग्रेवल कार्य की राशि बकाया होना बताई गई है। परन्तु ऐसी कोई मस्टरौल पत्रावली पर संलग्न नहीं है। वास्तव में किसी भी सरपंच द्वारा अपना मानदेय प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया है एवं वादी द्वारा मानदेय प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त प्रक्रिया को ग्रहण किया गया हो, यह उसकी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है। वादी ने सीधे ही ग्रामीण विकास कलक्टर, भरतपुर, विकास अधिकारी पंचायत समिति वैर, सचिव ग्राम पंचायत जीवद के विरूद्ध यह दावा राशि वसूल किये जाने बाबत् पेश कर दिया। जबकि सर्वप्रथम वादी के लिए यह घोषित करवाना आवश्यक है कि वास्तव में वह वैध रूप से इस राशि को प्राप्त करने का अधिकारी है भी या नहीं। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा न ही जब सीधे तौर पर वादी से राशि ली गई है एवं न ही प्रतिवादीगण द्वारा ग्रेवल कार्य में उसे राशि लगाने हेतु अथवा मानदेय त्यागने हेतु आदेशित किया गया था, ऐसे में प्रतिवादीगण वादी को किस प्रकार राशि अदा करने के दायित्वाधीन हैं, यह पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। वादी प्रतिवादीगण को दावा पेश करने से पूर्व नोटिस दिया जाना तो बता रहा है, परन्तु पत्रावली पर मात्र विकास अधिकारी को दिये गये नोटिस की प्रति ही प्रदर्श–1 के रूप में पेश की गई है।

9– इस स्तर पर पत्रावली पर न तो इस बात की कोई साक्ष्य है कि वादी ने ग्रेवल कार्य में निजी राशि उपयोग हेतु दी थी एवं न ही इस तथ्य की कोई साक्ष्य आई है कि वास्तव में वादी ने अपना 35 माह का मानदेय प्राप्त नहीं किया, जिसे प्रतिवादीगण अदा करने के उत्तरदायी हैं। अतः न्यायालय की राय में वादी उपरोक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। फलतः विवाद्यक संख्या–1 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

10– चूँकि विवाद्यक संख्या–1 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया गया है। अतः वादी

..5

का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् दिलाये जाने 20,320/–रूपये अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 07–04–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–07/2015

1– अमरसिंह पुत्र परसादीलाल जाति कोली निवासी कस्बा भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1– अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल भुसावर तहसील वैर।
2– हरिचरन पुत्र दौजी
3– मनोहरी | पि0 रूपराम
4– दौजी
5– देवीसिंह | पि0 परभाती
6– गिर्राज
7– पप्पू
8– बिशम्भर पुत्र रामा
9– दयाराम | पि0 धर्मी
10–सोहनलाल
11–रूपा
12–गोरधनी बेवा परमा
13– गोरधन | पि0 सोनपाल
14– प्यारे
15– बिजेन्दर नवीरा नानगा
16– जगन्नाथ | पि0 सुन्दर
17– बाबू
18– केदार
19– रूपचन्द
20– रामस्वरूप
21– टुण्डा | पिस0 श्यामलाल
22– हरि
23– कमरपाल | पिस0 किशन
24– भूरीसिंह

जातियान कोली निवासीयान कस्बा भुसावर तहसील वैर।

————प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनांकः–09–05–2017**

1– वादी की ओर से इस आशय का दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था कि कस्बा भुसावर तहसील वैर का वह मूल निवासी है, जिसकी पैतृक मकानियत भुसावर के कोली मौहल्ला में स्थित है एवं इसी मौहल्ले में वादी का प्लॉट जिसमें देवताओं के थान बने हुए है, जिसके तरफ उत्तर रास्ता आम सड़क सीसी नाप इस तरफ 40 फुट, तरफ दक्षिण प्लॉट ओमप्रकाश दरम्यान गली नाप इस तरफ 40 फुट, तरफ पूर्व आम रास्ता नाप इस तरफ 52 फुट तथा तरफ पश्चिम रास्ता आम नाप इस तरफ 52 फुट स्थित है। वादी के अनुसार यह प्लॉट पुश्तैनी है जिसमें वादी के पूर्वजों द्वारा बनाये हुए देवताओं के थान है एवं यह प्लॉट लकड़ी वगैरा व अन्य सामान रखने के काम आता है। इस प्लॉट में वादी द्वारा पेड़ भी लगाये हुए हैं तथा उत्तर की तरफ पत्थरों को चिनकर दीवार बनी हुई है, यह जानवार बांधने के काम आता है। इस प्लॉट पर नगरपालिका भुसावर का कभी कोई कब्जा व स्वामित्व नहीं रहा है। इस प्लॉट से लगे हुए अन्य लोगों के नौहरे व प्लॉट वगैरा काफी समय से पुराने बने हुए हैं। नगरपालिका भुसावर वादी के इस पुश्तैनी प्लॉट जमीन को जबर्दस्ती कब्जा करना चाह रही है। जिसके लिए दिनांक 01–10–2009 को नगरपालिका के कर्मचारियों ने वादी को खुलेआम धमकी दी तथा दिनांक 03–10–2009 को व दावा पेश करने के बाद दिनांक 07–10–2009 को प्रतिवादी संख्या–2 से 24 ने मुकद्मे में पक्षकार बनाने के पश्चात् वादी के स्वामित्व आधिपत्य वाले प्लॉट से सामान फैंक देने व थान को तोडफोड करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण इस धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति रूपयों में नहीं की जा सकेगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वह विवादित प्लॉट में किसी प्रकार की तोडफोड कर वादी को बेदखल न करें व उसके शान्तिपूर्वक कब्जे व उपयोग, उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, न वादी के प्लॉट में पेड, पत्थरों को ले जायें।

2– प्रतिवादी संख्या–1 नगरपालिका की ओर से इस आशय का जबाव पेश किया गया कि वाद–पत्र में दर्शित सीमाओं व पैमाईश का कोई प्लॉट वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का कोली मौहल्ला भुसावर में स्थित नहीं है। यह प्लॉट नगरपालिका भुसावर के स्वामित्व व आधिपत्य का है, जिसमें ग्राम पंचायत भुसावर द्वारा रास्ता आम की भूमि को छोड़कर दिनांक 27–10–1970 को निशुल्क पट्टे श्यामलाल, कलुआ, नानगा वगैरा, रामा वगैरा, रूपराम वगैरा, दौजी, किशन व धर्मी को जारी किये गये थे, जिन प्लॉटों पर इन पट्टेधारियों का ही कब्जा है एवं वे अपने–अपने अनुसार उपयोग में ले रहे हैं। वादी का विवादित प्लॉट से कोई लेनादेना नहीं है। वादी द्वारा कभी भी प्लॉट को उपयोग उपभोग में नहीं लिया गया है। वादी ने अपने प्लॉट से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः दावा खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 01–10–2009 को प्रतिवादी द्वारा वादी को इस प्लॉट से संबंधित कोई धमकी नहीं दी गई। वास्तव में यह दावा पेश करने से पूर्व नगरपालिका को दो माह का नोटिस नहीं दिया तथा न ही नगरपालिका के अध्यक्ष को इस दावे में पक्षकार बनाया गया है। वादी ने यह दावा गलत व झंठे आधारों पर पेश किया है। दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

3– प्रतिवादी संख्या 2 से 24 की ओर से निम्नलिखित आशय का जबावदावा पेश

किया गया व कथन किया गया कि ग्राम पंचायत भुसावर जो अब नगरपालिका भुसावर है, ने दिनांक 27–10–70 को विक्रय भूमि अधिकार–पत्र के जरिये प्रतिवादीगण को प्लॉट विक्रय कर मौके पर कब्जा दे दिये थे। जिनकी फोटो प्रतियॉ पत्रावली पर पेश की गई हैं। विवादित प्लॉट पर पूर्व से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादी का इस विवादित प्लॉट से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। अतः दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 06–07–2011 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित पडौसों के मध्य स्थित वादग्रस्त प्लॉट वादी का पुश्तैनी होकर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है?

––––– वादी

2– आया प्रतिवादी संख्या–1 वादग्रस्त प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहता है व इस हेतु दिनांक 01–10–2009 को खुलेआम धमकी दी?

–––––वादी

3– आया वादी ने दो माह का नोटिस नहीं दिया है। अतः वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है?

–––प्रतिवादी सं–1

4– आया बिना घोषणात्मक अनुतोष चाहे वादी का यह वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है?

–––प्रतिवादी सं–1

5– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 अमरसिंह (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू–2 रतीराम तथा पी डब्ल्यू–3 पदम तथा पी डब्ल्यू–4 हरीश भारद्वाज के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श–1, नोटिस नगरपालिका मण्डल भुसावर प्रदर्श–2, मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श पी–3, निरीक्षण बाबत् नोटिस प्रदर्श–4 तथा नक्शा प्रदर्श–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 नरसीलाल मीणा तथा डी डब्ल्यू–2 दयाराम बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा प्रदर्श डी–1 व नक्शा प्रदर्श डी–1ए लगायत प्रदर्श डी–8 व नक्शा प्रदर्श डी–8 ए को प्रदर्शित करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम तनकी संख्या–3 का निस्तारण किया जाना

उचित प्रतीत हो रहा है।

आया वादी ने दो माह का नोटिस नहीं दिया है। अतः वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है?

8– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर था जिसने अपने जबावदावे में यह कथन किया है कि वादी को नगरपालिका भुसावर के विरूद्ध यह दावा पेश करने से पूर्व विधिवत् रूप से दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जो कि प्रस्तुत मामले में न दिया जाकर सीधे ही नगरपालिका के विरूद्ध यह दावा पेश कर दिया गया है एवं इस त्रुटि के चलते यह दावा विधिवत् रूप से चलाये जाने योग्य नहीं है। इसे इस स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

9– जिसके सम्बन्ध में वादी पक्ष का यह कथन रहा है कि वादी द्वारा यह दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ही पेश किया गया है एवं इस सूरत में यह आवयक नहीं था कि वह प्रतिवादी संख्या–1 को दो माह पूर्व नोटिस देता। दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का था एवं यदि वादी नोटिस दिये जाने हेतु इन्तजार करता तो यह निश्चित रूप से ही वादी को उसकी भूमि से बेदखल कर देता।

10– सुना गया। दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। यह तथ्य सही है कि यदि नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरूद्ध उनके पदीय कर्तव्यों की हैसियत किये गये किसी कार्य बाबत् कोई वाद संस्थित किया जाता है तो धारा 304 नगरपालिका अधिनियम के अनुसार ऐसे वाद से दो माह पूर्व नगरपालिका के अधिकारियों को इस आशय का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु इस धारा की उपधारा–3 में स्पष्ट रूप से उल्लखित है कि जहॉ किसी दावे में दावाकृत अनुतोष केवल ऐसा व्यादेश है, जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से विफल हो सकता है तो वहॉ सीधे ही ऐसा वाद पेश किया जा सकता है। चूँकि प्रस्तुत मामले में वादी की ओर से मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का ही अनुतोष प्रस्तुत दावे में चला गया है एवं वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यदि उसके द्वारा उक्त नोटिस दिया जाता तो निश्चित रूप से प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से उसे वादग्रस्त जमीन से बेदखल कर दिया जाता एवं उसका दावा लाने का उद्देश्य विफल हो जाता। ऐसे में न्यायालय की राय में प्रतिवादी संख्या–1 विवाद्यक संख्या–3 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है एवं यह विवाद्यक प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–1 व 2</u>

आया वाद–पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित पडौसों के मध्य स्थित वादग्रस्त प्लॉट वादी का पुश्तैनी होकर वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है?

आया प्रतिवादी संख्या–1 वादग्रस्त प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहता है व इस हेतु दिनांक 01–10–2009 को खुलेआम धमकी दी?

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारित किया जा रहा है।

11– वादी ने इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विवादित प्लॉट पर वह अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में उक्त प्लॉट पर उसने देवताओं के थान बनाये हुए हैं तथा वहॉ वह लकडी व अन्य सामान डालकर रखता है। वादी के अनुसार उसने इस प्लॉट पर पेड़ भी लगाये हुए हैं वं उत्तर की तरफ पत्थर चिनकर एक दीवार बना रखी है। यह प्लॉट उसके जानवर बांधने के काम भी आता है, जिस पर अब नगरपालिका भुसावर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं वादी को इस विवादित प्लॉट से बेदखल किये जाने बाबत् दिनांक 01–10–2009 को खुलेआम यह धमकी दी गई है कि उसे बेदखल कर दिया जायेगा। वादी ने अपने समर्थन में स्वयं को पी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित करवाया व अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं साथ ही स्वतंत्र साक्षी के रूप में गवाह रतीराम पी डब्ल्यू–2, गवाह पदम पी डब्ल्यू–3 को भी परीक्षित करवाया व दौराने बहस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि नगरपालिका ने इस भूमि के पट्टे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 24 को आवंटित किया जाना बताया है। जबकि यह भूमि मात्र 40 X52 फुट की है, जिस पर इतने व्यक्तियों को आवंटित करना असम्भव है व यदि एकबार नगरपालिका उक्त पट्टे आवंटित कर चुकी है तो अब नगरपालिका को खाली कराने का कोई अधिकार नहीं बचा रहता है। वादी ने प्रतिवादी पक्ष के गवाह डी डब्ल्यू–1 नरसीलाल मीणा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल नगर की जिरह की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया तथा कथन किया कि स्वयं प्रतिवादी के गवाह विवादित भूमि के आसेपासे पता नहीं है एवं जो आसेपासे अधिशाषी अधिकारी द्वारा बताये गये वे नक्शों से मेल ही नहीं खाते हैं। उक्त प्लॉट सरकारी है या नगरपालिका का है, यह तथ्य भी इस गवाह को पता ही नहीं है। ऐसे में जिस गवाह के आधार पर प्रतिवादी पक्ष उक्त प्लॉट को नगरपालिका का होना बता रहे हैं, उसकी साक्ष्य अत्यन्त कमजोर प्रकृति की है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं स्वयं द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य व स्वतंत्र गवाहान् की साक्ष्य से यह तथ्य साबित होना बताया कि वह लम्बे समय से विवादित प्लॉट पर काबिज है, जिस पर से उसे हटाने का नगरपालिका का कोई अधिकार नहीं है। अतः भूमि स्वयं के स्वामित्व की होने के आधार पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

12– मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या–1 का इन विवाद्यकों के खण्डन में यह कथन रहा है कि विवादित प्लॉट के कब्जे व स्वामित्व की कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी के पास मौजूद नहीं है। पूर्व में भुसावर तहसील में ग्राम पंचायत का अस्तित्व था एवं ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1970 में ही विवादित प्लॉट व उसके आसपास की भूमियों के पट्टे विभिन्न व्यक्तियों को जारी किये गये थे, जिनमें से प्रतिवादी संख्या 2 से 24 भी शामिल हैं एवं चूॅकि अब भुसावर तहसील में नगरपालिका का अस्तित्व है। ऐसे में उक्त क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त भूमि नगरपालिका के अधीन है। चूॅकि वादी जबरन विवादित प्लॉट पर काबिज है एवं उसने नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे में वह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

नगरपालिका की ओर से गवाह डी डब्ल्यू–1 नरसीलाल को अपने समर्थन में परीक्षित करवाया गया एवं जिन व्यक्तियों को निशुल्क पट्टे जारी किये गये थे, उनके पट्टों की प्रतियॉ नक्शे आदि पत्रावली पर पेश किये हैं व यह भी कथन किया कि जो मामूली विरोधाभास डी डब्ल्यू–1 की जिरह में मौजूद हैं, वह मात्र इसलिए हैं चूॅकि अधिशाषी अधिकारी के पद पर लगातार स्थानान्तरण होते रहते हैं एवं पूर्व में जिन पदाधिकारी द्वारा इस दावे में प्रतिरक्षा की गई थी एवं नोटिस आदि दिये गये थे, वह स्थानान्तरण होने से अब अन्यत्र पदस्थापित हैं एवं वर्तमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा रिकार्ड के आधार पर आगे दावे में प्रतिरक्षा की जा रही है। साथ ही गवाह डी डब्ल्यू–2 दयाराम के बयानों की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया व कथन किया कि इस गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि ग्राम पंचायत भुसावर की ओर से उन्हें रिहायशी पट्टे निशुल्क आवंटित किये गये थे जब अधिवक्ता वादी द्वारा इस गवाह से जिरह की गई है तो भी इस गवाह ने वादी अमरसिंह का कब्जा नाजायज होना बताया है व कथन किया है कि यह कब्जा वादी द्वारा अवैध रूप से किया हुआ है, जिससे जाहिर है कि वादी इस भूमि पर काबिज रहने का अधिकारी नहीं है एवं न ही वह प्रतिवादी पक्ष को कोई भी कार्यवाही किये जाने से रोकने का अधिकारी है।

13– सुना गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वास्तव में वादी को अपना दावा अपने स्तर पर साबित करना है कि वह विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं? जिस बाबत सर्वप्रथम वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि वह विवादित भूमि पर वैध रूप से काबिज रहने का अधिकारी है, जिसके सम्बन्ध में वादी का यह कथन है कि वह इस भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज है। अर्थात् यह भूमि उसे विधिक रूप से पंचायत अथवा नगरपालिका द्वारा आवंटित की गई हो या उसने इसे विधि अनुसार क्रय किया हो, ऐसा कोई कथन वादी की ओर से नहीं किया गया है। जहॉ तक वादी का इस भूमि पर पूर्वर्जो के समय से काबिज होने का प्रश्न है तो वादी ने अपने सम्पूर्ण दावे में यह उल्लेख नहीं किया है कि उसके पूर्वज कितने समय से इस भूमि पर काबिज थे। सर्वप्रथम उसके किस पूर्वज द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया गया था, वादी द्वारा उस अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे वह इस भूमि पर स्वयं को काबिज होना बता रहा है। वादी द्वारा स्वयं अपने दावे में यह स्वीकृत है कि उसका एक पैतृक मकान भुसावर के कोली मौहल्ले में मौजूद है एवं इसी मौहल्ले में वह विवादित प्लॉट का भी होना बता रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तव में वादी के निवास के लिए इस प्लॉट से भिन्न है, जिस पर वह निवास करता है। विवादित प्लॉट पर उसके द्वारा मात्र देवताओं के थान होना बताया है एवं जानवारों को बांधने व लकडी आदि डालने का ही कथन किया है। वादी द्वारा इतने समय तक इस भूमि पर काबिज होने के पश्चात् भी इस भूमि बाबत् विधिपूर्वक पट्टा प्राप्त करने या आवंटन हेतु अन्य कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस सम्बन्ध में भी वादी मौन है। वादी ने अपने समर्थन में जिन गवाहान् को पेश किया है जो यह कथन करते हैं कि वादी लम्बे समय से इस भूमि पर काबिज है। वास्तव में गवाह पी डब्ल्यू–2 रतीराम स्वयं अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि वह वादी के बताये अनुसार ही बयान दे रहा है। यदि विवादित प्लॉट पर पेड़, ईधन, थान लकडी वगैरा नहीं हो तो वह नहीं बता

सकता। अर्थात् वास्तव में वादी का विवादित प्लॉट पर कब्जा हो, इस बात की स्पष्ट पुष्टि यह गवाह नहीं कर पा रहा है। अन्य स्वतंत्र साक्षी पी डब्ल्यू–3 पदम वादी का सगा भाई है जो कि हितबद्ध गवाह है जिसने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विवादित प्लॉट पर कोई पक्की बाउण्ड्री नहीं है। जबकि स्वाभाविक था कि यदि वादी इस विवादित प्लॉट पर अपना सामान डाल कर रखता तो इस पर अवश्य ही उसके द्वारा चार दीवारी की गई होती। अन्य प्रतिवादी पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया है कि वादी का ऐसा कोई प्लॉट मौके पर मौजूद नहीं है। अपितु वह अवैध रूप से वहॉ अतिक्रमण कर रहा है। गवाह डी डब्ल्यू–2 दयाराम भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि वादी का कब्जा नाजायज है। वादी इस स्तर पर अपने गवाहान की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि नगरपालिका के द्वारा उसे अवैध रूप से धमकी देकर विवादित प्लॉट से बेदखल करने के प्रयास किये गये हैं। चूॅकि वादी एक ओर तो अपने दावे में नगरपालिका द्वारा दिनांक 01–10–2009 व 03–10–2009 को बेदखल करने बाबत् धमकी देना बता रहा है, वहीं न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों की जिरह में वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि नगरपालिका द्वारा उसे 30–09–2009 को अतिक्रमण किये जाने बाबत् नोटिस दिया गया था एवं उसने तभी मुकदमा किया था। जबकि दावे में दिनांक 30–09–2009 को नगरपालिका द्वारा नोटिस दिये जाने का कोई कथन वादी ने नहीं किया है। यदि नगरपालिका द्वारा उसे किसी प्रकार का नोटिस दिया गया था तो वह विधि अनुरूप इसका जबाव नगरपालिका को पेश कर सकता था एवं उसके पश्चात् भी यदि नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य किया जाता तो वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ सकता था, परन्तु वादी ने दावे में नोटिस का कोई का कोई उल्लेख किये बिना नगरपालिका की कार्यवाही को सीधे ही अवैध बताया व धमकी देने का कथन किया है जो कि इस स्तर पर साबित नहीं है। अतः न्यायालय की राय में विवाद्यक संख्या 1 व 2 भी वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। ये दोनों ही विवाद्यक विरूद्ध वादी विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

आया बिना घोषणात्मक अनुतोष चाहे वादी का यह वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है।

14– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर था, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी का यह कथन है कि विधिअनुसार वादी को सर्वप्रथम विवादित भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक दावा पेश किया जाना चाहिए था एवं उक्त भूमि को अपने स्वामित्व की घोषित करवाने के पश्चात् ही वह इस भूमि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसके खण्डन में वादी पक्ष का यह कथन रहा है कि चूॅकि विवादित भूमि उसके पूर्वजों के समय से ही स्वामित्व एवं कब्जे में चली आ रही है एवं नगरपालिका का इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में उसे घोषणात्मक अनुतोष की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के कथन विरोधाभासी है एवं विवादित भूमि जो कि बहुत ही कम क्षेत्रफल की है, उस पर प्रतिवादी पक्ष अधिक संख्या में पट्टा आवंटित किये जाने का कथन कर रहे हैं जो कि विरोधाभासी है, इसलिए वादी का दावा चलने

योग्य है।

15– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। जहॉ तक वादी का यह कथन है कि प्रतिवादी पक्ष के कथन विरोधाभासी हैं तथा वह इस स्तर पर माने जाने योग्य नहीं है। चूॅकि जैसा कि न्यायालय पूर्व में भी विवेचन कर चुका है कि अपना दावा साबित करने का भार स्वयं वादी पर है। प्रतिवादी पक्ष का कोई प्रतिदावा इस स्तर पर मौजूद नहीं है। अतः वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसने दावा विधि अनुसार पेश किया। वादी द्वारा यह स्वीकार्य है कि उक्त भूमि के स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, न ही वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश की है, जिससे यह जाहिर हो कि वादी द्वारा विवादित भूमि को विधिपूर्वक प्राप्त किया गया था। वह मात्र इस भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा होने के आधार पर ही यह स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। अर्थात् अपने स्वामित्व की घोषणा के बिना सीधे ही वादी उक्त अनुतोष बाबत् न्यायालय से निवेदन कर रहा है। जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त् है कि यदि वादी का स्वामित्व ही न्यायालय के समक्ष साबित नहीं है तो वह सीधे निषेधाज्ञा बाबत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। सर्वप्रथम वादी को विवादित सम्पत्ति के अधिकारों को साबित करना आवश्यक है। इस स्तर पर तो वादी ने यह भी साबित नहीं किया है कि उसका निरन्तर अबाधित कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक नजीर में भी व्यक्त किया गया है

1– अन्थुला सुधाकर बनाम पी बुच्ची रेड्डी व अन्य 25 मार्च 2008

16– वास्तव में विधि अनुसार वादी के लिए आवश्यक था कि वह सर्वप्रथम विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपने स्वामित्व की घोषणा करवाता एवं तत्पश्चात् वह न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन करता जो कि प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया है। अतः न्यायालय की राय में विधि अनुसार ही वादी इस स्तर पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं यह विवाद्यक विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

17– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1, 2 व 4 वादी के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर

खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 09–05–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला —भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः—</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः—33 / 2016(36 / 2007)

1— मुस0 सोनी वेवा रामस्वरूप 2— इन्दरसिंह 3— भगवानसिंह 4— मोहनसिंह	पुत्रान रामस्वरूप	जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

————— वादीगण

बनाम

1— तेजसिंह पुत्र घीसीसिंह 2— भगवतशरण पुत्र घीसीसिंह 3— गजेन्द्र सिंह पुत्र तेजसिंह 4— जीतू पुत्र तेजसिंह 5— नीतू पुत्र भगवतशरण	जाति जाट निवासी ग्राम नैवाडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

—————प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1—श्री हरीश भारद्वाज, विद्वान अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2—श्री दौलतराम वैरवा, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>—:: निर्णय ::—</u> **<u>दिनांकः—27—05—2017</u>**

1— वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26—07—2007 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक 195 दिनांकित 31—05—2016 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की मूल पत्रावली गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में जल कर नष्ट हो जाने पर श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0 / 4356 दिनांक 19—07—2007 द्वारा पत्रावली के पुनः निर्माण की कार्यवाही करने के आदेश के उपरान्त् उभय पक्षकारान् द्वारा मूल दावे से संबंधित रिकार्ड पेश करने पर पुनः संधारित की गई है।

2— वादी पक्ष की ओर से इस आशय का दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया

गया कि उनके स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय भूखण्ड (गैत) ग्राम नैवाडा तहसील वैर जिला भरतपुर में जिसके तरफ उत्तर गैत खुशीराम रामदयाल जाट का नाप इस तरफ 24 फुट, तरफ दक्षिण आम रास्ता नाप इस तरफ 20 फुट, तरफ पूर्व गैत जमीन प्रतिवादीगण नाप इस तरफ 42 फुट तथा तरफ पश्चिम आम रास्ता नाप इस तरफ 42 फुट स्थित है। वादीगण को यह भूखण्ड खुशीराम, रामदयाल, घीसीराम, रामस्वरूप के बॅटवारे में उनके पिता रामस्वरूप को प्राप्त होने व रामस्वरूप के बंशज होने से प्राप्त हुआ। रामस्वरूप की मृत्यु के पश्चात् वादीगण इस भूखण्ड में तीन गैह की पाटौर डालकर व सीमाबन्दी आदि कर लम्बे समय से काबिज हैं व इस भूखण्ड पर बनी पाटौर पोश में तूडा भरा हुआ है, जिसमें अचानक आग लग जाने के कारण पाटौर पोश की पट्टियॉ टूट गई थीं व कुछ हिस्सा भी जल गया था। जहॉ अब नया पाटौर पोश भी स्थापित किया गया है। वादीगण इस जमीन में उपले थापते हैं व अपनी लकडियॉ आदि रख लेते हैं। इस भूखण्ड के पूर्व में प्रतिवादी के हिस्से के गैत हैं, लेकिन प्रतिवादीगण का वादीगण के आवासीय भूखण्ड से कोई वास्ता नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण ताकतवर व्यक्ति हैं एवं वे वादी पक्ष के इस भूखण्ड को जबरन हथियाना चाहते हैं, जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 17–05–2007 को वादीगण अपने भूखण्ड में थपे हुए उपले बिटौरा लगाने के लिए गये तो प्रतिवादीगण मौके पर आये व धमकी दी कि इस गैत से वादीगण को कोई लेनादेना नहीं है। आईन्दा यहॉ पैर नहीं रखोगे व विवादित जमीन को अपनी जमीन में मिलाने की धमकी दी जबकि वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय रामस्वरूप को यह भूमि बंटवारे में मिली थी जो विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई है। यदि प्रतिवादीगण इस जमीन पर नाजायज कब्जा करने में सफल हो गये तो वादी पक्ष को अपूरणीय क्षति होगी, ऐसे में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः यह भूमि वादी पक्ष की कब्जे व उपयोग, उपभोग की घोषित की जाये। साथ ही प्रतिवादीगण को इस पर अतिक्रमण व जबरन कब्जा करने से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

3– प्रतिवादी पक्ष ने लिखित जबावदावा पेश कर कथन किया कि वादीगण की कोई जमीन वाद–पत्र में वर्णितानुसार नहीं है, अपितु गैत जमीन व पाटौर पोश प्रतिवादीगण के जमीन का भाग है। वाद–पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित प्लॉट वादीगण को कभी भी बंटवारे में प्राप्त हुआ है। अपितु जबावदावे की मद संख्या–1 में वर्णित पाटौर पोश की मद संख्या–1 में वर्णित पाटौर पोश प्रतिवादीगण को अपने पिता से प्राप्त हुआ है एवं प्रतिवादीगण के पिता घीसीसिंह को भाई बुद्धी, देवीराम व रामदयाल से पारिवारिक विभाजन में करीब पचास वर्ष पूर्व यह पाटौर न्यारान्यूर प्राप्त हुई थी। बंटवारे के बाद देवीराम ने इस गैत जमीन का आधा दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता को बेचान कर दिया था एवं इस प्रकार घीसीसिंह उक्त गैत जमीन के सम्पूर्ण मालिक व काबिज हो गये थे एवं स्वर्गीय घीसीसिंह ने ही इस जमीन में तीन गैह की पाटौर पोश डाल दी थी, जिसे प्रतिवादीगण एवं इनके पिता पशु बांधने, ईंधन व उपला रखने के काम में लेते थे। वादीगण के दादा स्वर्गीय बुद्धी सिंह, रामदयाल व देवीराम के बंटवारे में आई भूमि को जबावदावे के साथ संलग्न मानचित्र में एक स्थान से दर्शाया हुआ है। वादीगण ने अपने बंटवारे में प्राप्त पाटौर पोश गैत जमीन में से 21X19 फुट लम्बाई–चौडाई के भूखण्ड को स्वर्गीय शिवसिंह नैवाडा तहसील वैर को बेचान कर दिया था जिसमें शिवसिंह की दो

गैह की पाटौर डली हुई है। इस प्रकार वादीगण व उनके पिता रामस्वरूप का पारिवारिक विभाजन के बाद से मानचित्र भाग–1 में लाल रंग से प्रदर्शित पाटौर पोश एवं गैत जमीन से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहा है, किन्तु वादीगण के मन में अब बद्यान्ति आ गई है व दावा असत्य आधारों पर पेश किया गया है। वादीगण ने कभी भी वादग्रस्त पाटौर पोश गैत जमीन को उपयोग में नहीं लिया, न ही उनका कब्जा है। अपितु प्रतिवादीगण ही इस पर काबिज हैं। वादीगण ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में भी एक वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो आगजनी में जल चुका है। दूसरा दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति नहीं ली है। वादग्रस्त गैत जमीन व पाटौर पोश को शामिल करते हुए अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन बाबत् एक दावा प्रतिवादीगण ने डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा का तेजसिंह बनाम इन्दरसिंह के नाम से पूर्व में ही न्यायालय में दायर कर रखा है। जिसमें पूर्व से न्यायालय द्वारा वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है, इसलिए यह दावा धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित किये जाने योग्य है। वादीगण ने बिना कब्जा वापिसी का अनुतोष चाहे यह दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। साथ ही खुशीराम, रामदयाल, घीसीराम, रामस्वरूप के अन्य विधिक वारिसान को भी मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे दावा खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05–09–2009 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– वाद–पत्र की मद संख्या–1 में वर्णित आवासीय भूखण्ड वादीगण के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य का है?

———— वादीगण

2– आवासीय भूखण्ड वादीगण को विरासत में अपने पिता से प्राप्त हुआ। जिन्हें वह रामदयाल, घीसीराम, खुशीराम व रामस्वरूप चारों के मध्य बंटवारे में प्राप्त हुआ?

———— वादीगण

3– दिनांक 17–05–2007 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को आवासीय भूखण्ड का उपयोग उपभोग ना करने देने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ?

———— वादीगण

4– जबावदावे की मद संख्या–1 में वर्णित जायदार प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है जो प्रतिवादीगण के पिता को पारिवारिक विभाजन व बेचान में प्राप्त हुई थी?

———प्रतिवादीगण

5– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 भगवानसिंह (स्वयं वादी), पी डब्ल्यू–2 सतीश तथा पी डब्ल्यू–3 रमनलाल के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श–1, इकरानामा प्रदर्श–2 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 जयसिंह तथा डी

डब्ल्यू–2 समयसिंह तथा डी डब्ल्यू–3 तेजसिंह बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1,2 व 4</u>

8– उक्त तनकीयात एक–दूसरे से अन्तर संबंधित होने व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उक्त तनकीयात का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या–1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण व विवाद्यक संख्या–4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में वादीगण का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि विवादित भूमि वास्तव में उन्हें अपने पति एवं पिता स्वर्गीय रामस्वरूप के वारिस होने की हैसियत से प्राप्त हुई है एवं उनके पिता रामस्वरूप को यह भूमि खुशीराम, रामदयाल, घीसीराम के मध्य हुए बंटवारे से प्राप्त हुई है। चूँकि अब रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में उसके वारिस होने से व इस भूमि पर लम्बे समय से काबिज होने से भूमि पर स्वामित्व व आधिपत्य वादी पक्ष का हो जाता है। वादी पक्ष ने यह भी कथन किया है कि वह लम्बे समय से इस भूमि पर ईंधन बाबत् लकडियॉ, उपले रखकर काबिज हैं, जहॉ पर उन्होंने एक पाटौर भी डाली हुई है। अब चूँकि प्रतिवादीगण जो कि वादीगण के आवासीय भूखण्ड के पूर्वी तरफ काबिज हैं, इस भूमि को भी हड़पना चाहते हैं व दिनांक 17–05–2007 को इस बाबत् प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी भी दी। ऐसे में वादी पक्ष यह घोषणा करवाना चाहता है कि विवादित भूमि उनके पिता व पति रामस्वरूप को बंटवारे में प्राप्त हुई थी, जिसका अब वह मालिक है। वादीगण की ओर से स्वयं वादी भगवानसिंह न्यायालय के समक्ष पी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में वाद–पत्र के कथनों को दोहराया एवं जिरह में वादी ने कथन किया कि नक्शा प्रदर्श–1 में दर्शायी गयी भूमि उनकी है। इकरारनामा प्रदर्श–2 की लिखापढी उसके सामने हुई थी तथा उसका भाई भी वहॉ मौजूद था। प्रदर्श–2 को गॉव के ही एक व्यक्ति नैमी ने लिखा था व बुजुर्गों ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। इस इकरारनामे में विवादित प्लॉट के पूर्व में 42, पश्चिम में 42, उत्तर में 24 व दक्षिण में 20 फुट अंकित किया हुआ है। नाप वाला इकरानामा इस पत्रावली पर पेश नहीं किया। इकरारनामा का हवाला शपथ–पत्र की किस मद में दिया, ध्यान नहीं। उक्त इकरारनामे में बंटवारे में गवाह को जमीन मिली है। विवादित प्लॉट के उत्तर में स्वयं की जमीन को छोड़कर गवाह घीसी सिंह की जमीन होना बता रहा है। इकरारनामा किस तारीख को लिखा गया, ध्यान नहीं होने का कथन किया। इस सुझाव को सही बताया कि बंटवारा घीसीसिंह, खुशीराम, रामदयाल व रामस्वरूप के बीच हुआ था तथा घीसीसिंह प्रतिवादीगण का पिता है। पाटौर कितनी लम्बाई–चौडाई में डली हुई है। पिता ने इकरानामे पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से इन्कार किया व अपने भाई इन्दर के हस्ताक्षर होना बताया। इकरारनामा गुर्जर आरक्षण में जल जाने का कथन यह गवाह करता है। गवाह पी डब्ल्यू–2 सतीश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण को अपने पिता रामस्वरूप से प्राप्त हुई थी एवं

रामस्वरूप को यह भूमि भाई बंटवारे में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। जब इस गवाह से जिरह की गई तो इसने स्वीकार किया कि विवादित भूखण्ड की लम्बाई–चौडाई के आधार पर यह नहीं बता सकता। उसने शपथ–पत्र किस तारीख को पेश किया, नहीं बता सकता। प्रतिवादीगण ने वादी पक्ष को धमकी किस तारीख को दी, नहीं बता सकता। विवादित स्थल के उत्तर में वह स्वयं का मकान होना बता रहा है व दक्षिण में आम रास्ता पूर्व में आयुर्वेदिक अस्पताल व पश्चिम में तेजसिंह का कमरा बना रहा है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि विवादित स्थल में तेजसिंह वगैरा का घूडा लकडी आदि नहीं पड़े। वादिया सोनो का जिन्दा होना बताया। गवाह पी डब्ल्यू–3 रमनलाल नक्शानवीश है, जो स्वयं के द्वारा विवादित स्थल का नक्शा बनाये जाने की पुष्टि कर रहा है, जिसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने नक्शा प्रदर्श–1 मौके के अनुसार नहीं बनाया। अपितु इन्दरसिंह की हिदायत के अनुसार बनाया था। यदि विवादित भूमि किसी अन्य व्यक्ति की हो तो वह नहीं कह सकता।

9– अपने समर्थन में नक्शा प्रदर्श–1 वादी पक्ष की ओर से पेश किया गया है। साथ ही न्यायालय का ध्यान प्रदर्श–2 इकरारनामे की ओर भी आकर्षित कर यह कथन किया गया कि यह भूमि वादी पक्ष के पिता व पति रामस्वरूप को बंटवारे में प्राप्त हुई थी एवं दौराने बहस कथन किया कि वादीगण का कब्जा उनकी मौखिक साक्ष्य से साबित है।

10– प्रतिवादी पक्ष ने खण्डन स्वरूप यह कथन किया कि वास्तव में विवादित भूमि के आसे–पासे ही वादीगण ने गलत बताये हैं एवं यह भूमि पारिवारिक विभाजन में प्रतिवादीगण के पिता घीसीसिंह को प्राप्त हुई थी एवं घीसीसिंह के वारिस होने से अब यह भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आ गई है, जिस पर प्रतिवादीगण ही काबिज हैं। वादीगण जबरन बद्नियतिपूर्वक इस भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण के पिता घीसीसिंह के भाई देवीराम ने अपने हिस्से में आई भूमि भी घीसीसिंह को ही बेचान कर दी थी, जिस पर ही आज दिनांक तक घीसीसिंह के वारिसान काबिज हैं। वास्तव में यह भूमि प्रतिवादी पक्ष के आधिपत्य एवं कब्जे की है व अपने समर्थन में प्रतिवादी स्वयं डी डब्ल्यू–3 तेजसिंह परीक्षित हुआ है व अन्य गवाह डी डब्ल्यू–1 जयसिंह व डी डब्ल्यू–2 समयसिंह को भी परीक्षित करवाया। तेजसिंह ने अपने शपथ–पत्र में जबावदावे के कथनों को दोहराया व जिरह में कथन किया कि दावे में साबुदीन व समयसिंह पक्षकार नहीं है। इसी विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में भी तेजसिंह बनाम इन्दरसिंह नाम से मुकदमा नम्बर 210/10 न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 24–08–2012 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि प्रदर्श–1 में लाल रंग से दिखाई गई जमीन का दावा खारिज हो गया था। विभाजन में विवादित भूमि घीसीसिंह के बंटवारे में आना बता रहा है। विभाजन में किसको कौनसी जमीन हिस्से में आई, इस बाबत् लिखावट होने से इन्कार कर रहा है। वादीगण ने उन्हीं परिवार के सदस्य होना स्वीकार किया। गवाह डी डब्ल्यू–1 जयसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण तेजसिंह वगैरा की है, जिस पर वह अपने पिता घीसीसिंह के जीवनकाल से ही काबिज है। वादीगण द्वारा दावा गलत पेश किया गया है। जिरह में

गवाह ने कथन किया कि विवादित जमीन की उसे नाप वगैरा मालुम नहीं है। घीसीसिंह की मृत्यु कब हुई, पता नहीं। तेजसिंह ने सोनो वगैरा के खिलाफ गैत की जगह के लिए दावा किया हो तो पता नहीं है। यह भी कथन किया कि वह जिस दावे में बयान दे रहा है, वह गत तथ्यो पर पेश किया गया है। गवाह डी डब्ल्यू–2 समयसिंह ने भी विवादित भूमि प्रतिवादीगण की होना अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में बताया है। परन्तु जिरह में स्वीकार किया कि विवादित जगह की नाप आदि पता नहीं है। घीसीसिंह की मृत्यु कब हुई, पता नहीं है। उसे तेजसिंह ने गवाही देने के लिए कहा था। शपथ–पत्र की इबारत उसने नहीं लिखाई, पढ़कर हस्ताक्षर किये थे। इस सुझाव को सही बताया है कि विवादित स्थल के उत्तर में खुशीराम के गैत हैं, दक्षिण में रास्ता आम है।

11– इन विवाद्यकों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की ओर से किये गये कथनों व पेश की गई है साक्ष्य पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया। मुख्य रूप से वादी पक्ष विवादित भूमि को अपने पिता व पति के समय से ही स्वयं के द्वारा उपयोग, उपभोग करना बता रहे हैं। वे यह कथन करते हैं कि यह भूमि उनके पिता व पति रामस्वरूप को अपने भाईयों से पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी एवं बंटवारे के सम्बन्ध में प्रदर्श–2 इकरारनामा पेश किया गया व यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण स्वयं बंटवारे को स्वीकार करते हैं। ऐसे में यह साबित है कि 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हुआ था, जिसमें यह भूमि स्वर्गीय रामस्वरूप को प्राप्त हुई थी। इसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी एक दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किया जा चुका है। चूँकि प्रतिवादीगण इस भूमि को स्वयं की घोषित करवाना चाहते थे। दौराने बहस अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से यह भी कथन किया गया कि दस्तावेज प्रदर्श–2 प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारा स्वीकार किये जाने से स्वयं ही साबित है एवं यदि यह दस्तावेज गलत व मिथ्या होता तो इसे प्रतिवादीगण फर्जी व शून्य घोषित करवा सकते थे जो कि उन्होंने नहीं करवाया। इन सभी कथनों के विपरीत प्रतिवादी पक्ष का कथन है कि दस्तावेज प्रदर्श–2 का कोई हवाला दावे में वादी पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है, जिससे जाहिर है कि यह दस्तावेज आगामी स्तर पर कूटरचित बनाया गया, साथ ही नक्शा प्रदर्श–1 में गवाह पी डब्ल्यू–2 सतीश का कोई मकान दक्षिण दिशा में दर्शित नहीं हो रहा है, जिससे जाहिर है कि यह गवाह मौके की वास्तविक स्थिति नहीं जानता है व मिथ्या कथन कर रहा है। इसी प्रकार स्वयं वादी भगवानसिंह अपनी जिरह में उत्तर में घीसीसिंह की जमीन बताता है, जो कि नक्शा में दर्शित नहीं है। नक्शानवीश व भगवानसिंह के नक्शा बनाये जाने के कथनों में ही विरोधाभास है। चूँकि भगवानसिंह के अनुसार नक्शा मौके पर जाकर बनाया गया था जबकि नक्शानवीश रमनलाल ने नक्शा मौके के अनुसार नहीं बनाया गया, मात्र इन्दरसिंह की हिदायत अनुसार बनाया गया था।

12– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विवाद्यक संख्या–4 मात्र खण्डन के रूप में किये गये प्रतिवादीगण के कथन हैं। प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रतिदावा पेश नहीं किया गया है। ऐसे में इसे न्यायालय मात्र खण्डन के रूप में ही निर्धारित करना उचित पाता है। अब भार वादी पक्ष पर है कि वह अपने विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साक्ष्य से साबित करता। सर्वप्रथम तो यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष में से केवल एक ही व्यक्ति वादी संख्या–3 भगवानसिंह ही न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। अन्य

वादीगण न्यायालय के समक्ष परीक्षित ही नहीं हुए हैं। हालांकि अपने कब्जे को साबित करने के लिए स्वतंत्र साक्षियों को वादी पक्ष ने अपने समर्थन में पेश अवश्य किया, परन्तु वे जिरह में न ही तो विवादित स्थल की लम्बाई–चौडाई बताने में समर्थ हैं, न ही यह बताने में समर्थ हैं कि प्रतिवादीगण ने वादी पक्ष को बेदखल करने की धमकी कब दी थी जबकि वादीगण को वादकारण हुआ हो, जिससे न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट ही नहीं है कि वास्तव में गवाह सतीश इस तथ्य की जानकारी रखता है कि वादीगण लम्बे समय से कितनी नाप व लम्बाई–चौडाई की भूमि पर काबिज हैं एवं वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा कोई धमकी वादी पक्ष को दी जा रही है। यहॉ तक कि नक्शानवीश ने भी यह कथन किया है कि उसने नक्शा मौके के अनुसार नहीं बनाया, इन्दरसिंह की हिदायत अनुसार बनाया था एवं इन्दरसिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। वादी पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि वह लम्बे समय से इस भूमि पर काबिज हैं एवं यह भूमि वास्तव में उन्हें अपने पिता व पति से प्राप्त हुई है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि वादी पक्ष स्वर्गीय रामस्वरूप के बंशज हैं, परन्तु रामस्वरूप को यह भूमि अपने भाईयों से प्राप्त हुई हो, इस बात का कोई सुदृढ़ प्रमाण पत्रावली पर नहीं आया है। चूॅकि न ही तो पचास वर्ष पुराने कब्जे के स्वयं गवाह पत्रावली पर पेश हुए हैं, न ही दस्तावेजी साक्ष्य इस बाबत् मौजूद है। हालांकि प्रदर्श–2 इकरारनामा बंटवारे बाबत् लिखना बताया गया है, लेकिन इस इकरारनामे पर न ही तो दिनांक अंकित है, न ही यह किसी प्रकार से पंजीकृत दस्तावेज है। यहॉ तक कि इस दस्तावेज में विवादित भूमि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। वादी पक्ष के पास यह अवसर मौजूद था कि वह इस दस्तावेज को उन गवाहों से साबित करवाता जिनके हस्ताक्षर इस पर मौजूद हैं, परन्तु वादी पक्ष द्वारा ऐसा भी कोई स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। स्वयं वादी द्वारा यह जिरह में स्वीकार किया गया है कि इस इकरारनामे पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, उसके भाई इन्दरसिंह के हस्ताक्षर हैं एवं इन्दरसिंह वादी होते हुए भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ। विवादित स्थल की कोई फोटोग्राफ अथवा 50 वर्ष से चले आ रहे कब्जे के अन्य कोई प्रमाण भी पत्रावली पर पेश नहीं किये गये हैं। जबकि यह आवश्यक था कि विवादित भूमि को अपनी कब्जे व स्वामित्व की घोषित करवाने हेतु सर्वप्रथम वादी पक्ष यह साबित करता कि यह भूमि विधिक रूप से उन्हें प्राप्त हुई है एवं वह इस पर निरन्तर लम्बे समय से काबिज चले आ रहे हैं। ये दोनों ही तथ्य न्यायालय की राय में वादी पक्ष अपनी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये हैं जो साक्ष्य उनकी ओर से पेश की गई है, वह घोषणात्मक अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है, न ही सुदृढ़ प्रकृति की है। वादी पक्ष न ही तो विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व, कब्जा व आधिपत्य होना साबित कर पाया है एवं न ही इस तथ्य को साबित कर पाया है कि यह भूमि उनके पिता व पति को भाई बंटवारे में प्राप्त हुई थी। हालांकि प्रतिवादीगण के इस कथन को वादी पक्ष स्वीकृति होना बता रहा है कि बंटवारे में यह भूमि घीसीसिंह को प्राप्त हुई थी, परन्तु न्यायालय की राय में यह स्वीकृति नहीं है, चूॅकि प्रतिवादीगण ने यह कथन खण्डन स्वरूप किया है एवं यह स्पष्ट किया है कि यह भूमि रामस्वरूप को प्राप्त नहीं हुई थी। अपितु घीसीसिंह को प्राप्त हुई थी, जिसे न्यायालय की राय में वादीगण द्वारा बताया गया बंटवारा भी साबित नहीं हुआ है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 को विरूद्ध वादी पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष के हक में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4 चूॅकि खण्डनात्मक प्रकृति का कथन है, जिसका उल्लेख

ऊपर किया जा चुका है व चूँकि इस बाबत् कोई प्रतिदावा नहीं है। अतः न्यायालय इसे पृथक से तय करना आवश्यक नहीं पाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

13– इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पक्ष पर था। विवाद्यक संख्या–3 के सम्बन्ध में वादी पक्ष का कथन है कि उन्हें प्रतिवादी पक्ष द्वारा दिनांक 17–05–2007 को विवादित भूमि से बेदखल करके जबरन विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी गई जिससे उन्हें वादकारण उत्पन्न हुआ। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष का कथन रहा है कि ऐसी कोई धमकी उनके द्वारा वादी पक्ष को नहीं दी गई, न ही कोई वादकारण उनके विरूद्ध उत्पन्न हुआ है।

14– दोनों पक्षों को सुना गया। वादी पक्ष ने इस तथ्य को साबित करने के लिए स्वतंत्र साक्षी सतीश को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया था, परन्तु उसने स्वयं अपनी जिरह में स्वीकार किया कि धमकी किस तारीख को दी गई थी, वह नहीं बता सकता। ऐसे में वास्तव में इसके समक्ष ही प्रतिवादीगण ने कोई विवाद किया हो अथवा धमकी दी हो, यह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से साबित नहीं है। साथ ही यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विवाद्यक संख्या–1 व 2 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है एवं वादी पक्ष को यदि वादकारण उत्पन्न हुआ भी है तो भी वह अपने पक्ष में दावा साबित करने में असफल हो गया है। ऐसे में इस तनकी को विस्तृत रूप से विचारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी पक्ष तय की जाती है।

अ नु तो ष

15– चूँकि विवाद्यक संख्या–1 व 2 वादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>– :: आ दे श :: –</u>

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 27–05–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–140/2013(63/2010)

1– श्रीमती धापादेवी बेवा शिवनारायण जाति माली निवासी कुम्हेर गेट कस्बा वैर(मृतक)
2– रघुवीर | पिसरान शिवनारायण जाति माली निवासी कुम्हेर गेट, वैर तहसील वैर
3– होतीच |
4– लालाराम |
4– सुरेश |
5– श्रीमती किरनदेई | पुत्रीयान शिवनारायण जाति माली निवासी कुम्हेर गेट, वैर।
6– श्रीमती रामदेई |

———— वादीगण

बनाम

1– श्रीमती बालोदेवी बेवा नन्दराम उर्फ नंदाराम | जाति माली निवासी कुम्हेर गेट, वैर।
2– मुकेश | पिसरान नंदराम उर्फ नंदाराम |
3– अशोक |
4– रामेश्वर |

————प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत् हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री एल0एन0 गर्ग, विद्वान अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2–श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–31–05–2017</u>**

1– वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 20–05–2010 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/94 दिनांकित 20–07–2013 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी पक्ष की ओर से इस आशय का वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था कि वादीगण के पति व पिता स्वर्गीय श्री शिवनारायण निवासी कस्बा वैर का छोड़ा हुआ एक प्लॉट मकानियत कस्बा वैर के वार्ड नम्बर 19 कुम्हेर गेट के पास

.....2

स्थित है, जिसके तरफ उत्तर पुख्ता मकान लक्ष्मन, मूली, करन माली का चपेटा से नाप इस तरफ 36 फुट है, तरफ दक्षिण पूर्व में जमीन गढ़ नगरपालिका व हाल मकान मनफूल, पूरन माली का चपेटा से नाप इस तरफ 36 फुट, तरफ पूर्व रास्ता आम नाप इस तरफ 50 व तरफ पश्चिम खाई नगरपालिका वर्तमान में पाटौर पोश परभाती माली नाप इस तरफ 50 फुट स्थित है। इस प्लॉट व मकानियत को शिवनारायण द्वारा नगरपालिका वैर से 450/–रूपये में क्रय किया गया था, जिसका विक्रय–पत्र दिनांक 13–01–67 है जो कि नगरपालिका वैर द्वारा शिवनारायण को जारी किया हुआ है। शिवनारायण जब तक जीवित रहे, इस प्लॉट पर मालिक व काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण इस पर बतौर उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे हैं। इस प्लॉट के आधे हिस्से में मकानियत बनी हुई है जो शिवनारायण के जीवनकाल में ही बनवाई गई थी तथा आधे हिस्से में टीनपोश डली हुई है, जिसमें पशुओं का चारा भरने व बांधने के काम लिया जाता है। मकानियत इस प्लॉट के दक्षिण में है व उत्तर में खाली जगह में टीनपोश है, जिसके पास तीन नींव के पेड़ भी है। प्रतिवादीगण का इस प्लॉट से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु वह ताकत के बल पर जबर्दस्ती नींव खोदकर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण के विरोध के बावाजूद भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 19–05–2010 को धमकी दी कि वे इस प्लॉट के खाली हिस्से में जबर्दस्ती कब्जा करेंगे व अपना पुख्ता निर्माण करेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में सफल हो जाते हैं तो वादीगण को भारी क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन दृव्य में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वह विवादित प्लॉट में नींव खोदकर व अन्य किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं करें।

3– प्रतिवादी पक्ष ने लिखित जबावदावा पेश कर कथन किया कि वादी पक्ष ने जो सीमाऐं विवादित प्लॉट की दर्शाई हैं, वह गलत है। उक्त प्लॉट 36X50 फुट का वादीगण के पिता व पति शिवनारायण द्वारा क्रय किया गया था, परन्तु इस विवादित प्लॉट व सड़क के मध्य 106 वर्गगज की भूमि को वादीगण के पिता/पति शिवनारायण व प्रतिवादीगण के पति व पिता नन्दराम ने संयुक्त रूप से नगरपालिका वैर से 17–06–1987 को 1350/–रूपये में क्रय किया था तथा दिनांक 16–04–98 को शिवनारायण ने उस प्लॉट के आधे हिस्से को नन्दराम को पारिवारिक विभाजन में दिया था तथा जिसकी लम्बाई–चौडाई 5/–रूपये के स्टाम्प पर की गई थी तब से प्रतिवादीगण ही विवादित प्लॉट के आधे हिस्से पर बतौर मालिक काबिज चले आ रहे हैं, जिस पर वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस प्लॉट के उत्तरी हिस्से पर प्रतिवादीगण का ही अधिकार है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को कोई धमकी नहीं दी। वादीगण के द्वारा वादग्रस्त जायदाद का मूल्यांकन कम किया गया है, जिससे दावा खारिज किये जाने योग्य है। चूँकि वादीगण के मन में अब बद्नियति आ गई है एवं अब वे विवादित प्लॉट के उत्तरी हिस्से को नाजायज रूप से हथियाना चाहते हैं, इसलिए दावा पेश किया है जो खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07–08–2012 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित नाप की जायदाद वादीगण के आधिपत्य व उपयोग, उपभोग की है?

–––––वादीगण

2– आया वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित नींव प्रतिवादीगण ने जबर्दस्ती खोदना प्रारम्भ कर दिया है?

––––– वादीगण

3– आया उक्त विवादित जायदाद प्रतिवादीगण व वादीगण की शामलाती है तथा दिनांक 16–04–98 को वादीगण के पिता/पति शिवनारायण उक्त प्लॉट के 1/2 हिस्सा को प्रतिवादीगण के पिता नन्दाराम उर्फ नंदराम के लिये पारिवारिक विभाजन के आधार पर दिया था?

––––– प्रतिवादीगण

4– आया वाद अन्दर अवधि पेश नहीं है तो इसका प्रभाव?

––––– प्रतिवादीगण

5– आया वादग्रस्त का मूल्यांकन कम किया गया है जिस पर कम कोर्ट फीस अदा की गई है तो इसका प्रभाव?

––––– प्रतिवादीगण

6– आया वादग्रस्त जायदाद की कीमत एक लाख रूपये से अधिक होने के कारण न्यायालय को वाद को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है?

––––– प्रतिवादीगण

7– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 रघुवीर सिंह (स्वयं वादी) तथा पी डब्ल्यू–2 विकास कुमार शर्मा के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रय–पत्र प्रदर्श–1, नक्शा प्रदर्श–2, नोटिस प्रदर्श–3, मौका रिपोर्ट प्रदर्श–4 तथा नजरी नक्शा प्रदर्श–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 महेशचन्द के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रसीद नगरपालिका प्रदर्श डी–1, स्टाम्प प्रदर्श डी–2, नकल कार्यवाही रजिस्टर प्रदर्श डी–3, नक्शा नगरपालिका वैर की प्रमाणित छायाप्रति प्रदर्श डी–4 को प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

8– सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम विवाद्यक संख्या–4 को निस्तारित किया जा रहा

है। विवाद्यक संख्या–4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था । प्रतिवादी पक्ष ने इस सम्बन्ध में अपने जबावदावे की मद संख्या–5 में यह अंकित किया है कि उनके द्व ारा कभी भी वादीगण के प्लॉट में नींव नहीं खोदी गई, न ही कोई धमकी दी गई है। ऐसे में कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है एवं वाद अवधि में पेश नहीं किया गया है। जबकि इसके विपरीत वादीगण का यह कथन रहा है कि दिनांक 19–05–2010 को वादीगण ने उन्हें विवादित स्थान पर जबर्दस्ती नींव खोदकर कब्जा करने की धमकी दी थी जिससे कि उन्हें वादकारण उत्पन्न हुआ एवं दिनांक 20–05–2010 को ही यह दावा पेश कर दिया गया है जो कि अन्दर मियाद अवधि है।

9– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रतिवादी ने वास्तव में इस बिन्दू को साबित ही नहीं किया कि वह किस प्रकार दावे को मियाद बाहर मान रहे हैं। जबावदावे की मद संख्या–5 में अंकित यह आपत्ति मात्र औपचारिक रूप से की गई है। दिनांक 19–05–2010 को किसी प्रकार से प्रतिवादीगण ने वादी पक्ष को कोई धमकी दी थी या नहीं, यह तो अन्य विवाद्यक तय किये जाते समय निर्धारित किया जायेगा, परन्तु इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–05–2010 को दी गई कथित धमकी के आधार पर यह दावा अन्दर मियाद पेश किया जाना दर्शित है, जिसका कोई सुदृढ़ खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष व वादी के हक में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या– 5 व 6</u>

10– विवाद्यक संख्या 5 व 6 को भी सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारित किया जा रहा है। इन विवाद्यकों को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था। जिनका यह कथन है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन वादी पक्ष की ओर से कम आंका गया है व न्याय शुल्क भी कम अदा किया गया है, जिससे दावा चलने योग्य नहीं है। साथ ही यह भी कथन किया कि वादग्रस्त जायदाद की कीमत एक लाख रूपये से अधिक है एवं न्यायालय को वाद की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है।

11– वादी पक्ष ने इसके खण्डन में दौराने बहस कथन किया कि उनके द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन सही किया गया है एवं न्यायालय को उसकी सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त है।

12– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। जहॉ तक वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन कम किये जाने का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह जाहिर हो कि वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्यांकन वादी पक्ष द्वारा बताये गये मूल्य से अधिक है, न ही दौराने बहस इस बाबत् कोई कथन किया गया जिससे न्यायालय के विचार में वादी द्वारा किया गया कथन अखण्डनीय है एवं जो मूल्यांकन वादी द्वारा किया गया है, वह न्यायालय सही पाता है। जहॉ तक सम्पत्ति की कीमत एक लाख रूपये से अधिक होने व इस न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता न होने का प्रश्न है तो यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया गया है,

इसमें न ही तो अधिकारों की घोषणा बाबत् कोई अनुतोष है एवं न ही यह कोई वसूली बाबत् पेश किया गया दावा है। ऐसे में एक लाख रूपये से अधिक मूल्य होने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकार न होने का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ये दोनों विवाद्यक भी विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष तय किये जाते हैं।

<u>विवाद्यक संख्या–1, 2 व 3</u>

13– विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3 एक–दूसरे से संबंधित है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है व विवाद्यक संख्या–3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था। चूँकि ये विवाद्यक एक–दूसरे से पारस्परिक जुड़े हुए हैं। अतः न्यायालय इस बाबत् संयुक्त रूप से निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू बनाना उचित पाता हैः

1– आया वाद–पत्र के पैरा–1 में वर्णित विवादित भूमि जो कि वादी पक्ष द्वारा स्वयं के आधिपत्य व उपयोग, उपभोग की बताई गई है, जिस पर प्रतिवादी पक्ष अपनी सम्पत्ति बताते हुए नींव खोदना चाह रहे हैं जिन्हें वादी पक्ष रूकवाने का अधिकारी है?

14– इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से वादी पक्ष का यह कथन रहा है कि उनके पति/ पिता स्वर्गीय श्री शिवनारायण द्वारा नगरपालिका वैर से दिनांक 13–01–1967 को 450/–रूपये में एक प्लॉट खरीदा गया था जो 36X50 फुट का था, जिसके दक्षिणी भाग पर तो शिवनारायण द्वारा पुख्ता मकान बना लिया था, परन्तु उत्तर की ओर खाली जगह छोड़ दी थी, जिस पर टीनपोश डालकर उक्त भूमि को पशुओं को चारा डालने व उन्हें बांधने के काम में लिया जाता रहा है। अब प्रतिवादीगण इस भूमि पर जबरन नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करना चाह रहे हैं। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने समर्थन में प्रदर्श–1 विक्रय–पत्र व प्रदर्श–2 नक्शा पेश किया। साथ ही मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं वादी रघुवीर सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया जिसने अपने शपथ–पत्र में तो वाद–पत्र के कथनों को दोहराया है, परन्तु जिरह में इसके द्वारा कथन किया गया है कि विवादित प्लॉट के पूर्व से पश्चिम की नाप 36 फुट एवं उत्तर से दक्षिण की नाप 50 फुट है। पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 5 फुट हो तो उसे नहीं पता, क्योंकि उन्होंनें नहीं नापी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उनके मकान के दक्षिण दिशा में छूटे इस प्लॉट में कोई खिड़की दरवाजा उन्होंने नहीं लगाया। इस सुझाव को गलत बताया कि 1987 में इस विवादित प्लॉट व रास्ते आम के बीच 106 गज जमीन उसके पिता व चाचा ने मिलकर नगरपालिका से खरीदी हो। गवाह पी डब्ल्यू–2 विकास कुमार शर्मा मौका कमिश्नर है, जो विवादित स्थल का नक्शा मौका बनाये जाने की पुष्टि अपनी मुख्य परीक्षा में करते हैं व नोटिस प्रदर्श–3, मौका रिपोर्ट प्रदर्श–4 व नजरी नक्शा प्रदर्श–5 की पुष्टि कर रहे हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि विवादित प्लॉट के पूर्व से पश्चिम की दिशा 55.9 फुट व उत्तर से दक्षिण कुल 50 फुट थी। उक्त प्लॉट दीवार से दो हिस्सों में बंटा हुआ था, जिसमें एक तरफ मकान थे। दूसरी तरफ खाली प्लॉट तथा मकान नम्बर–1 से 2 में कोई निकास भी नहीं था।

15– प्रतिवादी पक्ष का खण्डन स्वरूप यह कथन रहा है कि जो प्लॉट वादीगण के

पति व पिता द्वारा खरीदा गया था, वह 36X50 फुट का था, उसके पश्चात् 1987 में 106 वर्गगज भूमि इस प्लॉट व सड़क के मध्य वादीगण के पिता/पति शिवनारायण एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति नन्दराम ने मिलकर 1350/–रूपये में क्रय किया था। बाद में आगामी स्तर पर 16–04–1998 को शिवनारायण ने पारिवारिक विभाजन के आधार पर उक्त प्लॉट का आधा हिस्सा भी नन्दराम को भी दे दिया जिस बाबत् स्टाम्प भी लिखा गया था तब से प्रतिवादीगण ही इस पर काबिज चले आ रहे हैं। परन्तु अब वादीगण जबरन इसे बद्नियतिपूर्वक हड़पना चाह रहे हैं। अपने समर्थन में प्रतिवादीगण ने नगरपालिका वैर द्वारा प्राप्त रसीद दिनांक 17–06–87 प्रदर्श डी–1 के रूप में व 1998 में लिखा गया स्टाम्प प्रदर्श डी–2 के रूप में पेश किया। वहीं नगरपालिका की कार्यवाही बाबत् पेश किया गया दस्तावेज प्रदर्श डी–3 के रूप में पेश किया व महेशचन्द ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षित भी करवाया। अपनी मुख्य परीक्षा में तो इस गवाह ने भी जबावदावे के कथनों को दोहराया व जिरह में गवाह ने कथन किया कि 36x45 फुट नाप की भूमि तो शिवनारायण ने खरीदी थी। परन्तु 19x50 फुट की जमीन व 36X5 फुट की जमीन शिवनारायण एवं नन्दराम ने शामलाती खरीदी थी जो नगरपालिका से 1987 में खरीदी थी। बाद में खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई, जानकारी नहीं होने का कथन किया। गवाह ने कथन किया कि जिस भूमि पर उसका कब्जा है उसमें टीनपोश डला हुआ है। नींव तथा कुरी व जैड पम्प लगा हुआ है। उक्त प्लॉट बंटवारे के आधार पर आधा–आधा हुआ था।

16– अपने समर्थन में दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों, पेश की गई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने जो कथन अपने जबावदावे में सम्पत्ति स्वयं की होने बाबत् किये हैं, वे खण्डनात्मक कथन हैं एवं सम्पत्ति स्वंय की घोषित किये जाने बाबत् प्रतिवादी का कोई प्रतिदावा नहीं है। ऐसे में जहॉ वादी के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि विवादित भूमि उसके उपयोग, उपभोग एवं स्वामित्व की है, जिस पर अब प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी ने अपने वाद–पत्र की मद संख्या–1 में विवादित भूमि को उत्तर व दक्षिण में 36 फुट तथा पूर्व व पश्चिम में 50 फुट होना बताया है एवं यह भूमि शिवनारायण द्वारा दिनांक 13–01–67 को नगरपालिका से जरिये विक्रय–पत्र खरीदना बताया गया है। विक्रय–पत्र प्रदर्श–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष मौजूद है, जिसका यदि अवलोकन किया जाये तो जो भूमि वादीगण के पति व पिता शिवनारायण द्वारा नगरपालिका से क्रय की गई थी, वह उत्तर दक्षिण में तो 36 फुट थी, परन्तु पूर्व व पश्चिम में वह 45 फुट थी। अर्थात् वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में जो नाप पूर्व व पश्चिम की अंकित की गई है, वह वास्तव में विक्रय–पत्र प्रदर्श–1 में अंकित नाप से पूर्व पश्चिम की ओर 5.5 फुट अधिक जोड़कर अंकित की गई है। यहॉ यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी पक्ष द्वारा अपने सम्पूर्ण दावे में अथवा साक्ष्य में कहीं भी यह उल्लखित नहीं किया गया कि शिवनारायण द्वारा खरीदे गये प्लॉट के कितने हिस्से पर मकान का निर्माण किया हुआ है एवं कितनी भूमि खाली छोडी हुई है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह जाहिर ही नहीं है कि प्रतिवादीगण कितने नाप की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जबकि वादीगण ने मद संख्या–1 में सम्पूर्ण प्लॉट की ही नाप अंकित कर दी है एवं ऐसा भी कहीं अंकित नहीं किया कि प्रतिवादीगण इस सम्पूर्ण प्लॉट पर जिसमें कि उनकी पुख्ता मकानियत भी बनी

हुई है, कब्जा करना चाहते हैं। जबकि वादीगण ने मद संख्या–2 में यह कथन किया कि उत्तर की तरफ खाली जमीन जिस पर टीनपोश है, पर प्रतिवादीगण नींव खोदकर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके पश्चात् भी इस उत्तर में स्थित हिस्से की पृथक से कोई नाप अंकित नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–4 का अवलोकन किया जाये तो इस रिपोर्ट व इसके साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श–5 में विवादित प्लॉट जिसे कि वादी पक्ष शिवनारायण द्वारा खरीदना बता रहा है कि उत्तर दक्षिण की नाप 55.9 फुट मौके पर पाई गई है एवं पूर्व में 36 फुट के स्थान पर 53.9 फुट एवं पश्चिम में भी 36 फुट के स्थान पर 50 फुट लम्बाई पाई गई। इसे इस प्रकार भी कमिश्नर द्वारा उल्लखित किया गया है कि जो पुख्ता मकान वादी पक्ष ने इस भूमि पर किया हुआ है, वह वास्तव में पूर्व में ए से बी स्थान पर 28 फुट है एवं पश्चिम में सी से डी स्थान पर 25 फुट है। इसके पश्चात् पूर्व में बी से एफ स्थान तक उक्त खाली प्लॉट दर्शाया गया है जो 25.9 फुट है एवं पश्चिम में बी से ई स्थान तक 25 फुट है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह दर्शित हो रहा है कि वादी पक्ष के पिता द्वारा जो भूमि नगरपालिका से क्रय की गई थी, वह 36X45 फुट की थी, जिसमें उत्तर व दक्षिण की ओर 50 फुट की जगह वादीगण 55.9 फुट पर अर्थात् 19 फुट 9 इन्च अधिक भूमि पर काबिज हैं एवं वहीं पूर्व में 28 फुट पर उनका निर्माण है अर्थात् 17 फुट भूमि उनके द्वारा इस प्लॉट के उत्तर की तरफ शेष है। वहीं पश्चिम की ओर 20 फुट शेष है। जबकि टीनपोश व छप्पर उत्तर में कथित खाली प्लॉट में पूर्व की ओर 25.9 फुट एवं पश्चिम की ओर 25 फुट पर डाला हुआ बताया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह दर्शित हो रहा है कि इस स्तर पर वादीगण अपने विक्रय–पत्र में दर्शित भूमि से कम होने पर मकान बनाकर रह रहे हैं। परन्तु उत्तर की ओर विवादित भूमि के जितने हिस्से पर टीनपोश व छप्पर डालकर कब्जा किया हुआ है, वह वास्तव में विक्रय–पत्र में अंकित भूमि से अधिक भूमि है एवं वादीगण ने यह जाहिर नहीं किया है कि वे इस अधिक भूमि पर कब्जा करने के अधिकारी किस प्रकार हैं। हालांकि प्रतिवादी पक्ष यहॉ यह कथन अवश्य कर रहे हैं कि उत्तर की ओर का यह हिस्सा उनके पिता नन्दराम को बंटवारे में प्राप्त हुआ था, जिस पर आज वे काबिज हैं। परन्तु उक्त बंटवारे का कोई सुदृढ़ प्रमाण पत्रावली पर नहीं है जो दस्तावेज प्रदर्श डी–2 इस बंटवारे को प्रमाणित करने के लिए पेश किया गया है, वह वास्तव में 5/–रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया एक दस्तावेज है, जिसमें भी विवादित स्थल की नाप अंकित नहीं हैं कि दोनों पक्ष कितनी–कितनी नाप के हिस्से पर काबिज रहने हेतु सहमत हुए, न ही इस दस्तावेज के किसी गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया। स्वयं प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार्य है कि प्रदर्श डी–1 रसीद शिवनारायण द्वारा खरीदी गई भूमि से अतिरिक्त भूमि की है जो भूमि इस विवादित भूमि व सड़क के बीच में स्थित होना बताई गई है, परन्तु उसके भी आसेपासे व नाप जबावदावे में अंकित नहीं किये गये हैं, न ही इस भूमि के अधिकारों की घोषणा बाबत् कोई अनुतोष प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिदावा पेश कर चाहा गया है। ऐसे में प्रतिवादीगण के द्वारा खण्डनात्मक रूप से किया गया यह कथन साबित नहीं हो पा रहा है कि विवादित प्लॉट के उत्तरी तरफ का हिस्सा उन्हें भाई बंटवारे में प्राप्त हुआ था।

17– न्यायालय की राय में वादी पक्ष यह तथ्य साबित करने में इस हद तक सफल रहा है कि विक्रय–पत्र दिनांक 13–01–67 द्वारा उनके पिता व पति शिवनारायण ने 36x45 फुट भूमि नगरपालिका वैर से क्रय की थी, जिसके दक्षिणी हिस्से पर वादीगण

मकानियत बनाकर रह रहे हैं एवं उत्तर में कुछ भूमि उनके द्वारा शेष छोड़ी हुई है। परन्तु शेष छोड़ी गई भूमि वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार मौके पर प्रदर्श–2 के अनुसार मौके पर मौजूद नहीं है। चूँकि कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार वादीगण द्वारा अपनी विक्रय–पत्र में अंकित भूमि से अधिक भूमि पर उत्तर दक्षिण में कब्जा किया हुआ है। वहीं विवादित भूमि की तरफ जो कब्जा टीनपोश व छप्पर डालकर दर्शाया गया है, वह भी पुख्ता निर्माण के पश्चात् विक्रय–पत्र के अनुसार शेष बची भूमि से अधिक भूमि पर दर्शाया गया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह तो प्रकट है कि वास्तव में वादीगण के प्लॉट के उत्तरी तरफ जो खाली भूमि मौजूद है, उसमें वर्तमान में कुछ हिस्सा वादीगण का शेष है, परन्तु जितनी भूमि वादीगण शेष होना अपने नक्शा में दर्शा रहे हैं व जितनी भूमि पर कब्जा कमिश्नर रिपोर्ट द्वारा होना दर्शित हुआ है, उस सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण काबिज रहने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि विक्रय–पत्र उस हद तक नहीं है। ऐसे में न्यायालय की राय में वादी पक्ष विवाद्यक बिन्दू को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है एवं प्रतिवादीगण अपने बिन्दू को साबित करने में असफल रहे हैं।

अ नु तो ष

18– चूँकि विवाद्यक संख्या–1 व 2 वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विक्रय–पत्र प्रदर्श–1 में अंकित भूमि जो कि वादी पक्ष के पति/पिता शिवनारायण पुत्र किशनलाल माली द्वारा दिनांक 13–01–67 को नगरपालिका वैर से क्रय किया गया था, में अंकित भूमि की हद तक वादीगण के कब्जे व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न न करें, न ही कोई ऐसा कार्य करें अथवा करावें जिससे विक्रय–पत्र में अंकित भूमि की हद तक वादीगण के कब्जे व शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग में कोई दखल उत्पन्न हो।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 31–05–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–126/2016(82/2010)

अमरसिंह पुत्र छीतरिया जाति जाटव निवासी ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––– वादी

बनाम

1– चन्दन पुत्र परभाती
2– जीतू पुत्र चन्दनसिंह
3– पप्पी पुत्र चन्दनसिंह
4– धौरीदेवी पत्नी चन्दनसिंह

जाति पुजारी निवासी मूडिया ललिता तहसील वैर।

–––––प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत् मैन्डेटरी इन्जक्शन व हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री ओमप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री बृजकिशोर धाकड़, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–01–06–2017</u>**

1– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् मैन्डेटरी इन्जक्शन व हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 21–07–2010 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक 195 दिनांकित 31–05–2016 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी की ओर से इस आशय का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य का एक प्लॉट ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर में स्थित है, जिसके तरफ उत्तर खाली सरकारी जगह नाप 35 फुट, तरफ दक्षिण खेत प्रतिवादी चन्दनसिंह एवं मकान चपेटा से नाप इस तरफ 35 फुट, तरफ पूर्व आम रास्ता नाप इस तरफ 30 फुट तथा तरफ पश्चिम जलदाय विभाग की कोठरी एवं खाली जगह नाप इस तरफ 30 फुट स्थित है। यह आवासीय भूखण्ड सरपंच ग्राम पंचायत मूडिया ललिता तहसील वैर द्वारा दिनांक 02–10–1990 को वादी के हक में अनुसूचित जाति का सदस्य होने से निशुल्क आवंटित किया गया था, जिसका पट्टा

जारी किया था एवं पट्टा होने के दिन से ही वादी उक्त आवासीय प्लॉट पर काबिज है एवं उसे अपने उपयोग, उपभोग में लेता आ रहा है। वादी ने अपने इस प्लॉट पर लकडी, बिटौरा, घूडा रखा हुआ है तथा इस पर वादी का छप्पर पोश भी है, इस प्लॉट के दक्षिण में प्रतिवादी चन्दन की खातेदारी आराजी की चपेटवॉ भूमि है, जिसका फायदा उठाकर दिनांक 28–06–2010 को वादी के प्लॉट के दक्षिण में बनी डोल मेड के चपेटवां अपनी पुख्ता दीवार का निर्माण करते हुए प्रतिवादीगण ने वादी के प्लॉट की तरफ कब्जा करने के इरादे से एक दरवाजा उत्तर में निकाल दिया, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था तथा वादी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वह मारपीट व झगड़ा करने पर आमादा हो गये तथा वादी को उसके प्लॉट से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। बाद में उसी दिन यह आश्वासन दिया कि वह इस दरवाजे को बन्द कर लेंगे, परन्तु आज दिनांक तक वादी के प्लॉट के तरफ निकाले गये दरवाजे को बन्द नहीं किया गया एवं ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया, जिसकी वजह से वादी को यह दावा पेश करने की आवश्यकता पड़ी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वह वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के प्लॉट में किसी प्रकार से कोई रूकावट व उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न न करें, साथ ही वादी के प्लॉट के दक्षिण में निकाले दरवाजे को स्वयं बन्द कर दें तथा दौराने दावा किये गये निर्माण एवं अतिक्रमण को साफ करें।

3– प्रतिवादी संख्या–1 से 3 ने वाद का लिखित जबाव इस प्रकार पेश किया कि वादी के बताये अनुसार उसका कोई प्लॉट स्थित नहीं है बल्कि वह स्थान धौरीदेवी पत्नी चन्दन की खातेदारी की भूमि में स्थित है। जिसे धौरीदेवी ने प्रभूदयाल वैश्य से क्रय किया था। वादी को कोई पट्टा ग्राम पंचायत मूडिया ललिता द्वारा जारी नहीं किया गया है, उसे जारी किया गया पट्टा वाटर बॉक्स की कोठरी के उत्तर में स्थित भूमि का आवंटन किया था, विवादित भूमि का नहीं। वादी ने जिस भूमि का पट्टा जारी किया था, उस भूमि पर दो वर्ष में कोई मकान नहीं बनाया न ही झौंपडा डाला। अतः पट्टा आवंटन शर्तों के अनुसार स्वतः ही निरस्त हो गया था। वादी ने दिनांक 24–07–2010 को दावा दायरी के पश्चात् विवादित भूमि पर छप्पर पोश डालने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत प्रतिवादीगण ने एसडीओ वैर को की थी एवं एसडीओ वैर ने पुलिस थाना अधिकारी हलैना को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये थे। वाद–पत्र के साथ जो नक्शा संलग्न है, उसमें दर्शाये गये पीले रंग की भूमि पर 36 फुट प्रभूदयाल का स्वामित्व व कब्जा था तथा यह आराजी खसरा नम्बर 806 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा की भूमि थी, जिसे प्रभूदयाल ने दिनांक 22–05–2007 को धौरीदेवी को बेच दिया। तत्पश्चात् इस भूमि में से 480 वर्गमीटर भूमि का विधिवत् रूपान्तरण भी धौरीदेवी द्वारा करवाया गया था एवं इस भूमि में पुख्ता निर्माण किया गया था व उक्त निर्माण के पश्चात् से ही दरवाजे, जंगला, मोरी व परनाले बने हुए हैं जो कि धौरीदेवी की मकानियत के उत्तर में खाली पडी भूमि 36 फुट में ही निकले हुए हैं। दिनांक 20–07–2010 को दरवाजा निकालने का कथन असत्य है, क्योंकि मकान 35 वर्ष पूर्व ही बना लिया गया था जो भूमि वादी को आवंटित की गई थी, वह वास्तव में वाटर बॉक्स की कोठरी से 11 फुट उत्तर में स्थित भूमि को छोड़कर 30X35 फुट की भूमि उत्तर में ही आवंटित हुई थी, वादी ने जो मानचित्र दावे के साथ पेश किया है, उसमें

कोठरी पूर्व की तरफ दर्शाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02–10–1990 को आवंटन किये जाते समय भी प्रभूदयाल वैश्य की भूमि को स्वीकार किया गया है एवं धौरीदेवी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के ही यह भूमि प्रभूदयाल से खरीद की है। प्रतिवादी संख्या–1 व अन्य इस भूमि के वास्तविक स्वामी नहीं है। वास्तविक स्वामी धौरीदेवी है, अतः दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– प्रतिवादिया धौरीदेवी ने स्वयं की ओर से निम्नलिखित आशय का जबावदावा पेश किया व वादी के कथनानुसार उसका कोई प्लॉट मौके पर नहीं होना बताया तथा कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 806 का भाग है जो कि उसके स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की ही है। धौरीदेवी ने यह भी कथन किया कि यह भूमि उसने प्रभूदयाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीदी थी, जिसके 480 वर्गमीटर हिस्से को विधिवत् रूपान्तरित करवाकर उसने पुख्ता निर्माण कर लिया है व अपने इस निर्माण के उत्तर में 36 फुट भूमि स्वयं की सुविधा कृषि यन्त्रों को रखने आदि के लिए खाली छोड़ी थी एवं इसी भूमि में उसने रोशनदान, दरवाजे, जंगले निकाल रखे हैं। धौरीदेवी ने यह निर्माण 2008 से पूर्व का बताया व कथन किया कि दिनांक 23–07–2010 को वादी ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए छप्पर डालने का प्रयास किया था, जिसकी एफआईआर थाना हलैना में दर्ज हुई थी। विवादित भूमि प्रतिवादिया ने अपने वास्तविक व भौतिक कब्जे में होना बताई व कथन किया कि उसके विरूद्ध वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रतिवादिया को पक्षकार ही नहीं बनाया गया था, न ही अपने दावे में प्रतिवादिया के विरूद्ध कोई अनुतोष चाहता है। अतः दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के प्लॉट में जिसका विवरण वाद–पत्र के पैरा संख्या–1 में दिया है, उसके उपयोग व उपभोग में प्रतिवादी किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत वेजा नहीं करें?

————वादी

2– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी द्वारा विवादग्रस्त प्लॉट के दक्षिण में निकाले गये दरवाजे को बन्द कराने का अधिकारी है?

———— वादी

3– आया वादी ने अपने वाद में विवादित भूमि के असल मालिक को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। वाद में मिस ज्वोइण्डर व नॉन ज्वोइण्डर का दोष विद्यमान है। दावा काबिले खारिजी है?

———— प्रतिवादी

4– दादरसी?

5– आया वादी को प्रतिवादी संख्या–4 के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव?

––––– प्रतिवादी सं0–4

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 अमरसिह (स्वयं वादी) तथा पी डब्ल्यू–2 केदार, पी डब्ल्यू–3 शेरसिंह, पी डब्ल्यू–4 दौलतराम वैरवा तथा पी डब्ल्यू–5 रत्तीराम वैरवा के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श–1, पट्टा प्रदर्श–2, नोटिस प्रदर्श–3, नजरी नक्शा प्रदर्श–4 तथा मौका रिपोर्ट प्रदर्श–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 चन्दनसिंह, डी डब्ल्यू–2 जीतेन्द्र तथा डी डब्ल्यू–3 पप्पी के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी की नकल प्रदर्श डी–1, पैमाईश रिपोर्ट प्रदर्श डी–2, मौका पर्चा प्रदर्श डी–3, रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना हलैना प्रदर्श डी–4, प्रार्थना–पत्र दिनांकित 22–07–2010 प्रदर्श डी–5 तथा कार्यालय पंचायत समिति वैर सूचना दिनांकित 12–06–2013 प्रदर्श डी–6 को प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। दौराने बहस वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें पेश की :–

1– 2013 (2) डीएनजे (राज0) पेज 766
2– 2015 (2) सिविल कोर्ट केसेज पेज 451
3– 2011 (2) डीएनजे (राज0) पेज 1023
4– 2009 (4) आरएलडब्ल्यू पेज 3372
5– एआईआर 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 1413
6– 2013 (1) डीएनजे (राज0) पेज 374
7– 2013 (1) डीएनजे (राज0) पेज 375

8– प्रतिवादी पक्ष ने अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें पेश कीः–

1– एआईआर 1994 डीईएलएचआई पेज 161
2– डीएनजे 2007 (1) एससी पेज 187
3– डीएनजे 2011 (3) राज0 पेज 1188
4– डीएनजे 2011 (1) राज0 पेज 55
5– डीएनजे 2010 एससी पेज 376
6– डीएनजे 2014 (1) राज0 पेज 218

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन का मार्गदर्शन प्राप्त किया।

प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

8– सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम विवाद्यक संख्या–3 को निस्तारित किया जा रहा

है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था।

9– प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जबावदावे में यह कथन किया गया कि जिस भूमि बाबत् वादी ने यह दावा पेश किया है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, वह वास्तव में उनके स्वामित्व की भूमि नहीं है। अपितु यह भूमि धौरीदेवी पत्नी चन्दनसिंह द्वारा प्रभूदयाल नामक व्यक्ति से खरीदी गई थी एवं चूॅकि धौरीदेवी को प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में यह दावा असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से ग्रस्त है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

10– वादी की ओर से इस बाबत् कथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 लगातार उसे उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से यह दावा उनके विरूद्ध पेश किया गया था एवं जब वादी के कथन में यह तथ्य आया कि वास्तव में धौरीदेवी विवादित भूमि के दक्षिण में चिपते हुए प्रतिवादीगण की भूमि की असली स्वामिनी है तो आगामी स्तर पर स्वयं वादी ने ही प्रार्थना–पत्र पेश कर धौरीदेवी को प्रतिवादीगण संख्या–4 के रूप में बतौर पक्षकार जुडवाया गया जिससे यह दोष स्वतः समाप्त हो जाता है।

11– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा आवश्यक पक्षकार के रूप में मात्र धौरीदेवी का ही नाम लिया गया है व उसे पक्षकार नहीं बनाये जाने से ही असंयोजन व कुसंयोजन विद्यमान होना बताया है। जहॉ तक धौरीदेवी के पक्षकार नहीं बनाये जाने से असंयोजन होने का प्रश्न है तो आगामी स्तर पर धौरीदेवी को पक्षकार बना लिया गया है जिससे दोष अब दावे में नहीं रहा है। साथ ही किन पक्षकारों को जोडे जाने से दावे में कुसंयोजन विद्यमान है, यह स्वयं प्रतिवादी पक्ष द्वारा ही स्पष्ट नहीं किया गया है। चूॅकि धौरीदेवी के पक्षकार नहीं बनाये जाने से मात्र असंयोजन ही कारित होता, कुसंयोजन नहीं एवं अब वर्तमान में वह पक्षकार बन चुकी है जिससे असंयोजन समाप्त हो गया है व कुसंयोजन न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं है। न्यायालय की राय में प्रतिवादी पक्ष इस तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

<u>विवाद्यक संख्या 1 व 2</u>

12– तनकी संख्या 1 व 2 को सुविधा की दृष्टि से निस्तारित किया जा रहा है, जिसे साबित करने का भार वादी पर ही है। मुख्य रूप से न्यायालय को यहॉ यह देखना है कि विवादित भूमि जो कि वादी अपने कब्जे व उपयोग की बता रहा है, में प्रतिवादीगण किस प्रकार से कोई दखल उत्पन्न कर रहे हैं अथवा उनके द्वारा कोई दरवाजा वादी की इस भूमि में निकाला गया है, जिसके सम्बन्ध में वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत मूडिया ललिता के सरपंच द्वारा उसे जरिये निशुल्क आवंटन पट्टे के दिनांक 02–10–1990 को आवंटित की गई थी, जिस पर वादी आज दिनांक तक काबिज है एवं वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इस प्लॉट के दक्षिण में प्रतिवादी चन्दन की खातेदारी आराजी की चिपते भूमि है, जिसका फायदा

उठाते हुए प्रतिवादीगण ने वादी के प्लॉट में दक्षिण की तरफ दीवार का पक्का निर्माण करवाते हुए वादी की भूमि में दरवाजा निकाल लिया है एवं अब उसे इस भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं को तो न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया ही, अपने समर्थन में गवाह पी डब्ल्यू–2 केदार, पी डब्ल्यू–3 शेरसिंह, पी डब्ल्यू–4 दौलतराम, पी डब्ल्यू–5 रतीराम को परीक्षित करवाया। वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में वाद–पत्र के कथनों को दोहराया व इस तथ्य को जिरह में स्वीकार किया कि जो पट्टा उसे आवंटित हुआ है, उसका नक्शा पुश्त पर है एवं उसी भूमि पर वह आज काबिज है। पी डब्ल्यू–2 केदार ने स्वीकार किया कि विवादित भूमि के पश्चिम की तरफ वाटर बॉक्स की कोठरी व खाली जगह है। गवाह पी डब्ल्यू–3 शेरसिंह मात्र औपचारिक गवाही दे रहा है। गवाह पी डब्ल्यू–4 दौलतराम मामले में कमिश्नर नियुक्त किया गया था जो कमिश्नर रिपोर्ट की पुष्टि कर रहे हैं एवं पी डब्ल्यू–5 रतीराम नक्शा नवीश हैं जो नक्शा की पुष्टि कर रहा है। प्रतिवादीगण का इस बाबत् मुख्य रूप से कथन है कि वादी को जिस भूमि का पट्टा आवंटित किया गया था। वास्तव में वह विवादित भूमि से भिन्न है जो दस्तावेजात से भी प्रमाणित हो रहा है। साथ ही यह भी कथन किया गया कि वादी ने अपने पट्टे की शर्तों के अनुसार दो वर्ष में कोई निर्माण आवंटित भूमि पर नहीं किया, जिसकी वजह से पट्टा स्वतः ही निरस्त हो गया, साथ ही प्रतिवादिया संख्या–4 धौरीदेवी को प्रारम्भ में पक्षकार नहीं बनाये जाने की भी आपत्ति उठाई गई। धौरीदेवी द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि उसके स्वामित्व की है जो उसने प्रभूदयाल से खरीदी थी। धौरीदेवी इस विवादित भूमि को खसरा नम्बर 806 का भाग होना बताती है व कथन करती है कि उसने खसरा नम्बर 806 की 11 बीघ ा 1 बिस्वा भूमि को क्रय किया था तथा 480 वर्ग मीटर भूमि का रूपान्तरण करवाकर उसने पुख्ता निर्माण किया था एवं अपनी सुविधा के लिए इस क्रय की गई भूमि में से 36 फुट भूमि अपने उपयोग, उपभोग के लिए छोड़ी थी एवं इस भूमि में ही उसने अपने दरवाजे, खिडकी निकाल रखे हैं, वादी की भूमि में नहीं।

13– दोनों पक्षों की ओर से दिये तर्कों पर विचार किया गया। प्रतिवादीगण इस तथ्य से इन्कार नहीं कर रहे हैं कि वादी को ग्राम पंचायत ने कोई पट्टा आवंटित किया हो। अपितु उनका कथन यह है कि जिस भूमि का नक्शा दावे के साथ पेश किया गया है तथा जिसे वादी विवादित बता रहा है, वह वास्तव में उसे आवंटित की गई भूमि का भाग नहीं है। अपितु आवंटित की गई भूमि विवादित भूमि से भिन्न है, जिस तथ्य के सम्बन्ध में यदि वादी पक्ष की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया जाये तो वादी ने नक्शा प्रदर्श–1 के साथ पट्टा प्रदर्श–2 पेश किया है, जिसका अवलोकन किया जाये तो जो भूमि वादी को आवंटित की गई थी, उसकी नाप उत्तर दक्षिण में 35X35 फुट तथा पूर्व पश्चिम में 30x30 फुट थी, साथ ही इस नक्शे के दक्षिण की तरफ खेत प्रभूदयाल वगैरा के दर्शाये हुए हैं व दक्षिण की ओर ही यह अंकन भी किया हुआ है कि दक्षिण से 11 फुट की दूरी पर वाटर बॉक्स की कोटरी स्थित है। अर्थात् इस नक्शे के अनुसार जो वाटर बॉक्स की कोठरी थी, वह वादी के प्लॉट के दक्षिण में 11 फुट की दूरी पर स्थित थी, परन्तु यदि इस बाबत् वादी की ओर से पेश किये गये नक्शा प्रदर्श–1 का अवलोकन किया जाये तो वादी ने अपने नक्शे में वाटर बॉक्स की कोठरी व खाली जमीन पश्चिम में दर्शाई है एवं प्रतिवादीगण के खेत दक्षिण में

दर्शाये गये हैं। यदि इस बाबत् मौका कमिश्नर की रिपोर्ट एवं नक्शा का अवलोकन किया जाये तो पत्रावली पर रिपोर्ट प्रदर्श–5 व नक्शा प्रदर्श–4 के रूप में पेश किये गये हैं एवं जिस भूमि को विवादित बताया गया है, उसकी नाप प्रदर्श–2 पट्टे व वादी के नक्शे से पूर्णतः भिन्न आई है। चूँकि इस नक्शे के अनुसार उत्तर में 65 फुट व दक्षिण में 67.9 फुट भूमि थी। पूर्व में 31 व पश्चिम में 30 फुट भूमि थी। अर्थात् विवादित भूमि कथित आवंटन भूमि से कहीं अधिक नाप की पाई गई। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिम की ओर वाटर बॉक्स की कोठरी इस भूमि के चिपते ही दर्शाई है। जबकि आवंटित नक्शे के अनुसार 11 फुट भूमि छोड़ते हुए वाटर बॉक्स की कोठरी दक्षिण में होनी चाहिए थी। अर्थात् यह जाहिर है कि आवंटित भूमि से कहीं अधिक भूमि को मौके पर बाड आदि लगाकर रोका हुआ था, साथ ही कमिश्नर के नक्शे आवंटित पट्टे की पुश्त पर बने नक्शे व वादी की ओर से पेश किये गये नक्शे में काफी भिन्नता है। वादी पक्ष इस बात का भी कोई खण्डन नहीं कर पाया है कि वास्तव में यह भिन्नता क्यों है, जबकि अपनी जिरह में वादी ने यह स्वीकार किया है कि पट्टे की पुश्त पर जो नक्शा बना हुआ है, वही जमीन उसे आवंटित हुई थी तथा उसी की हद तक वह मौके पर काबिज है। साथ ही उसने स्वयं इस तथ्य को भी स्वीकार किया था कि इस आवंटित भूमि के दक्षिण में 11 फुट की दूरी पर वाटर बॉक्स की कोठरी है व प्रभूदयाल का खेत भी है तथा पश्चिम में रास्ता है। इसके पश्चात् भी उसने अपने दावे की मद संख्या–1 में तथा अपने नक्शा प्रदर्श–1 में जलदाय विभाग की कोठरी पश्चिम में क्यों दर्शाई, न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर यह जाहिर हो रहा है कि वादी के अभिवचनों व उसके दस्तावेजात में ही आपस में विरोधाभास है। कमिश्नर रिपोर्ट से इस स्तर पर यह भी जाहिर हो रहा है कि मौके पर प्रतिवादीगण के दो दरवाजे पाये गये थे एवं वादी ने मात्र एक ही दरवाजे बाबत् कथन अपने वाद–पत्र में किया था। साथ ही इसी भूमि की तरफ जंगले भी निकले हुए थे, जिनका भी कोई उल्लेख वादी ने अपने वाद–पत्र में नहीं किया था। परन्तु मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में आई इस स्थिति से प्रतिवादी पक्ष के इन कथनों को बल प्राप्त होता है कि उनके द्वारा अपनी भूमि में से ही छोड़ी गई 36 फुट भूमि पर ही यह दरवाजे एवं जंगले निकाले हुए हैं। पत्रावली पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उनसे यह जाहिर हो रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत् पूर्व से ही कई बार विवाद उत्पन्न हो चुका है, जिसके सम्बन्ध में दस्तोवजी साक्ष्य प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश की गई है एवं प्रतिवादिया धौरीदेवी ने समय–समय पर वादी की ओर से अतिक्रमण के प्रयास किये जाने पर तहसीलदार व थाने में रिपोर्ट दी है। दिनांक 02–08–2010 को थानाधिकारी ने वादी व अन्य शेरसिंह, केदार जिन्हें कि वादी ने अपनी ओर से गवाहान् के रूप में परीक्षित कराया है, का अतिक्रमण धौरीदेवी के मकान के उत्तर दिशा में स्थित 36 फुट भूमि पर पाया था, जिसे कि बाद में थानाधिकारी हलैना द्वारा समझाईश कर मौके से अतिक्रमण हटाया गया था। इन दस्तावेजात से वादी के ये कथन भी अनुचित प्रतीत हो रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। अपितु समय–समय पर तहसीलदार द्वारा की गई पैमाईश आदि से यह भूमि प्रतिवादिया धौरीदेवी की ही पाई गई थी, इस बाबत् नक्शा प्रदर्श डी–3 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि तहसीलदार के आदेश पर तैयार किया गया मौका पर्चा है। दिनांक 24–06–2010 को भी मौके पर विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया था।

प्रतिवादी की ओर से पेश दस्तावेज प्रदर्श डी–6 के अनुसार तो न्यायालय के समक्ष

.....8

यह प्रकट हो रहा है कि जिस पट्टा प्रदर्श–2 के आधार पर वादी यह दावा लेकर आया है, वास्तव में उसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत मूडिया ललिता के पास मौजूद ही नहीं है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष के गवाहान् को इस बात की जानकारी नहीं है कि मौके पर प्रतिवादीगण द्वारा दरवाजे कब निकाले गये। इस प्रकार चूॅकि वादी की दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभिवचनों में वादग्रस्त सम्पत्ति के आसेपासे व नाप भिन्न दर्शित हो रहे हैं। साथ ही मौका कमिश्नर रिपोर्ट वादी के अभिवचनों से पूर्णतः भिन्न है, जिसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी वादी की ओर से पूर्व में दर्ज नहीं की गई थी व न ही मौका कमिश्नर से इन तथ्यों को खण्डन कराया जा सका है। अपितु वादी ने तो कमिश्नर पी डब्ल्यू–4 दौलतराम को अपने समर्थन में पेश किया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष विवादित स्थल की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है, जिससे वादी के हक में किसी भी प्रकार का कोई व्यादेश जारी करना न्यायालय इस स्तर पर उचित नहीं पाता है। वादी के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने अभिवचनों को स्पष्ट तौर पर न्यायालय के समक्ष पेश करता जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से विरोधाभासी नहीं होते। जैसा कि प्रस्तुत मामले में नहीं किया गया है। अब चूॅकि इस स्तर पर विवादित स्थल की ही स्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं हो पा रही है, ऐसे में वादी पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया है कि जो दरवाजे प्रतिवादी पक्ष की ओर से निकाले हुए हैं, वह वास्तव में विवादित स्थल पर ही निकाले हुए हों एवं वादी की भूमि में प्रतिवादी पक्ष कोई दखलन्दाजी उत्पन्न कर रहे हों। अतः ये दोनों तनकीयात विरूद्ध वादी व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती हैं।

<u>विवाद्यक संख्या–5</u>

14– उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादिया संख्या–5 पर था, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादिया का कथन रहा है कि वादी ने प्रतिवादिया को प्रारम्भ में पक्षकार नहीं बनाया था एवं अपने वाद–पत्र में जो कथन वादी की ओर से किये गये हैं, वह मात्र प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के विरूद्ध ही किये गये हैं। दिनांक 20–07–2010 को जबरन दरवाजा निकालने एवं वादी को बेदखल करने की धमकी देने के कथन भी मात्र प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के विरूद्ध किये गये हैं। प्रतिवादिया संख्या–4 के सम्बन्ध में ऐसे कोई कथन नहीं किये गये हैं जिससे यह जाहिर है कि प्रतिवादिया संख्या–4 के विरूद्ध कोई वादकारण वादी को उत्पन्न नहीं हुआ।

15– वादी का इस सम्बन्ध में कथन रहा है कि चूॅकि प्रतिवादिया संख्या–4 धौरीदेवी विवादित भूमि की वास्तविक स्वामिनी है एवं उसी के द्वारा अपनी कृषि भूमि को आवासीय में रूपान्तरित करवाकर गृह निर्माण किया गया था व इस निर्माण की आड़ में ही यह दरवाजा निकाले गये हैं। अतः प्रतिवादिया संख्या–4 के विरूद्ध भी वादकारण वादी को उत्पन्न हुआ है।

16– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रतिवादिया संख्या–4 धौरीदेवी को यह दावा पेश किये जाते समय बतौर पक्षकार नहीं जोड़ा गया था एवं उसे आगामी स्तर पर वादी की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश कर दिनांक 19–10–2015 को बतौर पक्षकार जुड़वाया गया एवं वादी की ओर से इस बाबत् संशोधित शीर्षक तो

पेश किया गया, परन्तु कोई संशोधित दावा पेश नहीं किया गया, जिससे प्रतिवादिया संख्या–4 के विरूद्ध वादी के कोई अभिवचन पत्रावली पर मौजूद ही नहीं है। वादी ने पूर्व में जो कथन अपने दावे में किये हैं, वे वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध ही हैं एवं इन्हीं व्यक्तियों द्वारा वादी के कब्जे में दखल दिये जाने एवं धमकी दिये जाने व दरवाजा निकाले जाने बाबत् उल्लखित किया गया है। धौरीदेवी के विरूद्ध वादकारण किस प्रकार उत्पन्न हुआ व उसके द्वारा वादी के विरूद्ध कौनसा कृत्य किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। धौरीदेवी को मात्र वास्तविक स्वामिनी होने के आधार पर ही पक्षकार बनाया गया है, परन्तु उसने वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया हो या उपयोग, उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न की हो अथवा दरवाजा निकाला हो, ऐसा कोई कथन पत्रावली पर नहीं है, जिससे प्रतिवादिया संख्या–4 का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि उसके विरूद्ध कोई वादकारण वादी को उत्पन्न ही नहीं हो रहा है।अतः यह विवाद्यक बिन्दू प्रतिवादिया संख्या–4 के हक में एवं वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अ नु तो ष

17– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1, 2 व 5 वादी के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् मैन्डेटरी इन्जक्शन व हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 01–06–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वैर, जिला —भरतपुर।

पीठासीन अधिकारीः— मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0 ।

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः— 08 / 2011

मोहनसिंह पुत्र किशोरीलाल जाति प्रजापत निवासी ग्राम बेरी तहसील वैर जिला भरतपुर।

————वादी

बनाम

रामेश्वर पुत्र पांच्या जाति जाटव निवासी ग्राम बेरी तहसील वैर जिला भरतपुर।

————प्रतिवादी

वाद तकमील मुहायदा व हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत्
भूखण्ड वाके ग्राम बेरी तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थितः—

1—श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से ।
2—प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश।

—:: निर्णय ::— दिनांकः—13—09—2017

वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत तकमील मुआयदा व हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत् भूखण्ड वाके ग्राम बेरी इस न्यायालय में दिनांक 19—11—2011 को प्रस्तुत किये जाने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2— वाद—पत्र के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बेरी तहसील वैर में स्थित है, जिसका प्रतिवादी का पिता पांच्या पुत्र छिंगा खातेदार काश्तकार था। उपरोक्त आराजी प्रतिवादी रामेश्वर के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी थी जो प्रतिवादी व उसके भाईयों व पिता की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी, जिसका बाहमी बंटवारा प्रतिवादी व उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों के मध्य हुआ था, जिसमें आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी के हिस्से व बंटवारें में आई थी। प्रतिवादी रामेश्वर ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर में से अपने हिस्से में से एक प्लॉट दिनांक 25—11—2004 को 35,000 / — रूपये में वादी को बेचने का सौदा किया था जिसकी बाबत् प्रतिवादी ने उसी दिनांक को 3100 / —रूपये बतौर साई के प्राप्त कर लिये थे तथा शेष राशि 31,900 / — रूपये वक्त रजिस्ट्री वयनामा देना तय हुआ था एवं प्रतिवादी ने उसी दिनांक को वादी को बेचे हुए प्लॉट का कब्जा भी दे दिया था तथा यह भी तय हुआ था कि प्रतिवादी उपरोक्त बेचे गये भूखण्ड का कनवर्जन कराकर समन्दर जाटव की लडकी की शादी के बाद उपरोक्त भूखण्ड का वयनामा वादी के हक में करा देगा एवं प्रतिवादी

रामेश्वर ने वादी से समन्दर जाटव की लडकी की शादी दिनांक 30–11–2004 को मुआयदे की शेष राशि 31,900/–रूपये व 10,000/–रूपये की अतिरिक्त जयश्रत बतो हुए वादी से कुल 41,900/–रूपये प्राप्त कर लिये जिसकी बाबत् प्रतिवादी ने उपरोक्त भूखण्ड की विक्रय राशि की बाबत् एक इकरारनामा तहरीर व तकमील कराकर अपने हस्ताक्षर करते हुए गवाहान् की गवाही करा दी। प्रतिवादी रामेश्वर द्वारा वादी को विक्रय किये गये भूखण्ड के तरफ पूर्व गैत जमीन चेती जाट नाप इस तरफ 30 फुट, तरफ पश्चिम प्लॉट जमीन वादी मोहनसिंह की नाप इस तरफ 35 फुट, तरफ उत्तर प्लॉट जमीन पांची जाट नाप इस तरफ 110 फुट तथा तरफ दक्षिण पुख्ता मकानियत नत्थी व केशव मीणा का प्लाट नाप इस तरफ 135 फुट स्थित है, जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में वसुर्ख रंग से दर्शित किया गया है। उक्त भूखण्ड व उसके आस–पास की जायदाद आबादी के बतौर पिछले बीसों साल से आबादी के रूप में काम आ रही है तथा यह प्लॉट गॉव से लगा हुआ है व उसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है। वादी ने प्रतिवादी से उक्त प्लॉट को खरीदने के पश्चात् उसमें एक हॉल एक छप्पर पोश, एक रसोई, एक बाथरूम का निर्माण कराया व शीशम व नींम के पेड लगाकर उसको रिहायश के रूप में ले रहा है। वादी ने इस प्लॉट के तरफ पश्चिम स्थित प्लॉट में भी तीन दुकान व एक गैलरी इनके तरफ पूर्व में चबूतरा व एक हॉल का निर्माण पूर्व में ही कर लिया था। वादी उपरोक्त जायदाद व उसके तरफ पश्चिम स्थित जायदाद को खरीद करने के समय से ही रिहायश के काम में लेता चला आ रहा है, जिसमें वादी द्वारा नल भी लगवा लिया है। वादी विक्रय किये गये भूखण्ड का वयनामा अपने हक में कराने को सदैव तत्पर व इच्छुक रहा है व आज भी तत्पर व इच्छुक है। इसकी बाबत् वादी प्रतिवादी से समय–समय पर उक्त भूखण्ड का भूमि रूपान्तरण कराकर वयनामा कराने को कहता रहा है और प्रतिवादी वादी को भूमि का रूपान्तरण कराकर वयनामा कराने का झूंठा आश्वासन देता रहा है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 18–09–2011 को उक्त भूखण्ड का वयनामा रजिस्टर्ड कराने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि वह बेचे गये उक्त भूखण्ड का वयनामा वादी के हक में रजिस्टर्ड नहीं करायेगा और यह भी कहा कि उसने यह सारी कार्यवाही वादी से रूपये हड़पने की गर्ज से की थी तथा यह भी धमकी दी कि वह उक्त भूखण्ड को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय व मुन्तकिल कर देगा तथा वादी को उसके कब्जे व खरीदे हुए भूखण्ड से जबर्दस्ती बेदखल कर देगा। यदि प्रतिवादी अपनी उक्त धमकी में सफल हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य के रूप में नहीं किया जा सकेगा। वादकारण दिनांक 25–11–2004 को भूखण्ड को बेचने का सौदा करने व इकरारनामा तहरीर करने व दिनांक 18–09–2011 को वादी के हक में विक्रय किये गये भूखण्ड का वयनामा कनवर्जन कराकर तहरीर व तकमील कराने से इन्कार करने पर पैदा होना बताते हुए अन्त में दावा अन्दर मियाद, न्यायालय के क्षेत्राधिकार व उचित न्याय–शुल्क पर पेश करना बताते हुए वादी का वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय का डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया कि वाद–पत्र की खण्ड संख्या–3 में वर्णित भूखण्ड का वयनामा कनवर्जन आबादी में कराये जाने के बाद वादी के हक में कराया जावे व प्रतिवादी को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि वह वाद–पत्र की खण्ड संख्या–3 में वर्णित भूखण्ड में वादी के कब्जे व उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा नहीं करें और ना ही उक्त वर्णित प्लॉट को किसी

दीगर लठैत व्यक्ति को रहन वय व मुन्तकिल करें।

3– पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी ने उक्त वाद–पत्र का कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया है।

4– न्यायालय द्वारा दिनांक 12–04–2012 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5– वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 मोहनसिंह पी डब्ल्यू–2, दिनेश, पी डब्ल्यू–3 कलुआ तथा पी डब्ल्यू–4 शिवसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में इकरारनामा दिनांक 25–11–2004 प्रदर्श–1, वादग्रस्त जायदाद का नक्शा प्रदर्श–2, मुकदमा संख्या 1/08 के निर्णय की प्रति प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया।

6– बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

7– प्रस्तुत मामले में चूँकि जबावदावा पेश नहीं हुआ है, अतः विवाद्यक कायम नहीं किया जा सके हैं। न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दू यह है कि वादी प्रतिवादी को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा व स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि विवादित भूमि को आबादी में रूपान्तरित करवाकर उसका वयनामा वादी के हक में कराया जाये व प्रतिवादी वादी के विवादित भूमि के उपयोग, उपभोग व कब्जे में कोई रूकावट किसी भी प्रकार से नहीं करें।

8– इस बिन्दू को साबित करने का भार पूर्णतः वादी पर है, जिसके सम्बन्ध में वादी का यह कथन है कि उसके द्वारा विवादित भूमि जिसके पूर्व की नाप 30 फुट है एवं इस ओर चेती जाट की जमीन मौजूद है, पश्चिम की नाप 35 फुट व चिपती हुई वादी मोहनसिंह की जमीन, उत्तर की नाप 110 व इस ओर पांची जाटव की जमीन, दक्षिण की ओर 135 फुट व नत्थी एवं केशव मीणा के प्लॉट व पुख्ता मकान मौजूद हैं, को वादी द्वारा प्रतिवादी रामेश्वर से दिनांक 25–11–2004 को क्रय करने का करार किया था एवं बतौर साई उसी दिन 31,000/–रूपये प्रतिवादी को दे दिये थे। शेष 31,900/–रूपये रजिस्ट्री के समय दिये जाने तय हुए थे। वादी के अनुसार दिनांक 25–11–2004 को ही इस भूमि का कब्जा उसने प्राप्त कर लिया था, तत्पश्चात् दिनांक 30–11–2004 को अतिरिक्त जरूरत बताते हुए प्रतिवादी ने 31,900/–रूपये व 10,000/–रूपये और कुल 41,900/–रूपये ले लिये तथा एक इकरारनामा तहरीर व तकमील करवाकर हस्ताक्षर करते हुए गवाहान् की गवाही करवा दी, परन्तु आगामी स्तर पर जब वादी ने प्रतिवादी को उक्त भूमि का विक्रय–पत्र अपने हक में रजिस्टर्ड करवाने बाबत् कहा तो प्रतिवादी इन्कार हो गया व विवादित भूमि को लठैत आदि व्यक्ति को बेचने की धमकी दिनांक 18–09–2011 को दी। वादी ने इस सम्बन्ध में स्वयं को तो न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया ही साथ ही साथ अपने समर्थन में अन्य गवाह

दिनेश, कलुआ व शिवसिंह को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया। जिन्होंने वादी के इन कथनों का समर्थन किया कि प्रदर्श–1 कथित इकरारनामे के आधार पर प्रतिवादी ने वादी से 41,900/–रूपये प्राप्त किये थे एवं यह पैंसे समन्दर जाटव की लड़की की शादी में लिये थे और प्लॉट के पीछे का हिस्सा तुरन्त दे दिया था। वादी ने मुख्य रूप से अपने समर्थन में जो दस्तोवेजी साक्ष्य पेश की है, वह प्रदर्श–1 उक्त इकरारनामा है, जिसके आधार पर वादी स्वयं के व प्रतिवादी के बीच में विवादित भूमि के सम्बन्ध में करार होना बताता है। साथ ही विवादित भूमि का नक्शा प्रदर्श–2 भी पेश किया एवं तहसीलदार वैर के निर्णय दिनांक 18–03–2013 की प्रति प्रदर्श–3 के रूप में पेश किये। इन सभी दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया।

9– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिस दस्तावेज के आधार पर वादी विवादित भूमि को अपने हक में प्रतिवादी द्वारा विक्रय किया जाना एवं कब्जा सौंपा जाना बताता है, वह एक साधारण कागज है, जिस पर 41,900/–रूपये समन्दर जाटव की लड़की की शादी में दिये जाने तथा पीछे का हिस्सा प्लॉट का तुरन्त कब्जा देने एवं रजिस्ट्री बाद में होने के तथ्य अंकित हैं, परन्तु इस दस्तावेज पर कहीं भी उक्त सम्पत्ति की नाप या अन्य विवरण अंकित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में यह करार किया गया। मात्र प्लॉट के पीछे वाले हिस्से को कब्जे में देना बताया। परन्तु यह प्लॉट कहां स्थित है व इसकी नाप क्या है, इस सम्बन्ध में दस्तावेज मौन है। यहॉ यह तथ्य भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी ने अपने दावे में स्वयं यह कथन किया है कि दिनांक 30–11–2004 को यह इकरानामा तहरीर व तकमील करवाया गया जबकि इस इकरारनामे पर दिनांक 30–11–2004 अंकित नहीं है। अपितु दिनांक 25–11–2004 को प्लॉट के सम्बन्ध में साई देने आदि के तथ्य अंकित हैं।

10– यह दस्तावेज एक अचल सम्पत्ति के क्रय एवं विक्रय के सम्बन्ध में रचित इकरारनामा बताया गया है जबकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार अचल सम्पत्ति से संबंधित कोई भी इकरार 100/–रूपये के स्टाम्प पर किया जाना आवश्यक है। उसके पश्चात् यह दस्तावेज साधारण कागज पर है। ऐसे में इस दस्तावेज की साक्ष्य में ग्राह्ता सन्देहास्पद हो जाती है।

11– यहॉ यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी ने इस भूमि को आबादी में परिवर्तित करवाने के पश्चात् स्वयं के हक में विक्रय–पत्र रजिस्टर्ड करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि इस बाबत् कोई उल्लेख प्रदर्श–1 में नहीं किया गया था व यदि इस सम्बन्ध में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया जाये तो कोई भी व्यक्ति जो एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि को विक्रय, दान या वसीयत नहीं कर सकता जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य न हो एवं प्रस्तुत मामले में वादी इन दोनों ही वर्गों से सम्बन्ध नहीं रखता है। अपितु वह अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल प्रजापत जाति से सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस कृषि भूमि के सम्बन्ध में यह इकरारनामा किया जाना बताया गया है। वास्तव में वह विधिक रूप से वादी द्वारा क्रय नहीं की जा

सकती थी अर्थात् जो इकरारनामा किया गया, वह प्रारम्भ से ही शून्य था।

12– वादी को स्वयं यह साबित करना आवश्यक था कि वह इकरारनामे के अपने कथनों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहा है, जिसके सम्बन्ध में वादी का कथन है कि उसने सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी को दे दी थी, परन्तु 2004 के पश्चात् 2011 तक प्रतिवादी द्वारा वादी के हक में रजिस्ट्री नहीं करवाये जाने पर भी वादी के द्वारा कोई विधिक नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया गया एवं इसका कोई कारण भी दर्शित नहीं है। जिन गवाहान् को वादी अपने समर्थन में पेश कर रहा है वे सभी प्लॉट के पिछले हिस्से को वादी को बेचना बताते हैं, परन्तु इन गवाहान् द्वारा भी सम्पत्ति का कोई विवरण पत्रावली पर नहीं दिया गया है।

13– इस प्रकार सर्वप्रथम तो जिस दस्तावेज के आधार पर यह सम्पूर्ण दावा पेश किया गया है, वह सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं है, न ही पर्याप्त स्टाम्प पर है। साथ ही यह इकरारनामा एक ऐसी कृषि भूमि के सम्बन्ध में है, जिसके क्रय किये जाने का अधिकार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी नहीं रखता है। भूमि को रजिस्टर्ड करवाने की कोई शर्त प्रदर्श–1 में अंकित नहीं है। वादी द्वारा कथित इकरारनामा किसी भी प्रकार से विक्रय की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार न्यायालय की राय में वादी अपने वाद–पत्र में किये गये कथनों को अपने स्तर पर ही साबित करने में असफल रहा है व कई विधिक त्रुटियॉ प्रस्तुत दावे में रही हैं। चूँकि यह दावा वादी की ओर से पेश किया गया है व इसे साबित करने का भार वादी पर ही था। ऐसे में वादी के असफल होने से प्रस्तुत दावा खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है जो एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् तकमील मुआयदा व हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
वैर।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–89/2013(120/2010)

गोपालीराम पुत्र साधुराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेरली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––– वादी

बनाम

1– सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वैर।
2– अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बयाना।
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

––––प्रतिवादीगण

4– रेवती
5– रामखिलाडी
6– श्रीमती शांन्ति पत्नी स्व0 रामचरन
पुत्रान साधूराम जाति ब्राह्मण निवासी खेरली गूजर तहसील वैर।

7– सुनील
8– अशोक कुमार
9– राकेश
10–अनिल कुमार
पिसरान स्वर्गीय रामचरन जाति ब्राह्मण निवासी खेरली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।

–––तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत् हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री सुरेशचन्द शर्मा, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री देवेन्द्र शरण पाठक़, विद्वान् राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।
3–तरतीवी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–26–10–2017</u>**

1– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 19–11–2010 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0), वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांकित 20–07–2013 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी की ओर से इस आशय का वाद–पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा व 238 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा ग्राम खेडली गूजर

तहसील वैर में है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 10 रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज हैं। ये भूमियॉ पारिवारिक विभाजन में न्यारान्यूर वादी के हिस्से में आई हैं। जिस पर वादी का ही कब्जा एवं काश्त चली आ रही है। इन खेतों के पास में हलैना से वैर जाने वाली एक सड़क मौजूद है जो खसरा नम्बर 450 व अन्य खसरा नम्बरों की भूमि से अवाप्ति की कार्यवाही कर सम्बन्धित खातेदारों को मुआवजा देकर बनाई गई थी एवं तत्समय वादी की भूमियों को अवाप्त नहीं किया गया था। अब इस सड़क का पुनः निर्माण कर चौडा किया जा रहा है तथा सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है जिससे वादी की खातेदारी भूमि का अतिक्रमण होगा एवं प्रतिवादीगण ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व वृक्षारोपण करने के लिए अवाप्ति की कोई कार्यवाही भी नहीं की है, न ही राज्य सरकार ने कोई गजट नौटिफिकेशन भी नहीं निकाला है। यहॉ तक कि वादी को कोई विधिवत् नोटिस भी नहीं दिया गया है। बिना सुनवाई किये अवैध रूप से वादी की खातेदारी भूमियों पर अतिक्रमण सड़क निर्माण करने व उसे चौड़ा करने पर प्रतिवादी पक्ष आमादा है जिस बाबत् उन्होंने गढढे खोदना भी शुरू कर दिये हैं। दिनांक 11–11–2010 को वादी के मना किये जाने पर भी प्रतिवादीगण ने सड़क का निर्माण करने व वृक्षारोपण करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करते हैं तो वादी की भूमियॉ नाकाबिल काश्त हो जायेगी एवं वह अपनी भूमि से बेदखल एवं महरूम हो जायेगा। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का निवेदन किया कि वे वादी की खसरा नम्बर 237 व 238 की भूमि को गैर कानूनी रूप से गढ्ढे खोद सड़क का निर्माण न करें व न ही वृक्षारोपण करें, न ही किसी प्रकार का अतिक्रकण व हस्तक्षेप करें।

3– प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इस आशय का जबावदावा पेश किया कि उनके द्वारा वादी को कभी भी कोई धमकी नहीं दी गई है। वादी ने अपने नक्शा में जो सड़क दर्शाई है, वह मौके पर लम्बे समय से एवं वादी पक्ष ने गलत तरह से नक्शा कसीद किया है। जिस रास्ते का वर्णन वादी अपने नक्शा में कर रहे हैं। वह चालू एवं डाबर की सड़क है जो हलैना से वैर तक पूरी तरह से जुडी हुई है। इस सड़क पर कार्य न करने से पचास मीटर तक पानी भर गया था एवं सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। वादी पक्ष ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है। अतः खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– प्रकरण में अन्य तरतीवी प्रतिवादीगण के बावजूद तामील नोटिस के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय की आदेशिका दिनांकित 10–12–2010 द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी प्रतिवादीगण असल को इस आशय की जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा एवं 238 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम खेरली गूजर में बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये गैरकानूनी रूप से गढ्ढे खोदकर सड़क का निर्माण व

विस्तार एवं वृक्षारोपण नहीं करें तथा उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व हस्तक्षेप नहीं करें व आराजी में गढ्ढे आदि खोदकर वादी की फसल को नष्ट व बर्बाद नहीं करें?

–––––वादी

2– आया वादी द्वारा प्रतिवादीगण को धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस न दिये जाने के अभाव में दावा काबिले खारिजी है?

––––– प्रतिवादीगण

3– अनुतोष?

6– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 गोपाली (स्वयं वादी) के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ–पत्र प्रदर्श–1, नक्शा प्रदर्श पी–2 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श–3 को प्रदर्शित करवाया गया।

7– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 महेशचन्द शर्मा के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये।

8– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–2</u>

9– सुविधा की दृष्टि से सर्वप्रथम विवाद्यक संख्या–2 को निस्तारित किया जा रहा है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था। प्रतिवादीगण का इस सम्बन्ध में यह कथन है कि यह दावा मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या–1 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रतिवादी संख्या–2 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बयाना एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध जरिये कलक्टर पेश किया गया है, परन्तु किसी विभाग को धारा 80 सीपीपी के तहत कोई नोटिस दो माह पूर्व नहीं दिया। ऐसे में विधिक त्रुटि के चलते दावे को इस स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10– वादी पक्ष का प्रतिवादी के कथनों के खण्डन में यह तर्क रहा कि जहॉ मामला अत्यधिक आवश्यक प्रकृति का हो वहॉ धारा 80 सीपीसी के तहत सूचना दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चूॅकि यह दावा अत्यावश्यक प्रकृति का था एवं दो माह का नोटिस दिया जाता तो प्रतिवादीगण सड़क निर्माण कर वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर लेते। ऐसे में बिना नोटिस दिये ही वादी को यह दावा पेश करना पड़ा, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

11– दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह विवाद्यक एक कानूनी विवाद्यक है जिसके सम्बन्ध में यदि धारा 80 सीपीसी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाये तो यह सही है कि जहॉ किसी लोक अधिकारी के

विरूद्ध उसके पदीय हैसियत में कोई दावा लाया जाता है तो ऐसे दावे से पूर्व दो माह की सूचना उक्त लोक अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है। परन्तु धारा 80 की उपधारा–2 में यह प्रावधान है कि यदि कोई वाद इस प्रकृति का है कि तुरन्त नोटिस नहीं दिये जाने पर अथवा दो माह का नोटिस दिये जाने पर ऐसे वाद को लाये जाने का उद्देश्य विफल हो जायेगा तो न्यायालय की अनुमति के पश्चात् ऐसा दावा दो माह के नोटिस के बिना भी पेश किया जा सकता है। अर्थात् मामले को अत्यावश्यक प्रकृति के होने पर दावे पर संबंधित लोक अधिकारी को दो माह की सूचना दिये बिना ही पेश किया जा सकता है एवं प्रस्तुत मामले में वादी की ओर से अपने दावे में ही पूर्व से ही यह कथन किया हुआ है कि यदि वह धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी पक्ष को देता है तो प्रतिवादी पक्ष उसकी भूमि पर अतिक्रमण कर लेंगे जिससे उसका दावा लाने का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। पत्रावली पर वादी की ओर से धारा 80 सीपीसी के तहत अनुमति बाबत् पेश किया गया प्रार्थना–पत्र भी संलग्न है। अतः इस स्तर पर न्यायालय की राय में इस आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य नहीं हो जाता कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय यह विवाद्यक विरूद्ध प्रतिवादीगण व वादी के पक्ष में तय करना उचित पाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 1</u>

12– इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था, जिसके सम्बन्ध में वादी का यह कथन है कि उसके खसरा नम्बर 237 व 238 हैं जो कि क्रमशः रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा व रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा हैं। इन खेतों के पास से पूर्व से ही वैर से हलैना जाने वाली सड़क निर्मित है जो कि खसरा नम्बर 450 एवं अन्य खसरा नम्बरों में से होकर गुजरती है। जब इस सड़क का निर्माण किया गया था तब जिन खातेदारों की भूमियों को अवाप्त किया गया उन्हें नियमित रूप से मुआवजा दिया गया था। तत्समय न ही तो वादी की भूमि को अवाप्त किया गया था, न ही उसे किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त हुआ, परन्तु अब इस स्तर पर उक्त सड़क को प्रतिवादी पक्ष पुनः चौड़ा कर रहे हैं एवं सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव है एवं इस वृक्षारोपण एवं सड़क विस्तार के कार्य में वादी के खसरा नम्बर 237 एवं 238 की भूमियों को उपयोग में लिया जा रहा है एवं न ही तो वादी की भूमि को विधि अनुसार अधिग्रहण किया गया है एवं न ही इस बाबत् कोई सूचना वादी को दी गई है, न ही मुआवजा बाबत् वादी के पक्ष में कोई कार्यवाही की गई है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या–1 से 3 को वादी के खातेदारों की भूमियों पर अतिक्रमण किये जाने से रोकना आवश्यक है। न्यायालय के समक्ष पेश किये गये अपने मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र में भी वादी ने अपने दावे के तथ्यों को दोहराया व अपने समर्थन में नक्शा व नकल जमाबन्दी पेश की जिससे यह जाहिर है कि वादी गोपाली खसरा नम्बर 237 व 238 की भूमियों का खातेदार है।

13– प्रतिवादी पक्ष का मुख्य रूप से यह कथन है कि वादी की भूमियों पर किसी प्रकार का कोई अवैध सड़क निर्माण नहीं करवाया जा रहा है एवं न ही वादी को उसकी भूमियों को अतिक्रमण करने बाबत् कोई धमकी दी गई है। यह सड़क पूर्व से ही सरकारी

रास्ते से होकर निकल रही है जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क का इस स्तर पर कोई विस्तार नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा गलत तरह से दावा पेश किया गया है।

14– इन दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

15– इस तथ्य को साबित करने का भार स्वयं वादी पर है कि वह प्रतिवादी पक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है या नहीं? इस तथ्य में कहीं कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान में वादी खसरा नम्बर 237 व 238 का खातेदार है। चूँकि इस सम्बन्ध में वादी ने जमाबन्दी प्रदर्श–3 पेश की है एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा भी इस तथ्य के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण का प्रतिरक्षा में मात्र यह कथन है कि उनके द्वारा वादी की भूमि को अतिक्रमित नहीं किया जा रहा है एवं जो सड़क पूर्व से निर्मित है, उसी पर आवागमन चालू हैं। जिसे वादी डाईवर्ट करवाना चाहता है जिससे विवाद होने की अत्यधिक सम्भावना है। खसरा नम्बर 450 पर भी सड़क का कोई अस्तित्व नहीं है। वादी ने जो नक्शा पेश किया है वह गलत है। परन्तु प्रतिवादी पक्ष ने अपने सरकारी रिकार्ड से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह जाहिर हो कि सड़क की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रतिवादी पक्ष इस स्तर पर वादी की ओर से पेश किये गये नक्शा प्रदर्श–2 गलत बना हुआ बताता है। परन्तु सड़क की सही स्थिति बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने रिकार्ड से प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है। यदि वादी के दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाये तो हांलाकि वादी ने खसरा नम्बर 450 से खसरा नम्बर 461 तक होते हुए सड़क को हलैना से वैर जाना बताया है, परन्तु एक अन्य रास्ता नक्शा में ही वादी के द्वारा दर्शाया गया है जिसे भी हलैना से वैर जाने वाले रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है एवं इसी रास्ते में पश्चिम की ओर वादी ने अपने खसरा नम्बर 27 एवं 238 दर्शाये हैं व कथन किया है कि इस रास्ते के विस्तार हेतु ही वादी की भूमियों को अतिक्रमण कर उन पर वृक्षारोपण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके खण्डन स्वरूप कोई स्पष्ट कथन प्रतिवादी संख्या–1 से 3 द्वारा नहीं किया गया है। प्रतिवादी पक्ष यह तो कथन करता है कि वादी ने अन्य खसरों में से जो सड़क होना बताया है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परन्तु कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि वर्तमान में वादी के खेत में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। गवाह डी डब्ल्यू–1 महेश चन्द शर्मा जो वर्तमान में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद पर हैं, द्वारा भी जिरह में यह कथन किया गया कि विवादित सड़क पूर्व से ही बनी हुई है एवं यह सड़क सरकारी रास्तों से होकर निकल रही है। वादी की आराजी में से होकर सड़क नहीं निकाली जा रही है, न ही कोई वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार गवाह द्वारा पूर्व से निर्मित सड़क को को सरकारी रास्ते में होना बताया गया है जिससे वादी का यह कथन स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व से जो सड़क निर्मित थी, उसमें वादी के खातेदारी की भूमियों को अवाप्त नहीं किया गया था। हांलाकि वादी के इस कथन की पुष्टि न ही तो उसकी मौखिक साक्ष्य से हो पाई है कि उक्त सड़क खसरा नम्बर 450 एवं अन्य खसरों से होकर गुजरती है एवं न ही दस्तावेजी साक्ष्य से हो पाई है। इस स्तर पर न्यायालय की राय में वादी मात्र यह साबित करने में सफल रहा है कि वर्तमान में वह खसरा नम्बर 237 व 238 का

खातेदार होने से इस पर काबिज है एवं यदि उक्त भूमियों को विधि विरूद्ध रूप से अतिक्रमित किया जाता है तो वह ऐसे व्यक्तियों को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है। इस स्तर पर चूॅकि प्रतिवादी ने भी इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन नहीं किया है कि उनके द्वारा जो सरकारी रास्ता टूटा एवं मरम्मत योग्य बताया गया है, उसकी मरम्मत बाबत् किसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी या नहीं एवं वृक्षारोपण हेतु गढढे खोदे गये थे या नहीं? ऐसे में न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किये जाने से एवं वादी की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य स्पष्ट होने से यह विवाद्यक इस हद तक वादी के पक्ष में तय किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी की भूमियों पर गैर कानूनी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सड़क का निर्माण, विस्तार या अन्य किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं करें।

अ नु तो ष

16– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1 वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की हद तक व विवाद्यक संख्या–2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद उक्त हद तक स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी इस रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय का डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या–1 से 3 वादी के खातेदारी खसरा नम्बर 237 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा एवं 238 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम खेडली गूजर में नई सड़क व निर्माण अथवा पूर्व से मौजूद समीप की सड़क का विस्तार वादी की भूमियों पर गैर कानूनी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये न करें, न ही अन्य किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण या विधि विरूद्ध हस्तक्षेप करें।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 26–10–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–20/2014(12/2015)

लच्छी पुत्र श्री रामजीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1– हरप्रसाद दत्तक पुत्र कलुआ 2– दामो पुत्र हरप्रसाद	जाति धाकड निवासी ग्राम सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर।

————प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत् विभाजन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री सुरेशचन्द शर्मा, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री मुरारीलाल शर्मा, विद्वान् राजकीय अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–27–10–2017</u>**

1– वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् विभाजन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 10–03–2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी की ओर से इस आशय का वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं, जिनकी एक शामलाती एवं पैतृक जायदाद नौहरा, पाटौर पोश, छप्पर पोश व पुख्ता बैठक ग्राम सिरस में जिसके तरफ उत्तर गौत जमीन रतनलाल, बृजेन्द्र, मोहनसिंह धाकड नाप इस तरफ 100 फीट, तरफ दक्षिण गौत जमीन नरेश, रजुआ धाकड नाप इस तरफ 105 फीट, तरफ पूर्व रास्ता आम बाद मकान केदार शर्मा नाप इस तरफ 95 फीट तथा तरफ पश्चिम मकान रामसिंह धाकड दरम्यान गली दो फीट चौडी शामलाती नाप इस तरफ 90 फीट स्थित है। उक्त शामलाती जायदाद को वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शा में पीले रंग से दर्शित किया गया है। उक्त जायदाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 को अपने स्वर्गीय बाबा प्रभू एवं पितागण रामजीलाल व कलुआ से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की शामलाती पुख्ता बैठक मय चबूतरा के बनी हुई है व

पाटौर पोश व छप्पर पोश बने हुए हैं। जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पशुओं को बांधने व चारा रखने व उठने बैठने व रिहायश आदि के उपयोग व उपभोग में ले रहे हैं। उक्त शामलाती जायदाद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 बहिस्सा बराबर के मालिक व काबिज हैं। अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और वह वादी को उक्त शामलाती जायदाद से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा उपयोग उपभोग में बाधा डालते हैं। वादी ने दिनांक 26–02–2014 को प्रतिवादीगण को इस शामलाती सम्पत्ति का बंटवारा करने के लिए कहा तो वे इन्कार करते रहे एवं धमकी दी कि वे वादी को इस सम्पत्ति से लठ्ठ व ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे व अपना कब्जा कर लेंगे तथा प्रतिवादीगण मारपीट पर आमादा हो गये। यदि वह ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वादी को अत्यधिक क्षति होगी। ऐसे में विवादग्रस्त सम्पत्ति जो कि शामलाती पैतृक सम्पत्ति है, का विधि अनुसार विभाजन किये जाने तथा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से में दखलन्दाजी करने से रोकने व उपयोग उपभोग में बाधा डालने से पाबन्द करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

3– प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जबाव दावा पेश कर कथन किया गया कि वादीगण द्वारा जो सजरा पेश किया गया है, वह गलत है। चूँकि उनके द्वारा प्रभू की मात्र दो सन्तान कलुआ एवं रामजीलाल ही दर्शाई गई है। जबकि प्रभू की पॉच सन्तानें थी। जिनमें कलुआ, रामजीलाल के निरौती, जौहरी व बुद्धाराम भाई है। निरौती व जौहरी लाऔलाद फौत हुए हैं। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। नक्शा भी मौके के अनुरूप नहीं है। उत्तर की ओर बताई गई 100 फुट नाप गलत है। चूँकि इस तरह नाप 52 फुट 6 इन्च है। इसी प्रकार अन्य दिशाओं की नाप भी गलत है। विवादित सम्पत्ति जो कि नक्शे में पीले रंग से दर्शित है, में वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 के अलावा निरौती, जौहरी व कलुआ का भी अधिकार है। जौहरी व बुद्धाराम, हरप्रसाद के साथ शामिल रहता था एवं उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 हरप्रसाद को ही अपनी सम्पत्ति सम्भला दी गई थी। ऐसे में वादी का यह कथन कि विवादित सम्पत्ति मात्र वादी एवं प्रतिवादी की ही है, गलत है। चूँकि यह सम्पत्ति न्यारान्यूर नहीं है। वादी ने मृतक निरौती, जौहरी व बुद्धाराम के वारिसों को पक्षकार ही नहीं बनाया। प्रतिवादीगण ने वादी को कभी भी कोई धमकी नहीं दी। इस सम्पत्ति के दक्षिणी पूर्वी कौने पर प्रतिवादी हरप्रसाद की पुख्ता बैठक न्यारान्यूर बनी हुई है। इसकी बगल में ही पाटौर पोश व छप्पर पोश डला हुआ है, जो प्रतिवादी हरप्रसाद के ही हैं। वादी का इससे कोई लेनादेना नहीं है। वादी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने का प्रश्न नहीं है। दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 की शामलाती पुख्ता बैठक मय चबूतरा के बनी हुई है व पाटौर पोश व छप्पर पोश बने हुए हैं जिनमें वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पशुओं को बांधने व चारा रखने व उठने बैठने व रिहायश आदि के उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे हैं?

——————वादी

2— आया वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद—पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित शामलाती जायदाद का समान विभाजन किया जाकर वादी को उसके पैतृक निस्फ हिस्से की जायदाद पर प्रतिस्थापित कराया जाये?

————वादी

3— आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाये जाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के उक्त शामलाती जायदाद के उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा नहीं करें तथा कोई निर्माण आदि नहीं करें?

————वादी

4— आया विनाय मुखास्मत दावी हाजा दिनांक 26—01—2014 को धमकी दिये जाने पर बमुकाम सिरस तहसील वैर में पैदा हुआ?

————वादी

4ए—आया वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौके के अनुरूप नहीं है?

————प्रतिवादीगण

5— आया वादी का वाद आवश्यक पक्षकार मुकदमा न बनाये जाने के कारण दावा काबिले खारिजी है?

————प्रतिवादीगण

6— अनुतोष?

5— उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू—1 लच्छी (स्वयं वादी) व पी डब्ल्यू—2 दिनेश चन्द सिंघल के बयान शपथ—पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श—1 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू—1 हरप्रसाद, डी डब्ल्यू—2 रत्तीराम वैरवा तथा डी डब्ल्यू—3 केदारनाथ शर्मा के बयान शपथ—पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा तारीख 10—04—2014 प्रदर्श डी—1 (प्रदर्श ए—1) को प्रदर्शित करवाया गया।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

विवाद्यक संख्या—1, 2 व 4

8— उक्त तीनों ही विवाद्यक एक दूसरे से अन्तर सम्बन्धित होने के कारण व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उक्त तीनों विवाद्यकों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

9— इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से वादी पक्ष का यह कथन है कि विवादित सम्पत्ति जिसका उल्लेख वाद—पत्र की मद संख्या—2 में किया गया है, वह वास्तव में दोनों पक्षों

के पूर्वजों की एक शामलाती सम्पत्ति है, जिसमें नौहरा, पाटौर पोश, छप्पर पोश एवं पुख्ता बैठक बने हुए हैं। इस भूमि पर वादी के अनुसार कलुआ व रामजीलाल का अधिकार था एवं कलुआ व रामजीलाल प्रभू के पुत्र हैं। चूँकि कलुआ निसन्तान फौत हुआ है एवं उसके द्वारा हरप्रसाद को गोद लिया गया था, ऐसे में अब रामजीलाल के दो पुत्र हरप्रसाद व लच्छी में ही इस सम्पत्ति का बंटवारा होना है। वादी के अनुसार वह एवं प्रतिवादीगण इस सम्पत्ति को अपने उपयोग, उपभोग में बराबर लेते आये हैं एवं इसमें पशु बांधने एवं चारा डालने एवं रिहायश करने का कथन किया है। चूँकि अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गया है। ऐसे में वह सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वयं ही कब्जा करना चाहते हैं एवं वादी को इससे बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए सम्पत्ति का अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरे हिस्से का विभाजन का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में वादी स्वयं न्यायालय में पी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है एवं वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शा को प्रदर्श–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया। वादी ने अपने वाद–पत्र के कथनों को ही मुख्य परीक्षा में दोहराया व कथन किया कि दिनांक 26–02–2014 को विभाजन करने से प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किये जाने पर यह दावा लाने के लिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। जब वादी से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई तो वादी ने कथन किया कि प्रभू उसका काका लगता था। प्रभू के पॉच लड़के हो तो उसे नहीं पता। उसने दो ही लड़के देखे हैं। जिनमें एक कलुआ व दूसरा रामजीलाल है। बुद्धाराम के दो लडकियॉ होने की बात को गवाह ने स्वीकार किया। वादी ने स्वीकार किया कि उसके पिता का नाम रामजीलाल है। रामजीलाल के दो पुत्र हरप्रसाद व लच्छी होना बताये। शिवचरन और शिब्बो को स्वयं के काका का बेटा होना बताया। इस सुझाव को सही बताया कि उसने शिवचरन व शिब्बो को मुकद्मा में पक्षकार नहीं बनाया। इस सुझाव को सही बताया कि उसने प्रभू के पॉच बेटों के नाम यह दावा नहीं किया। मात्र दो बेटों के नाम से पेश किया है। विवादित जगह के उत्तर में क्या नाप है, उसे नहीं पता। उत्तर दक्षिण में 100–100 फुट बताई। पश्चिम में 50 व पूर्व में 75 फुट बताई। इस सुझाव को सही बताया कि इस विवादित भूमि के दक्षिण पूर्व में हरप्रसाद का पुख्ता हॉल बना हुआ है व इस हॉल के पश्चिम में हरप्रसाद की पाटौर पोश है व इस पाटौर पोश के पश्चिम में हरप्रसाद की छप्पर पोश डली हुई है। इस सुझाव को भी सही बताया कि बुद्धा की लड़की लीला व विरमा के हिस्से की जायदाद को हरप्रसाद अकेला ही उपयोग, उपभोग कर रहा है। विवादित जायदाद का मौका मुआयना करवाया था, परन्तु रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न नहीं है।

10– गवाह पी डब्ल्यू–2 के रूप में दिनेश चन्द सिंघल परीक्षित हुए जिनके द्वारा नक्शा तैयार किया गया था, जो मुख्य परीक्षा में नक्शा कसीद किये जाने की पुष्टि करते हैं एवं जिरह में भी कोई विरोधाभासी कथन इस बाबत् नहीं किया।

11– अपनी मौखिक साक्ष्य एवं नक्शा के आधार पर वादी ने स्वयं का मामला साबित होना बताया व कथन किया कि उसके पक्ष में दावा डिक्री किया जाये।

12– प्रतिवादी पक्ष ने इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वादी स्वयं को प्रभू का बंशज बताते हुए यह दावा लेकर आया है, परन्तु प्रभू के पॉच पुत्र थे।

जिनका हवाला वादी ने नहीं दिया है। साथ ही प्रभू के पुत्र बुद्धाराम के दो पुत्रियॉ भी थी, जिनके सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। रामजीलाल के भी हरप्रसाद के अतिरिक्त अन्य पुत्र जयराम, लच्छीराम व शिवचरन थे, जिन्हें भी प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, न ही विवादित सम्पत्ति की नाप सही अंकित की गई हैं। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है एवं अपने कथनों के समर्थन में स्वयं प्रतिवादी हरप्रसाद न्यायालय के समक्ष डी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ व अपनी मुख्य परीक्षा में जबावदावे के तथ्यों को दोहराया। जिरह में भी गवाह ने कथन किया कि वादी लच्छी की ओर पेश किया गया सजरा सही नहीं है। इस सुझाव को सही बताया कि उसे कलुआ ने गोद ले लिया था। नक्शा प्रदर्श डी–1 (प्रदर्श ए–1) मौके पर ही जाकर बनवाया था। विवादित प्लॉट में प्रतिवादी ने लच्छी का हिस्सा होना बताया, परन्तु चार हिस्से होना बताया। परन्तु प्रस्तुत मामले में अन्य पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में अन्य गवाह रत्तीराम को भी पेश किया, जिनके द्वारा नक्शा प्रदर्श–1 को कसीद किया गया था। इस गवाह ने नक्शा प्रतिवादी के कहे अनुसार बनाना जिरह में बताया। अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी ने वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दिये जाने का कथन किया।

13– सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

14– सर्वप्रथम वादी के लिए आवश्यक था कि वह यह साबित करे कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 ही विवादित सम्पत्ति शामलाती पुख्ता बैठक पाटौर पोश एवं छप्पर पोश को उपयोग, उपभोग में लेते आ रहे हैं। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रतिवादी का यह कथन है कि विवादित सम्पत्ति में वादी का भी हिस्सा है। परन्तु वादी के अतिरिक्त प्रतिवादी के अनुसार ऐसे अन्य वारिस भी है, जिन्हें इस सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा है एवं इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने अपने जबावदावे के साथ पृथक से सजरा पेश किया व अपने दादा प्रभू की पॉच सन्तान होना बताया व अपने पिता रामजीलाल के चार पुत्र होना बताया, जिसका कोई खण्डन जबाव उल जबाव पेश कर वादी की ओर से नहीं किया गया। यहॉ तक जब वादी लच्छी से इस सम्बन्ध में दौराने जिरह प्रश्न किया गया तो वादी ने स्वयं के दादा प्रभू को काका होना बताया व कथन किया कि यदि प्रभू के पॉच पुत्र हैं तो उसे नहीं पता। अर्थात् वादी स्वयं इस तथ्य से अनभिज्ञता व्यक्त कर रहा है कि प्रभू के वारिसान के सम्बन्ध में उसे जानकारी प्राप्त है। यहॉ तक कि वादी ने स्वयं स्वीकार किया कि बुद्धाराम के दो बेटियॉ हैं। बुद्धाराम उसका चाचा नहीं हो, ऐसा कोई खण्डनात्मक कथन भी वादी ने नहीं किया। शिवचरन को भी वादी ने स्वयं का चाचा का बेटा होना स्वीकार किया एवं जयराम को स्वयं का भाई होना स्वीकार किया व यह भी स्वीकार किया कि उसने शिवचरन व शिब्बो को मामले में पक्षकार नहीं बनाया। ऐसे में वादी के अपने कथनों से ही यह स्पष्ट है कि उसके पूर्वज प्रभू के वादी एवं प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य भी सन्तानें थी, जिनके वारिसान मौजूद हैं। जिन्हें प्रस्तुत मामले में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो कि नहीं बनाया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी हरप्रसाद का 20 X साढे 19 फुट का हॉल पाटौर पोश एवं छप्पर

पोश बना हुआ है। ऐसे में जब यह प्रतिवादी हरप्रसाद द्वारा निर्मित है तो उन्हें वादी किस प्रकार से उपयोग उपभोग में ले रहा है, यह अस्पष्ट है। अपने द्वारा इस सम्पत्ति में बने हुए छप्पर पोश पाटौर पोश के उपयोग, उपभोग में लेने की कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी वादी की ओर से पेश नहीं की गई है। इस स्तर पर वादी इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि विवादित सम्पत्ति पर मात्र उसके व प्रतिवादी संख्या–1 का ही कब्जा है एवं यह सम्पत्ति उन्हीं के उपयोग, उपभोग की है। चूँकि न तो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर आई है एवं न ही स्वतंत्र मौखिक साक्ष्य। यहॉ तक कि वादी ने तो प्रतिवादी के उन कथनों को भी जिरह में स्वीकार कर लिया जिनमें प्रतिवादी इस सम्पत्ति में अन्य व्यक्तियों का हिस्सा होने बाबत् एवं प्रभू के अन्य वारिसान होने बाबत् कथन कर रहा है। जहॉ तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य इस शामलाती जायदाद का नियमानुसार विभाजन किये जाने का प्रश्न है तो यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम तो वादी ने न्यायालय के समक्ष यह ही स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में इस भूमि पर उनके पूर्वज प्रभू का किसी प्रकार कब्जा एवं स्वामित्व था। चूॅकि इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यदि लम्बे समय से यह भूमि वादी के पूर्वजों एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे में होती तो इस बाबत् स्थानीय प्राधिकारी के पास एवं अन्य किसी सरकारी रिकार्ड में हवाला अवश्य होता, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यहॉ तक कि कोई स्वतंत्र मौखिक साक्षी भी इस सम्बन्ध में पेश नहीं की गई है। पत्रावली पर विवादित भूमि की फोटोग्राफ भी नहीं है। मात्र वादी की ओर से एक नक्शा पेश किया गया है जो उसने स्वयं नक्शानवीश से अपने अनुसार कसीद करवाया है।

15– अन्य तथ्य यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी स्वयं यह तथ्य पता होने से इन्कार करता है कि प्रभू के कितने पुत्र थे। इस बात की जानकारी उसे है। एक ओर यह स्वयं को प्रभू का पौत्र बताता है, वहीं दूसरी ओर जिरह में प्रभू को अपना काका होना बताता है। वादी प्रभू का किस प्रकार वारिस है, इस सम्बन्ध में भी पंचायत से कोई बंशावली प्राप्त कर पेश नहीं की गई है। अपितु स्वयं ने ही मात्र प्रभू के दो पुत्र कलुआ एवं रामजीलाल बताते हुए सजरा पेश किया है। जब प्रतिवादी पक्ष ने इसका खण्डन किया तो प्रतिवादी के कथनों को जिरह में स्वीकार कर लिया एवं स्वयं के चाचा व अन्य भाई होना स्वीकार किया। खण्डनात्मक साक्ष्य भी वादी की ओर से इस बाबत् पेश नही की गई। यहॉ तक कि स्वयं वादी विवादित सम्पत्ति की नाप अपनी जिरह में वाद–पत्र में अंकित नाप से भिन्न बता रहा है। इस प्रकार जो कथन वादी की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष प्रकट हो रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वादी ने न्यायालय के समक्ष सम्पत्ति के सम्बन्ध में एवं वारिसान के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है एवं वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। वादी द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है। वादी ने दिनांक 26–02–2014 को स्वयं को धमकी दिये जाने का कथन एवं वाद हेतुक उत्पन्न होना अपने शपथ–पत्र में बताया है। जबकि विवाद्यक दिनांक 26–01–2014 के सम्बन्ध में बनाया गया है, वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में भी इस दिनांक में संशोधन किया हुआ है एवं तनकी कायम किये जाते समय दिनांक के सम्बन्ध में कोई आपत्ति वादी द्वारा नहीं की गई व वाद हेतुक के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पेश की गई है वह दिनांक 26–02–2014 की घटना बताते हुए पेश की है। ऐसे में न्यायालय की राय में

वाद हेतुक वास्तव में किस दिन उत्पन्न हुआ, यह भी अस्पष्ट है। ऐसे में न्यायालय की राय में वादी विवादित सम्पत्ति का इस दावे के तथ्यों के अनुसार स्वयं के एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 1, 2 व 4 विरूद्ध वादी विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या–3

16– इस विवाद्यक को साबित करने का भार भी वादी पक्ष पर ही था, जिसके सम्बन्ध में वादी का यह कथन रहा है कि चूँकि वादी अपने पूर्वज प्रभू का बंशज है एवं विवादित सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के साथ वह भी लम्बे समय से कर रहा है एवं अब प्रतिवादीगण इस सम्पत्ति में वादी के उपयोग, उपभोग में दखल कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है। साक्षी के रूप में स्वयं वादी ही परीक्षित हुआ है एवं शपथ–पत्र में अपने कथनों को दोहराया है।

17– प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वादी ने आवश्यक पक्षकारों को प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं बनाया एवं तथ्यों को छुपाते हुए यह दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी एवं न ही वे इस विवादित भूमि पर कोई निर्माण कर रहे हैं। अतः दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

18– दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

19– विवाद्यक संख्या 1 व 2 को निस्तारित किये जाते समय इस सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन किया जा चुका है कि वादी ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट ही नहीं किया है। वास्तव में उनके पूर्वज प्रभू को विवादित सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त हुई, न ही प्रतिवादी के इन कथनों का खण्डन किया है कि प्रभू के वादी एवं प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य कई वारिस हैं। जिनका विवादित सम्पत्ति में हिस्सा है। साथ ही वादी ने दिनांक 26–02–2014 को स्वयं को वाद हेतुक उत्पन्न होना बताया है, परन्तु उक्त धमकी कहॉ दी, यह स्पष्ट नहीं है। न्यायालय द्वारा विवाद्यक दिनांक 26–01–2014 के सम्बन्ध में तय किया गया था। उसके पश्चात् भी वादी ने इस विवाद्यक को कभी संशोधित नहीं करवाया एवं अपनी साक्ष्य दिनांक 26–02–2014 के सम्बन्ध में पेश की। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में प्रतिवादीगण ने वादी को किसी प्रकार की धमकी दी या नहीं? प्रतिवादीगण वर्तमान में विवादित भूमि पर क्या निर्माण करवा रहे हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में न्यायालय की राय में इस विवाद्यक के सम्बन्ध में भी कोई सुदृढ़ साक्ष्य वादी की ओर से पेश नहीं की गई। ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायलय के समक्ष पेश नहीं किया गया जो यह जाहिर करे कि वास्तव में यह वादी के उपयोग, उपभोग में प्रतिवादीगण अवैध निर्माण कर या धमकी देकर किसी प्रकार की दखलन्दाजी कर रहे हैं। अतः विवाद्यक संख्या–3 भी विरूद्ध वादी विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–4ए व 5</u>

20– उक्त दोनों ही विवाद्यक एक दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था। विवाद्यक संख्या–4 ए के सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष का कथन है कि वास्तव में मौके की स्थिति पेश किये गये नक्शे के अनुरूप नहीं है। वादी की ओर से जो नक्शा प्रदर्श–1 पेश किया गया है, वह वास्तव में काल्पनिक तथ्यों पर पेश किया गया है। जब विवादित सम्पत्ति की नाप इस प्रकार नहीं है, साथ ही प्रतिवादीगण ने विवाद्यक संख्या–5 के सम्बन्ध में यह कथन किया कि वादी ने प्रभू के अन्य वारिसान को प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे, ऐसे में दावा खारिज किये जाने योग्य है। दौराने बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि नक्शा मौके के अनुरूप ही है एवं जो आवश्यक पक्षकार प्रस्तुत मामले में थे, उन्हें बाद में जोड़ा जा चुका है। अन्य कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। ऐसे में दोनों विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध तय किये जाने का निवेदन किया।

21– दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

22– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से जो नक्शा पेश किया गया है, उसकी पुष्टि बाबत् नक्शानवीश को पी डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जो स्वयं अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि यह नक्शा अदालत परिसर में बनाया था, वह मौके पर नहीं गया। अर्थात् वास्तव में नक्शा मौके का अवलोकन किये बिना ही बनाया गया प्रतीत होता है जिससे इस तथ्य में सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि नक्शे में दी गई नाप सही है। स्वयं वादी ने अपनी जिरह में जो नाप विवादित सम्पत्ति की बताई हैं। वह उत्तर व दक्षिण में 100–100 फुट पश्चिम में 50 फुट एवं पूर्व में 75 फुट बताई हैं, जो कि प्रदर्श–1 से भिन्न हैं। ऐसे में न्यायालय की राय में वादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि नक्शा मौके के अनुरूप नहीं बनाया गया। जहॉ तक प्रस्तुत मामले में आवश्यक पक्षकारों को नहीं जोड़े जाने का प्रश्न है तो जैसा कि पूर्व में भी उल्लखित किया गया है कि वादी स्वयं इस तथ्य का पता होने से इन्कार कर रहा है कि प्रभू के कितने पुत्र थे, जबकि प्रभू को वादी ने अपने वाद–पत्र में स्वयं का दादा होना दर्शाया है। जिरह में वादी यह तो स्वीकार करता है कि बुद्धाराम की दो बेटियॉ लीलाबाई व विरमादेवी थी जिनके हिस्से की भूमि को प्रतिवादी हरप्रसाद उपयोग उपभोग में ले रहा है, परन्तु इस दावे में उन्हें पक्षकार नहीं बनाये जाने का कोई कारण वादी ने दर्शित नहीं किया। जबकि प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि लीलाबाई व विरमादेवी बुद्धाराम की पुत्रियॉ हैं जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 का सगा चाचा है। नियमनुसार इन सभी व्यक्तियों का सम्पत्ति में हिस्सा था। स्वयं वादी जिरह में यह स्वीकार करता है कि शिवचरन एवं शिब्बो उसके चाचा हैं जो प्रभू के पुत्र है। अब न ही तो उन्हें सजरे में प्रभू के वारिसान के रूप में दर्शाया गया है व न ही सम्पत्ति में उनके हिस्से के सम्बन्ध में कोई कथन किया गया है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष इस स्तर पर यह प्रकट होता है कि वादी तथ्यों को छुपाते हुए यह दावा लेकर आया है। वादी ने सम्पत्ति के सम्बन्ध में एवं प्रभू के वारिसान के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख पत्रावली पर

नहीं किया है। वादी का दावा स्वच्छ हाथों से लाया गया नहीं माना जा सकता। अत : यह विवाद्यक संख्या–4ए व 5 विरूद्ध वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

अ नु तो ष

23– चूँकि विवाद्यक संख्या–1,2,3 व 4 विरूद्ध वादी विनिश्चित किये गये हैं व विवाद्यक संख्या 4 ए व 5 को भी वादी के विरूद्ध ही विनिश्चित किया गया है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् विभाजन एवं हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 27–10–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–267/2010(169/2008)

आम जनता ग्राम हिसामडा तहसील वैर जरिये–

1– सीताराम पुत्र हरीराम
2– महाराजसिंह पुत्र सीताराम | जाति धाकड़ निवासी ग्राम हिसामडा तहसील वैर।

––––– वादी

बनाम

1– रमेश पुत्र धूपसिंह
2– मु0 सौमोती वेवा नत्थी
3– सीयाराम पुत्र रमेश
4– प्रेमसिंह पुत्र रमेश | जाति धाकड निवासी ग्राम हिसामडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––––प्रतिवादीगण

<u>वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा एवं सुखाधिकार घोषणा</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2–श्री बृजकिशोर धाकड़, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–28–10–2017</u>**

1– वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा एवं सुखाधिकार घोषणा दिनांक 17–06–2008 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) वैर में प्रस्तुत हुआ जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक 25 दिनांक 06–02–2010 द्वारा इस न्यायालय में मुन्तकिल होकर प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी पक्ष की ओर से आमजन की तरफ से इस आशय का वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि ग्राम हिसामडा तहसील वैर में आबादी गॉव से मंदिर धर्मशाला व प्याऊ, तथा प्राचीन समय का रास्ता स्थित है, जिसे संलग्न नक्शा में मटमैले

रंग से दिखाया है। इस रास्ते में सैकडों साल से वादी व प्रतिवादी पक्ष के पूर्वज एवं ग्रामवासी आवागमन करते हैं। यह 12 फुट चौडा रास्ता जिसमें ट्रेक्टर ट्रॉली भी निकलते हैं। विवादित रास्ते पर ग्राम पंचायत गांगरौली ने सन् 1999 में खरंजा करवाकर पुख्ता करवाया था। प्रतिवादी पक्ष का निजी तौर पर इस रास्ते से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादी पक्ष जबरन ताकत के बल पर इस रास्ते पर कब्जा व निर्माण करने पर आमादा हैं एवं प्रतिवादी पक्ष ने इस रास्ते की पुख्ता पिचिंग को उखाड कर 6 फुट चौडाई में एवं 50 फुट लम्बाई में नींव खोदकर दिनांक 13–06–2008 को निर्माण शुरू कर दिया। जब वादी एवं ग्रामवासियों ने उन्हें रोका तो धमकी दी कि वे इस रास्ते को जबरन कब्जा कर मंदिर कुआ व धर्मशाला तक जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बन्द कर देंगे एवं निर्माण कार्य तीव्रगति से चला दिया। यदि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वादीगण व ग्रामवासियों का आम रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा तथा उन्हें अपने खेतों में आने–जाने में परेशानी होगी। यह रास्ता प्राचीन समय से निर्विवाद आवागमन के उपयोग में आ रहा है, इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध निर्माण को आदेशात्मक आज्ञा से हटवाना आवश्यक है। साथ ही विवादित रास्ते के सम्बन्ध में समस्त ग्रामवासी एवं वादीगण के आवागमन का सुखाधिकार होने से प्रतिवादी पक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है कि वे विवादित रास्ते पर कोई अतिक्रमण हस्तक्षेप या निमार्ण न करें।

3– प्रतिवादी पक्ष ने जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में मटमेले रंग से जो रास्ता आम दिखाया गया है, वह मौजूद नहीं है। अपितु यहॉ कृषि भूमि खसरा नम्बर 510 स्थित है जो कि प्रतिवादी पक्ष की है जिसे प्रतिवादी पक्ष ने जबावदावे के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाया है। वादग्रस्त स्थान पर कभी कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं रहा, न ही उस पर कभी कोई खरंजा किया गया। जिस मंदिर व धर्मशाला का उल्लेख वादी कर रहा है, वह किस खसरा नम्बर में है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। दिनांक 13–06–2008 को प्रतिवादी पक्ष ने रास्ते के अनुसार की कोई पिचिंग नहीं उखाडी व न ही कोई निर्माण किया है। वादी पक्ष को वाद–पत्र में कथित रास्ते के सम्बन्ध में कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं है, न ही वे किसी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। सुखाधिकार की घोषणा बाबत् पृथक से कोर्ट फीस अदा की जानी चाहिए जो कि वादीगण ने नहीं की है। मिथ्या आधारों पर यह दावा पेश किया गया है। जबकि वास्तव में सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 518 में से होकर आगे के खसरा नम्बरों में से होते हुए खसरा नम्बर 500 से होते हुए 510 तक जाता है। वादीगण ने लठ्ठ की ताकत पर इस रास्ते में अवरोध कर दिया है। 510 में से कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। अपितु वादीगण के खसरा नम्बर 500 व 511 में से आम रास्ता निकलता है। इन खसरों में बन्दोबस्ती कुआ स्थित है। जिसके पास ही वादी ने अपनी सुविधानुसार शिवालय व धर्मशाला का निर्माण आठ वर्ष पूर्व किया। यह खसरा नम्बर 500 की पश्चिम मेड़ रिकार्डेड सार्वजनिक रास्ते के खसरा नम्बर 518 से लगी हुई है। ऐसे में वादीगण के खसरा नम्बर 500 उसमें स्थित धर्मशाला, शिवालय एवं खसरा नम्बर 518 से वादीगण व प्रतिवादीगण तथा अन्य लोगों को आने–जाने के लिए रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने खसरा नम्बर 510 में अपने कृषि सुधार अधिकारों के अनुसार गैतवाडा व स्टोर का निर्माण किया है, न

कि रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण किया है। वादी का वाद वास्तविक वाद हेतुक के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने दिनांक 13–06–2008 को प्रतिवादी पक्ष को यह धमकी दी कि वे रास्ते के खसरा नम्बर 518 में से प्रतिवादीगण को अपनी आराजीयात की खसरा भूमि 500 व 511 में से होकर नहीं निकलने देंगे। जबकि वादीगण की खसरा नम्बर 500 व 511 में से होकर 50 सालों से आवागमन कर रहा है जिससे उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है, ऐसे में प्रतिवादी ने जरिये काउन्टर क्लेम यह अनुतोष चाहा कि उसके खसरा नम्बर 518 में से होकर वादीगण के खसरा नम्बर 500 व 511 में से आने–जाने के सुखाधिकार को घोषित किया जाये। साथ ही वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वे प्रतिवादी पक्ष को अपनी खातेदारी की भूमियों में आने–जाने ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने से खसरा नम्बर 518 में से होते हुए 500–511 में से निकलकर जाने में कोई बाधा व रूकावट पैदा न करें।

4– वादी पक्ष की ओर से काउन्टर क्लेम का जबाव पेश किया गया तथा कथन किया गया कि मौके पर विवादित रास्ते की पुष्टि पटवारी की जॉच रिपोर्ट से होती है। मटमेले रंग से रास्ता जो वादी ने अपने नक्शा में दर्शाया है, उस पर कोई फसल नहीं होती है तथा यह भूमि खसरा नम्बर 510–500 व 511 में नहीं आती। धर्मशाला, प्याऊ, शिवालय खसरा नम्बर 510 में कोई निर्माण नहीं है। दिनांक 13–06–2008 को वादीगण ने प्रतिवादी को कोई धमकी नहीं दी जो अनुतोष काउन्टर क्लेम द्वारा प्रतिवादी पक्ष चाहता है, उसके लिए अलग से दावा लाना चाहते हैं एवं काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वाद–पत्र के संलग्न नक्शा में मटमैले रंग से दर्शाया गया 12 फुट चौडा आम रास्ता है। जिसे वादीगण व अन्य ग्रामवासियान आवागमन के लिए काम में लेते हैं, जिसका उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है?

––––––वादीगण

2– आया प्रतिवादीगण इस रास्ते के उपयोग उपभोग में वादीगण को बाधा पैदा करते हैं जिस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?

––––––वादीगण

3– आया प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से उक्त रास्ते की जमीन में 6 फुट चौडी व 50 फुट लम्बाई में नींव खोदकर निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है जिसे संलग्न नक्शा में लाल रंग से दिखाया है, जिसको वादीगण आदेशात्मक निषेधाज्ञा से हटवाकर रास्ता साफ करवाने के अधिकारी हैं?

––––––वादीगण

4– आया सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 518 में से प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर

510 में जाने के लिए वादीगण के खेत खसरा नम्बर 500 व 511 में से रास्ता है, जिसका प्रतिवादीगण को सुखाधिकार प्राप्त है?

–––––प्रतिवादीगण

5– आया वादीगण प्रतिवादीगण के उपरोक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करते हैं इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं?

–––––प्रतिवादीगण

6– आया वादीगण ने वाद मूल्यांकन सही नहीं किया है व पर्याप्त न्याय शुल्क पर दावा पेश नहीं किया है, इसलिए दावा खारिज होने योग्य है?

–––––प्रतिवादीगण

7– आया वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है?

–––––प्रतिवादीगण

8– आया प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम वादीगण के वाद के साथ चलने योग्य नहीं है, इसलिए काउण्टर क्लेम खारिज होने योग्य है?

–––––प्रतिवादीगण

9– अनुतोष?

6– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 सीताराम (स्वयं वादी) व पी डब्ल्यू–2 दिनेश चन्द सिंघल के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श–1 को प्रदर्शित करवाया गया।

7– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 सियाराम, डी डब्ल्यू–2 प्रेमसिंह, डी डब्ल्यू–3 विष्णु तथा डी डब्ल्यू–4 रमनलाल के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श ए–1, नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए–3 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056–2061 प्रदर्श ए–4 को प्रदर्शित करवाया गया।

8– दोनों पक्षों की बहस अन्तम सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से है:–

<u>विवाद्यक संख्या–1 से 3 व 7</u>

9– उक्त विवाद्यक संख्या 1 से 3 व 7 एक दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण व साक्ष्य की पुनरावत्ति को रोकने की दृष्टि से उक्त चारों विवाद्यकों का निस्तारण एक

साथ किया जा रहा है।

10– विवाद्यक संख्या 1 से 3 को साबित करने का भार वादी पर व विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसके सम्बन्ध में मुख्य रूप से वादी पक्ष का यह कथन है कि विवादित रास्ता जो कि उनके द्वारा अपने नक्शा प्रदर्श–1 में मटमेले रंग से दर्शाया गया है, वह मौके पर 12 फुट चौडा रास्ता है जिससे वादी प्रतिवादी व गॉव हिसामडा के सभी व्यक्ति आवागमन करते हैं तथा अपने खेतों तक पैदल व ट्रेक्टर ट्रॉली सहित जाते हैं। वादी के अनुसार इस रास्ते से होते हुए गॉव में मौजूद प्याऊ, शिवालय व धर्मशाला तक भी पहुॅचा जाता है। परन्तु प्रतिवादी पक्ष इस 12 फुट चौडे रास्ते को 6 फुट चौडाई में एवं 50 फुट लम्बाई में नींव खोदकर अतिक्रमण कर रहे हैं जिससे आमजन का रास्ते में आवागमन का अधिकार बाधित हो गया है एवं अब इस रास्ते से होकर शिवालय आदि तक नहीं पहुंचा जा सकता है। चूंकि रास्ता का उपयोग सैकडों वर्षों से किया जाता रहा है, इसलिए वादी पक्ष ने इस रास्से से आवागमन को आमजन का सुखाधिकार बताते हुए प्रतिवादी पक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से रोकने एवं किये गये निर्माण को जरिये आदेशात्मक निषेधाज्ञा से विस्मार किये जाने का अनुतोष चाहा है।

11– अपने कथनों के समर्थन में वादी पक्ष ने गवाह पी डब्ल्यू–1 सीताराम जिसके जरिये यह दावा पेश किया है, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया, साथ ही नक्शानवीश दिनेशचन्द को पी डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित करवाया गया एवं अपनी मुख्य परीक्षा में सीताराम द्वारा वाद–पत्र के कथनों को दोहराया गया। जिरह में गवाह पी डब्ल्यू–1 ने कथन किया कि वह विवादित रास्ते के खसरा नम्बर को नहीं जानता। विवादित खसरा नम्बर स्वयं के व महाराजसिंह के नाम होना बताया व कथन किया कि महाराजसिंह को पक्षकार मुकद्मा नहीं बनाया। खसरा नम्बर 518 गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो तो जानकारी होने से इन्कार किया। नजरी नक्शा प्रदर्श–1 कहॉ बनवाया, यह भी ध्यान होने से इन्कार किया। विवादित स्थल के दक्षिण में स्वयं का नौहरा स्थित होना बताया। विवादित मटमैले रंग से रास्ते के स्थान को खातेदारी की भूमि होना बताया व कथन किया कि सभी खातेदार ने विवादित स्थल पर रास्ता सहमति से निकाला है। परन्तु ऐसी कोई सहमति दावे में पेश नहीं है। गवाह ने अपने जबाव उल जबाव की मद संख्या–3 का सम्पूर्ण भाग गलत लिखा होना बताया व कथन किया कि यह उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। गवाह ने खसरा नम्बर 500 में से कोई रास्ता नहीं होने का भी कथन किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत से विवादित रास्ते के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड प्राप्त कर पेश नहीं किया गया। खरंजा सरपंच कलुआ द्वारा करवाना बताया, परन्तु उसका भी रिकार्ड पेश नहीं करने का कथन किया। विवादित रास्ते पर दो फुट चौड़ी नींव खोदना बताया। पी डब्ल्यू–2 ने मात्र नक्शा प्रदर्श–1 स्वयं के कलमी होने की ही पुष्टि पत्रावली पर की है व जिरह में कथन किया कि उसे गैरमुमकिन रास्ता का खसरा नम्बर नहीं पता। वह मौके पर नहीं गया, इसलिए मौके की स्थिति नहीं बता सकता। नक्शा उसने स्वयं के घर पर वादी सीताराम की हिदायत पर कसीद करना बताया।

12— खण्डन में प्रतिवादी पक्ष ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि नक्शा

प्रदर्श—1 में जो रास्ता मटमेले रंग से दर्शाया गया है। वास्तव में ऐसे किसी रास्ता का अस्तित्व नहीं है। अपितु मौके पर खसरा नम्बर 518 में से होकर आम रास्ता होना सरकारी रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी रास्ते का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा भी किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष ने खण्डन में यह भी कथन किया है कि वे अपने खेत खसरा नम्बर 510 मे गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 518 से होते हुए वादी पक्ष के खसरा नम्बर 500 एवं 511 से गुजर कर पहुॅचते हैं एवं इसी रास्ते का उपयोग वे लम्बे समय से कर रहे है, जिससे उन्हें वादीगण के खेत खसरा नम्बरों पर आवागमन करने का सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। विवाद्यक संख्या—7 के सम्बन्ध में प्रतिवादी पक्ष का यह कथन रहा है कि दिनांक 13—06—2008 को उनके द्वारा कोई धमकी वादी पक्ष को नहीं दी गई, न ही रास्ते पर कोई निर्माण किया गया। अपितु वह अपने ही खसरा नम्बर 510 की भूमि पर स्टोर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में वादी पक्ष को कोई वाद हेतुक उनके विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने समर्थन में गवाह सीयाराम को डी डब्ल्यू—1 के रूप में परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा प्रदर्श ए—1, नक्शा ट्रैस प्रदर्श ए—2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए—3 व जमाबन्दी प्रदर्श ए—4 पेश की। मुख्य परीक्षा में तो जबावदावे के कथनों को दोहराया गया। जिरह में कथन किया कि उनके मकान की बगल से धर्मशाला आदि तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। नजरी नक्शा में मकान के तरफ दक्षिण में रास्ता गलत दर्शाये जाने की बात कही गयी है। स्वयं का मकान कितनी लम्बाई चौडाई का है, पता होने से इन्कार किया। अपने समर्थन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाह डी डब्ल्यू—2 प्रेमसिंह को भी परीक्षित करवाया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में खसरा नम्बर 500 से 511 से आवागमन करना बताया व कथन किया कि वादी पक्ष ने खसरा नम्बर 500 में धर्मशाला आदि का निर्माण आठ वर्ष पूर्व ही करवाया है। इस तथ्य का भी खण्डन किया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिरह में गवाह ने कथन किया कि खसरा नम्बर 618 आम रास्ता सार्वजनिक वादी के पश्चिमी मेड़ से लगा हुआ है। खसरा नम्बर 510 में कोई रास्ता नहीं है। खरंजा वाला रास्ता अपने मकान के पूर्व में होना बताया।

13— गवाह डी डब्ल्यू—3 विष्णु खसरा नम्बर 518 में रास्ता आम होना बताता है व कथन करता है कि वादीगण के खातेदारी भूमि में कुआ स्थित है एवं सुविधानुसार उन्होंने प्याऊ, शिवालय, धर्मशाला का निर्माण करवाया है, जिनके पास आने—जाने के लिए रिकार्डेड रास्ता 30 फुट चोड़ा पश्चिम में मौजूद है। जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसके शपथ—पत्र की मद संख्या—3 में क्या लिखा हुआ है, उसे पता नहीं। रामचरन के मकान के पूर्वी ओर 10—12 फुट का रास्ता होना बताया।

14— गवाह डी डब्ल्यू—4 रमनलाल नक्शा प्रदर्श ए—1 स्वयं का कलमी होना बताता है। जिरह में गवाह ने कथन किया कि जब सियाराम उसके पास नक्शा बनवाने आया तब नक्शा ट्रैस व जमाबन्दी साथ लाया था। तभी नक्शा प्रदर्श ए—1 बनाया होगा। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी के आधार पर ही नक्शा बनाया है एवं सियाराम की हिदायत के अनुसार ही उसमें प्याऊ, शिवालय व धर्मशाला अंकित की हैं।

15— दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया एवं उपरोक्त

विवाद्यकों के सम्बन्ध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष ने विवादित रास्ते पर अपना सुखाधिकार होने का कथन किया है। परन्तु इस रास्ते से वह कितने वर्षों से आवागमन कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं किया। यह रास्ता किन—किन खसरों के समीप से व भीतर से होकर गुजरता है, अस्पष्ट है। इस रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प ना हो यह भी स्पष्ट नहीं किया। जहॉ तक रास्ते के उपयोग, उपभोग में वादीगण को बाधा उत्पन्न किये जाने का प्रश्न है तो यहॉ यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि वादी ने सम्पूर्ण वाद—पत्र में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि यह रास्ता किस खसरा नम्बर में स्थित है एवं इसका अस्तित्व किसी सरकारी रिकार्ड में है या नहीं, न ही इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी पक्ष की ओर पेश की गई है। यह रास्ता किस स्थान से किस स्थान तक जाता है, इसका भी कोई उल्लेख वाद—पत्र में नहीं है। हालांकि सन् 1999 में ग्राम पंचायत गांगरौली द्वारा इस रास्ते पर खरंजा डलवाकर इसे पक्का करवाने का कथन वाद—पत्र में अवश्य किया गया है, परन्तु इस बात की भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई है जबकि वादी पक्ष चाहता तो पंचायत से उक्त निर्माण बाबत् प्रमाणित प्रति पेश कर उसे साक्ष्य में प्रदर्शित करवा सकता था। जिससे वादी के कथनों की पुष्टि नहीं हो पाई है। वादी दिनांक 13—06—2008 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा विवादित रास्ते पर नींव खोदना बताता है, परन्तु उक्त रास्ते के किस स्थान पर किस खसरा नम्बर के नजदीक यह नींव खोदी गई। इसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली पर नहीं है। स्वयं वादी पी डब्ल्यू—1 अपनी जिरह में यह स्वीकार कर रहा है कि विवादित स्थल खातेदारी भूमि है। जबकि वह विवादित स्थान को रास्ते की भूमि वाद—पत्र में बता रहा है। ऐसे में वादी के जिरह में किये गये कथन ही वाद—पत्र से विरोधाभासी हैं। यहॉ यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि यह दावा आमजन के हितार्थ लाया गया है। परन्तु इस दावे में वादी व उसके पुत्रों ने प्रतिनिधित्व किया है। यहॉ तक कि गॉव के किसी अन्य व्यक्ति को साक्षी के रूप में भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो कि वास्तव में किसी आम रास्ते में प्रतिवादी पक्ष द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है जो नक्शा प्रदर्श—1 के रूप में वादी पक्ष द्वारा पेश किया गया, नक्शा नवीश द्वारा वह बिना मौके पर जाये वादी की हिदायत अनुसार ही बनाया गया है जो कि पी डब्ल्यू—2 भी जिरह में स्वीकारता है। वाद हेतुक के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिनांक 13—06—2008 को प्रतिवादी पक्ष ने आम रास्ते के किस स्थान पर व कितना अतिक्रमण किया एवं धमकी के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। जिससे न्यायालय के समक्ष वास्तव में यह साबित नहीं हुआ है कि ऐसी कोई घटना कारित हुई भी थी या नहीं? रास्ते पर अतिक्रमण का कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश ही नहीं किया गया है। अतः न्यायालय की राय में वादी को दिनांक 13—06—2008 को कोई वाद हेतुक उत्पन्न हुआ हो, यह भी वादी पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

16— इस प्रकार जो साक्ष्य वादी पक्ष की ओर से पेश की गई है न ही तो उससे यह साबित हो पा रहा है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी आम रास्ते पर कोई अतिक्रमण किया जा रहा है, न ही यह स्पष्ट है कि उक्त अतिक्रमण वास्तव में किस स्थान पर व कितना किया गया है। वादीगण को विवादित रास्ते से आवागमन का अधिकार किस प्रकार प्राप्त है, यह भी न्यायालय के समक्ष अस्पष्ट है। वादी द्वारा अपने सुखाधिकार को भी साबित

नहीं किया गया है। ऐसे में इस न्यायालय के विनम्र मत में वादी पक्ष विवाद्यक संख्या–1 से 3 को अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 से 3 वादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है वहीं विवाद्यक संख्या–7 भी प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित होने से वादीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–6

17– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था। प्रतिवादी पक्ष ने विवाद्यक संख्या–6 के सम्बन्ध में कथन किया है कि वादी ने प्रस्तुत मामले में सुखाधिकार की घोषणा करवानी चाही है। जबकि इस सम्बन्ध में कोई न्यायशुल्क अदा नहीं की गई है। ऐसे में अपर्याप्त न्यायशुल्क पर दावा पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है एवं विवाद्यक संख्या–7 के सम्बन्ध में यह कथन किया कि प्रतिवादी पक्ष ने कभी रास्ते पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण नहीं करवाया। उनके द्वारा जो निर्माण करवाया जा रहा है वह वास्तव में अपने कृषि सुधार अधिकारों के तहत अपनी ही कृषि भूमि खसरा नम्बर 510 में करवाया जा रहा है। ऐसे में वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है एवं दावा चलने योग्य नहीं है।

18– खण्डन स्वरूप दौराने बहस वादी पक्ष की ओर से यह कथन रहा कि उनके द्व ारा न्यायशुल्क अदा कर दी गई है एवं वाद हेतुक के सम्बन्ध में भी स्पष्ट कथन अपने वाद–पत्र में किया गया है। ऐसे में इन आधारों पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है।

19– सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

20– वादी की ओर से अपनी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दावा किस प्रकार पर्याप्त न्यायशुल्क के बिना पेश किया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा संबंधित लिपिक से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर दावा निश्चित न्यायशुल्क पर पेश किया हुआ बताया गया है। ऐसे में दावे का मूल्यांकन सही नहीं किये जाने का कथन उचित नहीं है। ऐसे में विवाद्यक संख्या–6 प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–4, 5 व 8

21– उक्त तीनों ही विवाद्यक एक दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उक्त तीनों ही विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जाता है। विवाद्यक संख्या–4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर एवं विवाद्यक संख्या–8 को साबित करने का भार तकनीकी रूप से वादी पक्ष पर है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में यह कथन किया है कि सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 518 में से

होकर गुजर रहा है एवं प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 510 में जाने के लिए वादीगण के खेत खसरा नम्बर 500 व 511 में से होकर रास्ता मौजूद है, जिसका उपयोग उनके द्वारा लम्बे समय से किया जा रहा है एवं अब उन्हें इस बाबत् सुखाधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे में उन्होंने सुखाधिकार को घोषित करवाने का अनुतोष चाहा। साथ ही इस रास्ते के उपयोग, उपभोग में वादी पक्ष को बाधा डालने पर निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए कथन किया कि प्रदर्श ए–2 के अवलोकन से यह दर्शित है कि खसरा नम्बर 518 एक आम सरकारी रास्ता है एवं खसरा नम्बर 510 तक खसरा नम्बर 511 से होकर ही पहुॅचा जा सकता है। साथ ही यह भी कथन किया कि उन्होंने अपनी मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को साबित किया है।

22– खण्डन में वादी पक्ष ने मुख्य रूप से कथन किया कि ऐसा कोई रास्ता उनके खातेदारी खेत 500 व 511 से होकर नहीं गुजरता। साथ ही यह भी कथन किया कि जो काउन्टर क्लेम पेश किया गया है, वह वादी पक्ष के विरूद्ध व्यक्तिगत अनुतोष चाहते हुए पेश किया गया है। जबकि यह दावा आमजन के हितार्थ पेश किया गया था, ऐसे में प्रतिवादी पक्ष को वादीगण के विरूद्ध पृथक से दावा पेश करना चाहिए था। वे इस दावे के जरिये काउन्टर क्लेम का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते।

23– सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

24– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श ए–3 में खसरा नम्बर 518 से होकर रास्ता अवश्य दर्शाया हुआ है, परन्तु खसरा नम्बर 500 व 511 में किसी प्रकार का कोई चालू रास्ता हो, ऐसा इस दस्तावेज से प्रकट नहीं होता है। यहॉ तक प्रतिवादी पक्ष ने स्वयं जो नक्शा प्रदर्श ए–1 के रूप में कसीद करवाकर पेश किया है, उसमें भी खसरा नम्बर 510 तक जाने का कोई रास्ता खसरा नम्बर 511 या 500 में से होकर नहीं दर्शाया है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने समर्थन में जिन गवाहान् को पेश किया है। उनमें गवाह डी डब्ल्यू–3 ने खसरा नम्बर 500 व 511 के किसी रास्ते के अस्तित्व के बारे में कोई कथन नहीं किया है एवं गवाह डी डब्ल्यू–2 अत्यन्त विरोधाभासी कथन करते हुए खसरा नम्बर 618 में आम सार्वजनिक रास्ता होना बताता है। जबकि प्रतिवादी पक्ष यह रास्ता खसरा नम्बर 518 में स्थित होना बता रहा है। ऐसे में इस गवाह को मौके की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो, यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही गवाह अपने शपथ–पत्रों में अंकित कुछ तथ्यों की जानकारी से भी इन्कार कर रहे हैं। इस प्रकार वास्तव में प्रतिवादी की ओर से खसरा नम्बर 518 से होकर 511 व 500 में से गुजरते हुए अपने खसरा नम्बर 510 तक पहुॅचते हैं एवं इस रास्ते को वह लम्बे समय से निर्विवाद उपयोग कर रहे हों, इस तथ्य की कोई सुदृढ़ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। अतः न्यायालय की राय में प्रतिवादी पक्ष खसरा नम्बर 500 व 511 में से होकर गुजरने के सुखाधिकार को घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध तय किया जाता है। चूॅंकि प्रतिवादी पक्ष खसरा नम्बर 500 व 511 में रास्ते के अस्तित्व को ही साबित नहीं कर पाया है, ऐसे में इसके उपयोग,

उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से वादी पक्ष को रोके जाने बाबत् निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या–5 भी प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

25– विवाद्यक संख्या–8 के सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि प्रतिवादी पक्ष के हित इस दावे से जुड़े हुए थे, ऐसे में उनके द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया जाना विधि विरूद्ध नहीं है, परन्तु चूॅकि वे अपने काउण्टर क्लेम को ही साबित करने में असफल रहे हैं, ऐसे में इस विवाद्यक के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। चूॅकि न्यायालय की राय में विवाद्यक संख्या–4 व 5 साबित नहीं किये जाने से प्रतिवादी पक्ष का काउन्टर क्लेम स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य हो जाता है।

– अ नु तो ष –

26– चूॅकि विवाद्यक संख्या 1,2,3 व 7 वादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित होने से दावा अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। वहीं विवाद्यक संख्या–4,5,6 व 8 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित होने से उनकी ओर से पेश किया गया काउन्टर क्लेम भी खारिज किये जाने योग्य है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा एवं सुखाधिकार घोषणा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

वादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

<u>न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला –भरतपुर।</u>

<u>पीठासीन अधिकारीः–</u> मिनाक्षी मीणा आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः–173/2013

1– कमरपाल पुत्र सूरजमल (मृतक)
1/1 सरवती बेवा कमरपाल (मृतक)
1/2 नीरज दत्तक पुत्र कमरपाल
2– महेश पुत्र देवीलाल (मृतक)
2/1 पुष्पादेवी बेवा महेशचन्द
2/2 सौरव सैनी पुत्र महेशचन्द
2/3 कु0 रक्षा सैनी पुत्री महेशचन्द
2/4 कु0 पूजा सैनी पुत्री महेशचन्द
3– विनोद पुत्र देवीलाल

जातियान माली निवासी भुसावर गेट वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––– वादीगण

बनाम

रघुवीर सिंह पुत्र सूरजमल जाति माली निवासी भुसावर गेट कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

––––– प्रतिवादी

<u>वाद बावत हुक्म इम्तनाई दवामी</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1–श्री ओमप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक, वादीगण की ओर से।
2–श्री मानसिंह धाकड़, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादी की ओर से।

<u>–:: निर्णय ::–</u> **<u>दिनांकः–02–11–2017</u>**

1– वादीगण की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद–पत्र बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी दिनांक 13–04–2009 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) वैर में प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0/2013/194 दिनांक 20–07–2013 द्वारा इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इसे मूल दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया।

2– वादी पक्ष द्वारा इस आशय का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि दोनों पक्षों की एक पुश्तैनी जायदाद मकान भुसावर दरवाजा पूर्व वार्ड नम्बर–2 व मौजूदा वार्ड नम्बर–3 कस्बा वैर में जिसके तरफ उत्तर आम रास्ता

नाप 66 फुट 8 इन्च, तरफ दक्षिण परमोली माली का पुख्ता मकान दरम्यानी गली 3 फुट चौडी नाप 66 फुट 8 इन्च, तरफ पूर्व रास्ता सार्वजनिक नाप 49 फुट 6 इन्च तथा तरफ पश्चिम परसादी माली का पुख्ता मकान नाप इस तरफ 49 फुट 6 इन्च स्थित है। इस सम्पत्ति की 52 फुट X 35 फुट जायदाद का बंटवारा वादी संख्या–1 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता देवीलाल व प्रतिवादी के बीच 8 वर्ष पूर्व कुछ निर्मित व कुछ अर्द्धनिर्मित का हो चुका था। जायदाद बंटवार के बाद बंटवारे में वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा तरफ दक्षिण रंग गुलाबी तथा वादी संख्या–1 का हिस्सा बीच में रंग पीला तथा प्रतिवादी का हिस्सा तरफ उत्तर व रंग नीला से दर्शित है। बंटवारे से पूर्व शामलाती तीन कोठे व बरामदा का कुछ हिस्सा ही बना हुआ था, शेष हिस्सा वादी व प्रतिवादी ने अपनी सुविधानुसार निर्माण कर लिया और अपने–अपने हिस्से में निर्माण कर रह रहे हैं। वादीगण के हिस्से में छत पर जाने के लिए सीढियॉ भी बनी हुई हैं। वादीगण ने बंटवारे के बाद अपने मकान के बरामदे को बडा बनवाया है। चौक के उपर जाल डला हुआ है। वादी संख्या–1 ने अपने हिस्से में उपर जाने के लिए अपने हिस्से की जमीन में अलग से सीढियॉ बनाई हैं व सीढियों से लगा हुआ बाथरूम खुला बना रखा है जिसे नक्शा में बी मार्क से दर्शित कर रखा है। झीने वाली न्यारान्यूर दीवाल को नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया है। वादी संख्या–1 ने वादी संख्या–2 के पुत्र नीरज को गोद ले रखा है। ऐसे में वादी संख्या–1 के हिस्से में नीरज व उसके पिता महेश मकानियत में रह रहे हैं। वादी संख्या–3 विनोद वादी संख्या–2 अपने हिस्से की जायदाद में अलग–अलग रह रहे हैं। प्रतिवादी ने अपने हिस्से के पूर्व में दुकान व गैलरी बना रखी है। बीच में कुछ हिस्से में पाटौर डालकर व कुछ हिस्सा खुला हुआ है। परन्तु प्रतिवादी ने खुले हुए में जो वादी की दीवार मौजूद है, उसके चपेटा अलग से दीवार नहीं बनाई जबकि शेष हिस्से में प्रतिवादी की दीवार अलग से बनी हुई है। इस खुली जमीन व पाटौर के नीचे आईस कैंडी व छोटी बर्फ फैक्ट्री बना रखी है, जिसे बनाने के लिए नमक के पानी का पक्का टैंक वादी की दीवार से लगभग एक फुट छोड़कर बना रखा है व एक टंकी अलग से वादी की दीवार से सटकर रखी हुई है। आईस कैंडी बनाने के लिए नमक के पानी का बिजली की मोटर से सरक्यूलेशन बनाकर नमक का पानी दिया जाता है व वापिस पानी खुले टैंक में आता है जो वादी की बिना प्लास्टर की दीवार पर गिरता है। नमक का यह पानी गिरने से वादी की यह दीवार खराब हो रही है एवं कभी भी गिर सकती है। दो स्थानों पर दीवार में दरार भी आ गई है। जिसमें एक बाथरूम व एक दूसरे टैंक के पास आई है। वादी के झीने एवं बाथरूम के गिरने का भी अन्देशा हो गया है, जिससे मानव हानि भी हो सकती है। जब वादी ने प्रतिवादी को अपनी अलग दीवार बनाने के लिए कहा तो प्रतिवादी व उसका लड़का जयसिंह ने दिनांक 26–03–2009 को वादीगण को फटकार दिया एवं वादी को अन्दर जाकर प्लास्टर करवाने से भी मना कर दिया। ऐसे में प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित दीवार पर आईस कैण्डी व बर्फ का पानी नहीं गिरने दें न ही दीवार में शीलन आने दे। अपनी अलग से दीवार बनाये एवं वादी की दीवार पर अपने मकान से होकर उसे प्लास्टर करने से न रोकें।

3– प्रतिवादी की ओर से लिखित जबाव पेश कर कथन किया गया कि उसकी

कोई बर्फ फैक्ट्री या कैण्डी फैक्ट्री नहीं है। प्रतिवादी ने अपने मकान का बंटवारा उसके पुत्रों के मध्य कर दिया है एवं यह बर्फ कैण्डी प्रतिवादी का लड़का ही चलाता है एवं प्रस्तुत मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे दावे में असंयोजन का दोष विद्यमान है। यह बर्फ कैण्डी का नमक का टैंक दीवार से चार फुट की दूरी पर है एवं इसके अन्दर आठ गेज की लोहे की चद्दर है। बाहर से 14 इन्च चौडाई के साथ थर्माकॉल से व एक इन्च बुरादा भी लगा हुआ है। इस पर ईटों की परिधि भी है। यदि इससे पानी का रिसाव होता तो टेंक में बर्फ ही नहीं बनेगी। ऐसे में दीवार में शीलन भी नहीं आती। दावा मात्र प्रतिवादी को तंग परेशान करने के लिए पेश किया है। वादीगण ने अपने नक्शा में बी बाथरूम दर्शाया है जो कि विवादित दीवार के सहारे हैं। यहॉ वादी संख्या–1 का नल भी लगा हुआ है। जिससे पानी दीवार पर गिरता है, जिससे दीवार पर शीलन आती है। इसका वादी ही जिम्मेदार है। वादी संख्या 2 व 3 की दीवार में कभी प्रतिवादी ने कोई क्षति नहीं पहुॅचाई। ऐसे में उन्हें दावा लाने का अधिकार ही नहीं है। आईस फैक्ट्री का कार्य मौसमी है, जो साल में केवल दो ही होता है। बाकी समय यह बन्द रहती है। ऐसे में दीवार को कोई क्षति नहीं हो सकती। दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04–03–2016 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादीगण प्रतिवादी को इस आशय की जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी वादी संख्या–1 की न्यारान्यूर दीवाल जो नक्शा में लाल रंग से दर्शित की है, पर आईस कैण्डी व बर्फ फैक्ट्री के नमक के पानी को दीवाल पर नहीं गिरने दे व दीवाल पर शीलन न आने दे व प्रतिवादी अपनी अलग से वादी की दीवाल से चपेटवा दीवाल बनाये, दीवाल अलग से नहीं बनाये जाने की सूरत में वादी को अपनी दीवाल जो न्यारान्यूर है, पर वादी के मकान में होकर प्लास्टर करने से नहीं रोकें?

————वादीगण

2– आया बिनाय मुखास्मत् दावी हाजा दिनांक 26–03–2009 को धमकी दिये जाने पर पैदा हुआ?

————वादीगण

3– आया दावा मिस ज्वोइन्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है?

————प्रतिवादी

4– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 रघुवीरसिंह (स्वयं वादी),पी डब्ल्यू–2 रत्तीराम के बयान शपथ–पत्र पर

लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा प्रदर्श—1 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू—1 रघुवीर के बयान सशपथ पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये।

7— दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः—

विवाद्यक संख्या 1

8— इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। इसके सम्बन्ध में वादी पक्ष का मुख्य रूप से कथन है कि उन्हें वाद—पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से जो दीवार एक्स से वाई स्थान पर दर्शाई गई है, वास्तव में उस दीवार के चिपते हुए प्रतिवादी ने अपनी बर्फ व कैण्डी की टैंक बना ली है एवं जब मशीन द्वारा नमक के पानी का सरक्यूलेशन किया जाता है तब उक्त पानी का रिसाव होकर वह शामलाती दीवार पर गिरता है जिससे दीवार पर शीलन आ रही है एवं उक्त शीलन अब वादी की सीढ़ियों एवं बाथरूम तक पहुॅच गई है, जिनके गिरने की सम्भावना हो रही है। प्रतिवादी को इस बाबत् सचेत किये जाने पर भी वह नहीं मान रहा है एवं न ही तो अपनी चपेटवां दीवार पृथक से बनाता है व न ही शामलाती दीवार पर अपने मकान में से प्रवेश कर वादी के प्लास्टर करवाये जाने की अनुमति दे रहा है जिससे वादी को दीवार के क्षतिग्रस्त होने की सूरत में जान व माल के नुकसान का अन्देशा है। अपने कथनों के समर्थन में स्वयं वादी महेश का पुत्र नीरज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जिसने अपने शपथ—पत्र की पुष्टि न्यायालय के समक्ष की तथा जिरह में कथन किया कि दावे पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसे नहीं पता कि वाद—पत्र में क्या लिखा हुआ है। इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श—1 में बी स्थान पर बाथरूम बना हुआ है, जहॉ नल लगा हुआ है, उसका उपयोग किया जाता है व उत्तरी दीवार पर केवल सीमेन्टेड प्लास्टर हो रहा है। इस बात को भी सही बताया कि बाथरूम के उपयोग किये जाने पर उसकी दीवार भीगती है, परन्तु उससे शीलन आने की बात को गलत बताया। इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श—1 में एक्स से वाई बिन्दू पर जो दीवार दर्शाया गई है। उसके उत्तर में प्रतिवादीगण ने पत्थर के चौके दीवार के सहारे लगा रखे हैं जो पहले नहीं थे। स्वयं यह गवाह टैंक को दीवार से ढाई फुट दूरी पर होना बताता है। इस सुझाव को भी सही बताया कि रघुवीर के साथ उसके लड़कों को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया। गवाह ने यह कथन किया कि वह बर्फ बनाने व फैक्ट्री के बारे में नही जानता। प्रदर्श—1 में गुलाबी रंग से हॉल व चौक दिखाये गये हैं पी एम बिन्दू से दर्शाई दीवार में दरारें आ गई हैं। विभाजन किस तारीख व किस सन् में हुआ, पता नहीं। इस सुझाव को सही बताया कि उसने दरारों व शीलन बाबत् मौके के कोई फोटोग्राफ नहीं लिये न ही इस बाबत् कमिश्नर नियुक्त करवाया।

9— गवाह पी डब्ल्यू—2 रत्तीराम नक्शानवीश है जो स्वयं के द्वारा नक्शा प्रदर्श पी—1 कसीद किये जाने की पुष्टि बयानों में कर रहा है। जिरह में गवाह ने कथन किया

कि नक्शा में जैड स्थान पर जो टीन पोश दिखाया गया है, वह एक्स वाई दीवार से चपेटवां लगा हुआ है। जैड स्थान वाली जगह पर अन्डर ग्राउण्ड टैंक बना हुआ था, जिसका मुहॅू खुला था। मुहॅू जैड स्थान पर नहीं था। यह टैंक कितनी दूरी पर था, गवाह ने बताने में असमर्थता बताई। इस टैंक में लोहे की चद्दर थर्माकॉल व बुरादा लगा हो, इस बात का भी पता होने से इन्कार किया। विवादित दीवार पर एक्स वाई स्थान पर शीलन आ रही हो तो जानकारी न होने का कथन किया। गवाह ने यह भी बताया कि जब वह मौके पर गया तब फैक्ट्री बन्द थी एवं वहॉ प्रतिवादी का लड़का जयसिंह मिला था। एक्स वाई दीवार बिना किसी क्षति के खडी थी एवं सही सलामत थी। उसमें शीलन होती तो नक्शा में अवश्य उसका नोट लगाया जाता। मात्र सफेदी हुई थी। नक्शा नवीश ने कथन किया कि एक्स वाई स्थान पर उसने कहीं भी पानी गिरता नहीं देखा।

10— प्रतिवादी पक्ष ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि सर्वप्रथम तो प्रतिवादी रघुवीर द्वारा ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं चलाई जा रही है। उसने अपनी सम्पत्ति का भी अपने पुत्रों के बीच बंटवारा कर दिया एवं उसका पुत्र जयसिंह ही इस फैक्ट्री को चलाता है जो प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार है, परन्तु उसे पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा गया। जिस टैंक से वादी पक्ष अपनी दीवार में शीलन आना बताता है, वह टैंक विवादित दीवार से करीब चार फुट दूरी पर है एवं उस टैंक को इस प्रकार बनाया गया है कि उसमें पानी का रिवास होना सम्भव ही नहीं है। चूॅकि यदि पानी का रिसाव होगा तो उक्त टैंक में बर्फ नहीं जमेगी। स्वयं वादीगण के बाथरूम एवं उसके पास मौजूद नल से ही रिसाव होना व उससे दीवार में शीलन आने का कथन प्रतिवादी कर रहा है। प्रतिवादी स्वयं डी डब्ल्यू—1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ। अपने जबाव दावे के कथनो को मुख्य परीक्षा के शपथ—पत्र में दोहराया। जिरह में इसने स्वीकार किया कि एक्स वाई बिन्दू वाली दीवार पुरानी बनी हुई है। परन्तु उसके उत्तर में गवाह ने चौकाओं से चपेटा लगाना बताया है, जिसकी उंचाई 3—4 फुट होना बताया व कथन किया कि एक्स से वाई विवादित स्थान पर पूरी दीवार पर ही यह चौके लगे हुए हैं। पानी की टंकी चौके से भिडी हुई है, दीवार से नहीं। पुरानी दीवार में इस गवाह ने स्वयं का हिस्सा होना बताया।

11— दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से विवाद नक्शा प्रदर्श—1 में दर्शित एक्स से वाई स्थान की दीवार से ही है एवं वादी पक्ष के अनुसार जैड स्थान पर प्रतिवादी ने अपने हिस्से में बर्फ व कैण्डी की फैक्ट्री बना रखी है, जिसके टैंक के पानी व सरक्यूलेशन किये जाते समय पानी का रिसाव होने से विवादित दीवार में शीलन आ रही है। वादी के दावे के अनुसार प्रतिवादी ने एक पानी की टंकी दीवार से सटकर रख रखी है एवं बिजली की मोटर से जब आईस कैण्डी बनाने के लिए नमक के पानी का सरक्यूलेशन किया जाता है तो वह खुले टैंक में आता है जो वादी की बगैर प्लास्टर की ईटों पर गिरता है, परन्तु नक्शा में जैड स्थान पर बर्फ फैक्ट्री के आसपास दीवार से सटकर टंकी रखे जाने का स्थान व बिजली की मोटर जिससे पानी का सरक्यूलेशन किया जाता है, का स्थान दर्शित नहीं किया गया है। बर्फ फैक्ट्री व कैण्डी के लिए जो टेंक बनाया गया है, वह भूमिगत है या भूमि

के उपर, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी इस टैंक को अपनी दीवार से एक फुट दूर होना दावे में बता रहा है, परन्तु अपनी जिरह में इसने ढाई फुट दूर होना बताता है। स्वयं वादी द्वारा जिरह में यह स्वीकार्य है कि प्रतिवादी ने जैड स्थान पर इस विवादित दीवार से चिपते हुए अपने चौके बना रखे हैं, जिनकी उंचाई 3–4 फुट है। उसके बावजूद भी वादी की दीवार में शीलन आना अस्पष्ट है। वादी ने अपने समर्थन में जिस नक्शानवीश को पेश किया, उसके अनुसार यह नक्शा मौके पर जाकर कसीद किया गया था एवं नक्शानवीश के अनुसार विवादित दीवार पर कोई शीलन नहीं थी। नक्शानवीश ने यह भी कथन किया कि यदि ऐसा होता तो वह इसका नोट अवश्य अंकित करता। यहॉ तक एक्स से वाई स्थान पर कहीं भी पानी गिरते हुए नहीं देखने का कथन भी यह गवाह करता है व बताता है कि विवादित दीवार बिना किसी क्षति के मौके पर खडी थी, ऐसे में वादी का यह कथन कि विवादित दीवार पर पानी का रिसाव हो रहा है जिससे दीवार में शीलन आकर वह क्षतिग्रस्त हो गई है, जैसे तथ्य स्वयं वादी की ओर से पेश गवाह पी डब्ल्यू–2 की जिरह से खण्डित हो जाते हैं। यदि वादी चाहता तो मौके की वास्तविक स्थिति के फोटोग्राफ पेश कर भी न्यायालय के समक्ष दर्शित कर सकता था जो कि वादी की ओर से नहीं किया गया है। मौके पर प्रतिवादी पक्ष के हिस्से में विवादित दीवार के सहारे पत्थर के चौके खुले होना भी नक्शानवीश स्वीकार कर रहा है, ऐसे में प्रतिवादी इस दीवार को क्षतिग्रस्त करने का आशय रखता हो, यह भी प्रकट नहीं होता है। आईस कैण्डी व बर्फ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त टैंक से पानी का रिसाव न हो, चूॅकि स्वाभाविक रूप से टैंक से पानी का रिसाव हुआ तो बर्फ न जमेगी। वादी पक्ष इस तथ्य से भी इन्कार नहीं कर रहा है कि प्रतिवादी ने लोहे की मोटी चद्दर लगाकर पुख्ता तरह से टैंक का निर्माण कराया। जबकि ये सभी तथ्य वादी पक्ष को साबित करने आवश्यक थे कि प्रतिवादीगण की लापरवाही से विवादित दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है, परन्तु प्रतिवादीगण की लापरवाही इस स्तर पर वादी पक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सुदृढ़ रूप से साबित नहीं होती है। विवादित दीवार पर सीमेन्टेड प्लास्टर होने का तथ्य भी नक्शानवीश द्वारा पेश किया गया है, ऐसे में प्रतिवादीगण की ओर से दीवार पर प्लास्टर नहीं हो, यह तथ्य भी वादी पक्ष की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध वादीगण व प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2 व 3</u>

12– उक्त दोनों ही विवाद्यक एक–दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जाता है। विवाद्यक संख्या–2 को साबित करने का भार वादी पर व 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। विवाद्यक संख्या–2 के सम्बन्ध में वादी का यह कथन है कि दिनांक 26–03–2009 को प्रतिवादी व उसके बेटे जयसिंह ने दीवार पर पानी गिरने का उलाहना देने पर फटकार लगा दी व अन्दर जाकर प्लास्टर करने से मना कर दिया जिससे वाद हैतुक उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने उक्त दिनांक को ऐसी कोई भी घटना होने से इन्कार किया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विवाद्यक धमकी बाबत् बनाया गया है, परन्तु वादीगण को किसी प्रकार की धमकी दिये जाने का कोई कथन दावे में नहीं किया गया है। मात्र इन्कारी किये जाने की ही

बात वाद–पत्र में अंकित है। प्रतिवादी के द्वारा यह टैंक कब से बनाया हुआ है एवं कितने वर्षों से रिसाव हो रहा है, यह वाद–पत्र में अंकित नहीं है। जिससे यह जाहिर ही नहीं है कि वास्तव में वादीगण द्वारा कब इस तथ्य पर ध्यान दिया गया एवं प्रतिवादी को इस बाबत् टोका गया। दीवार पर शीलन आने व उसके क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में विवाद्यक संख्या–1 को विस्तार से निस्तारित किया जा चुका है। अतः विवाद्यक संख्या–2 के सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जहॉ तक विवाद्यक संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रतिवादी का यह कथन है कि आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से यह दावा ग्रस्त है तो स्वयं वादी पक्ष द्वारा भी यह स्वीकार्य है कि दिनांक 26–03–2009 को प्रतिवादी का पुत्र जो कि वास्तव में उक्त बर्फ व बर्फ कैण्डी को चला रहा था, एक आवश्यक पक्षकार था, जिसे कि मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसे में यह दावा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रस्त है। अतः विवाद्यक संख्या–2 व 3 विरूद्ध वादी विनिश्चित किये जाते हैं।

– अ नु तो ष –

13– चूॅकि विवाद्यक संख्या 1,2 व 3 वादी पक्ष के विरूद्ध विनिश्चित होने से दावा अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

– :: आ दे श :: –

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् हुक्म इम्तनाई दवामी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 02–11–2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर, जिला भरतपुर।

पीठासीन अधिकारीः— मिनाक्षी मीणा, आर0 जे0 एस0

मूल दीवानी प्रकरण संख्याः—50 / 2013(81 / 2009)

मनोहरलाल पुत्र बृजेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नया गॉव माफी हाल निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

———— वादी

बनाम

1— रणधीरसिंह 2— बच्चूसिंह 3— जलसिंह 4— प्रतापसिंह 5— बृजेन्द्रसिंह 6— राजू पुत्र रामेश्वर	पिसरान कमलसिंह	जाति जाट निवासी हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर।

————प्रतिवादीगण

वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं मेण्डेटरी इन्जक्शन

उपस्थितः—

1—श्री देवेन्द्र शरण पाठक, विद्वान अभिभाषक, वादी की ओर से।
2—श्री शिवचरन लाल धाकड, विद्वान् अभिभाषक, प्रतिवादीगण की ओर से।

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—30—03—2018**

1— वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद—पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं मेण्डेटरी इन्जक्शन न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) वैर में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण माननीय जिला न्यायाधीश, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0 / 2013 / 194 दिनांक 20—07—2013 के अनुसरण में अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे नियमित दीवानी प्रकरण के रूप में दर्ज किया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की मूल पत्रावली गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में जल कर नष्ट हो जाने पर श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर के आदेश क्रमांक स्था0 / 4356 दिनांक 19—07—2007 द्वारा पत्रावली के पुनः निर्माण की कार्यवाही करने के आदेश के उपरान्त् उभय पक्षकारान् द्वारा मूल दावे से संबंधित रिकार्ड पेश करने पर पुनः संधारित की गई है।

2— वादी पक्ष की ओर से इस आशय का दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य का एक प्लॉट ग्राम हलैना तहसील वैर में जिसके

.....2

तरफ पूर्व क्वाटर पीडब्ल्यूडी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 821 रणधीरसिंह आदि पैमाईश प्लॉट 87 फुट 2 इन्च, तरफ पश्चिम जमीन पटरी सडक व हलैना से वैर सड़क पैमाईश प्लॉट 87 फुट 2 इन्च, तरफ उत्तर जमीन चैका सड़क, ट्रांसफार्मर बिजली पैमाइश प्लॉट 50 फुट तथा तरफ दक्षिण पुख्ता घेर रणधीरसिंह वगैरा जमीन गैरमुमकिन रास्ता पैमाईश प्लॉट 50 फुट स्थित है। उक्त प्लॉट पर वादी का तीस साल से अधिक समय से कब्जा है। वादी सन् 1970 से पहले से ही इस प्लॉट पर काबिज है जिसमें वाडा व बच्चा घर बने हुए हैं। पुराने कब्जे के आधार पर वादी को इस प्लॉट का नियमन किया गया। तहसीलदार वैर के आदेश दिनांक 13–01–95 के जरिये 126 रूपये जमा कराये गये। यह प्लॉट आराजी खसरा नम्बर 823 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा गैरमुमकिन ग्राम हलैना में स्थित है। जिसके पॉच बिस्वा पर यह वाडा बना हुआ है। वादी को दिनांक 13–01–95 को विधिवत् रूप से इस प्लॉट की सनद जारी की गई। गत वर्ष वादी के बनाये कच्चे घर वर्षात् में बर्बाद हो गये तथा शेष प्रतिवादीगण ने नष्ट कर दिया। इस प्लॉट को कभी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं लिया गया। अपितु यह वादी के उपयोग उपभोग की भूमि है। प्रतिवादीगण की आराजी इस प्लॉट से लगी हुई है जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने वादी की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए इस जमीन को हड़पने के लिए दिनांक 06–07–2002 को नींव खोदकर संलग्न नक्शा में दर्शित स्थल पर अवैध निर्माण कर दिया, जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जब वादी ने निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे वादी के प्लॉट पर कब्जा करके रहेंगे जो बने सो कर लें। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया, वहीं उनके द्वारा किये गये अवैध निर्माण को जरिये आज्ञापक व्यादेश तुडवाने का भी निवेदन किया।

3– प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित जबावदावा पेश कर कथन किया कि वाद–पत्र में वर्णित सीमाओं व पैमाईश का कोई प्लॉट ग्राम हलैना में वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का नहीं है, न ही वादी को हलैना में उपरोक्त सीमाओं व नाप का कोई प्लॉट आवंटित किया गया है। सारी कार्यवाही फर्जकारी से की गई है। वादी के कोई कच्चे घ ार इस प्लॉट में नहीं है, न ही प्रतिवादीगण ने उसे कोई धमकी दी है। प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 821 है, जिसके कुछ हिस्से को कनवर्जन करवाकर प्रतिवादीगण निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी ग्राम नया गॉव माफी तहसील वैर का निवासी है तथा जिस तथाकथित सनद दिनांक 13–01–95 की बात वादी कर रहा है, उसमें जिस भूमि का ब्यौरा दिया गया है वह नया गॉव माफी में स्थित है, न ही हलैना में। वादी को नया गॉव माफी के खसरा नम्बर 823 की सनद दी गई थी, लेकिन वह चतुर एवं चालाक व्यक्ति है जिसकी जानकारी करके खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना जो कि रोड के सहारे स्थित है, को रेवेन्यू कर्मचारियों से मिलकर फर्जीवाडा करके सनद में अलग स्याही से दिशा–निर्देश लिखवा दिये। जिसमें किसी भी दिशा की कोई नाप नहीं दी गई। जबकि खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना का रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा है, जिसमें से 1 बीघा 6 बिस्वा महकमा इन्जीनियरिंग में चला गया है, शेष गैरमुमकिन रास्ता है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता। रास्ते की जमीन बाबत् कोई पट्टा व सनद जारी नहीं की जा सकती। खसरा नम्बर 823 के पूर्व

में खसरा नम्बर 821 स्थित है जो प्रतिवादीगण की है। जिसमें आपस में विभाजन होकर कुछ हिस्से का कनवर्जन एवं निर्माण करवाया गया है। वादी ने अपने नक्शा में जो निर्माणाधीन स्थल दर्शाया है, वह खसरा नम्बर 821 में बना हुआ है जिसके तरफ उत्तर में खाली जमीन है जहॉ प्रतिवादीगण की तीन गैह की पाटौर है जिसे वादी ने नक्शा में नहीं दर्शाया है। वादी का नक्शा भी हिदायत से अदालत में ही कसीद करवाया गया है, जिसके आधार पर वादी प्रतिवादीगण की खसरा नम्बर 821 की भूमि हड़पना चाहता है। वादी की सनद देखने से ऐसा लगता है कि वह विधिवत् जारी न होकर फर्जी जारी हुआ है। क्योंकि न ही तो उस पर कोई क्रमांक है एवं न ही तारीख, जो मनोहर लाल लिखा गया है, वह काली स्याही से लिखा गया है। बाकी सभी नीली स्याही से, ऐसे में सनद सन्देहास्पद है। वादी ने इसे फर्जी तैयार करवाकर बिना मौके का नक्शा बनवाया। मात्र प्रतिवादीगण के निर्माण को रूकवाने के इरादे से गलत तथ्यों के साथ पेश किया है। वादी का कोई लोकस स्टण्डाई न होना बताया तथा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– दोनों पक्षों के विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 26–03–2015 को निम्नलिखित विवाद्यकों की विरचना की गयीः–

1– आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का प्लॉट जो वाद–पत्र की खण्ड संख्या–1 में वर्णित किया गया है तथा नक्शा में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है, को वादी के उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नहीं करें?

————वादी

2– आया वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये गये निर्माण जिसे नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, उसे जरिये मैण्डेटरी इन्जक्शन प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जाकर साफ करवाये जाने का अधिकारी है?

———— वादी

3– आया बिनाय मुखास्मत् दावी हाजा दिनांक 06–07–2002 को धमकी दिये जाने पर बमुकाम हलैना में पैदा हुआ?

———— प्रतिवादीगण

4– आया वादी का वाद लोकस स्टण्डाई से ग्रसित होने के कारण दावा काबिले खारिजी है?

———— प्रतिवादीगण

5– अनुतोष?

5– उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी डब्ल्यू–1 मनोहरलाल (स्वयं वादी) तथा पी डब्ल्यू–2 दिनेश चन्द सिंघल, पी डब्ल्यू–3 चन्द्रशेखर तिवारी, पी डब्ल्यू–4 पदमेश शर्मा, पी डब्ल्यू–5 भगवानसिंह के बयान

---4

शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा सम्वत् 1985 प्रदर्श–1, खसरा सम्वत् 1985 की नकल प्रदर्श–2, नक्शा प्रदर्श–3, एक अन्य नक्शा प्रदर्श–4, मौका रिपोर्ट प्रदर्श–5, नजरी नक्शा प्रदर्श–6, नोटिस प्रदर्श–7, कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–8 व उसका नजरी नक्शा प्रदर्श–9, प्रार्थना–पत्र दिनांक 10–11–94 प्रदर्श–10, सनद दिनांक 13–01–95 प्रदर्श–11, रसीद जमा 126 रूपये प्रदर्श–12, अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत हलैना दिनांक 01–09–66 प्रदर्श–13, आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 13–01–95 प्रदर्श–14, प्रार्थना–पत्र दिनांक 08–02–95 प्रदर्श–15, निर्णय दिनांक 09–12–94 प्रदर्श–16 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी डब्ल्यू–1 राजकुमार, डी डब्ल्यू–2 बाबूलाल, डी डब्ल्यू–3 रघुपतिराम, डी डब्ल्यू–4 ताराचन्द तथा डी डब्ल्यू–5 ईश्वरचन्द के बयान शपथ–पत्र पर लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श ए–1, अखबार की कटिंग दिनांक 25–04–2013 प्रदर्श ए–2, नकल प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–3, मौका पर्चा दिनांक 24–04–2013 प्रदर्श ए–4 को प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें पेश कींः–

1– एआईआर 1978 देहली पेज 199 पैरा सी पेज 200
2– आरएलडब्ल्यू 1970 पेज 302
3– डीएनजे 2009 पेज 1156

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें पेश कींः–

1– आरआरडी 1988 पेज 662
2– आरआरडी 1991 पेज 451

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

प्रकरण के निर्णयार्थ विवाद्यकवार विवेचन निम्नलिखित प्रकार से हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1,3 व 4</u>

8– उक्त विवाद्यक एक–दूसरे से अन्तर संबंधित होने के कारण व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उक्त तीनों ही विवाद्यकों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

9– विवाद्यक संख्या–1 व 3 को साबित करने का भार वादी पर तथा विवाद्यक संख्या–4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है।

10– वादी पक्ष का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित प्लॉट पर वह 1970 से पूर्व से ही काबिज है एवं कब्जे के आधार पर ही सन् 1995 में उसे उक्त विवादित प्लॉट की सनद जारी की गई जो कि नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी ने जारी की है। प्रदर्श–11

के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, साथ ही यह भी कथन किया कि उक्त विवादित प्लॉट खसरा नम्बर 823 वाके ग्राम हलैना तहसील वैर में स्थित है, जिस पर नियमानुसार सन् 1994 में 1970 से ही वादी का कब्जा मानते हुए उसके पक्ष में श्रीमान तहसीलदार वैर द्वारा आदेश पारित किया गया था एवं उक्त आदेश को प्रदर्श–16 के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें यह माना गया कि वादी खसरा नम्बर 823 की एक बीघा 6 बिस्वा भूमि में से पॉच बिस्वा अर्थात् 484 वर्गगज भूमि पर नियमन करवाने का अधिकारी है एवं वादी मनोहरलाल के हक में सनद जारी किये जाने के आदेश भी उक्त निर्णय में दिये गये थे। जिसके आधार पर वादी को सनद भी जारी कर दी गई। वादी ने यह कथन किया कि उक्त विवादित प्लॉट पर एक कच्चा घर बना हुआ है जो कि बर्षात् में क्षतिग्रस्त हो गया एवं बाद में प्रतिवादीगण ने उसके बचे कुचे हिस्से को तोड़ लिया एवं वादी के हिस्से में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वादी के मना करने पर भी उसे धमकी दी गई कि उसके प्लॉट पर प्रतिवादीगण कब्जा करेंगे। अपने इन कथनों के समर्थन में स्वयं न्यायालय के समक्ष पी डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं जिरह में कथन किया कि सनद प्रदर्श–11 पेश की है, वह हलैना की है एवं खसरा नम्बर 823 है। उसमें नया गॉव माफी गलत लिखा लिखा है। विवादित जमीन में कुछ नहीं बना हुआ है। खाली जगह है। परन्तु अब विवादित जगह पर दुकानें बना दी है जो स्टे के बाद बनाई है। पूर्व तरफ में पीडब्ल्यूडी के क्वाटर व उसी साईड में खसरा नम्बर 821 मौजूद है। इस सुझाव को गलत बताया कि दुकानें खसरा नम्बर 821 में बनी हों, जिन्हें राजकुमार ने बनवाया हो। अपितु दुकानें 823 में ही बनी हुई हैं। इस सुझाव को गलत बताया कि खसरा नम्बर 823 में सड़क बनी हुई हैं। पट्टा गैतवाडा का होना बताया। वादी के समर्थन में परीक्षित हुए गवाह पी डब्ल्यू–2 दिनेश चन्द सिंघल ने नक्शा प्रदर्श–4 को वादी की हिदायत से बनाना पुष्ट किया। जिरह में कथन किया कि वह मौके पर गया था। मनोहरलाल के कहे अनुसार विवादित स्थल दर्शाया है।

11– गवाह पी डब्ल्यू–3 चन्द्रशेखर तिवाडी ने नोटिस प्रदर्श–7, मौका रिपोर्ट प्रदर्श–5 व नक्शा प्रदर्श–6 की पुष्टि न्यायालय के समक्ष की व जिरह में बताया कि दोनों पक्षों को विधिवत् नोटिस देकर वह मौका देखने गया था। विवादित स्थल के चारों तरफ दिशायें अपनी रिपोर्ट व नक्शा में प्रदर्शित की है जिसे मौके पर तैयार किया था।

12– गवाह पी डब्ल्यू–4 पदमेश शर्मा ने मौका रिपोर्ट प्रदर्श–8 व नजरी नक्शा प्रदर्श–9 की पुष्टि की। जिरह में कथन किया कि विवादित खसरे का नक्शा बनाया था। जिसके नम्बर बयान देते समय याद नहीं। वैर से हलैना सड़क कौनसे खसरे में बनी है, नहीं बता सकता। मौके पर निर्माण किसका हो रहा था, नहीं पूछा।

13– गवाह पी डब्ल्यू–5 भगवानसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में विवादित जायदाद 50X87 फुट के प्लॉट पर मनोहरलाल का कब्जा होना बताया व प्रतिवादीगण से इसका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होना बताया। जिरह में कथन किया कि झगडा किस नम्बर पर है, उसे नहीं पता। शपथ–पत्र की मद संख्या–2,3 में क्या लिखा है, उसे नहीं पता।

14– खण्डनस्वरूप प्रतिवादीगण का मुख्य रूप से कथन रहा है कि वादी को जिस भूमि की सनद प्रदर्श–11 जारी की गई है, वह वास्तव में हलैना गॉव में स्थित न होकर नया गॉव माफी में स्थित है, जैसा कि सनद में अंकित है। परन्तु वादी जबरन खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना पर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादीगण के अनुसार जो निर्माण वादी खसरा नम्बर 823 में करना बताता है, वह वास्तव में प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 821 में करवाया है जो कि प्रतिवादीगण की ही कब्जा की भूमि है। जिसके कुछ हिस्से का रूपान्तरण करवाकर वह निर्माण करवाया गया है। वादी का उक्त निर्माण से कोई सरोकार नहीं है। उसके पश्चात् भी वह जबरन रास्ता आम की भूमि को अपनी बताते हुए खसरा नम्बर 821 के निर्माण बाबत् यह आपत्ति लेकर आया है कि प्रतिवादी राजकुमार डी डब्ल्यू–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ एवं अपने मुख्य परीक्षा के शपथ–पत्र में जबावदावे के कथनों को दोहराया है व वादी का विवादित भूमि पर कोई लोकस स्टण्डाई नहीं होना बताया। जिरह में प्रतिवादी ने कथन किया कि मनोहरलाल ने जो मुकद्मा किया है, उस जगह को वह जानता है। उसके उत्तर में नेशनल हाईवे है तरफ पश्चिम में वैर हलैना रोड है व पूर्व में प्रतिवादीगण की खातेदारी की जमीन है। प्रतिवादी के अनुसार खसरा नम्बर 821 में उसके खातेदारी का 1/6 हिस्सा है, जिसमें अब प्रतिवादी व उसकी मॉ 1/12–1/12 की हिस्सेदार हैं व इसी तरफ पीडब्ल्यूडी का जीर्ण–शीर्ण क्वाटर होना बताया। दक्षिण में रास्ता होना बताया फिर स्वंय की ही खातेदारी की खसरा नम्बर 821 की भूमि बताया है। विवादित जगह की लम्बाई चौडाई नहीं बता पाने का कथन किया। नक्शा के बारे में नहीं समझना बताया। साथ ही कथन किया कि खसरा नम्बर 823 जो गॉव हलैना में स्थित है, से उसका कोई सरोकार नहीं है। प्रदर्श–11 सनद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विवादित जायदाद हलैना में ही होना बताया। खसरा नम्बर 823 दो बीघा 6 बिस्वा का होना बताया, जिसमें से वैर हलैना सड़क निकलना बताया। इस सुझाव को गलत बताया कि यह एक बीघा 6 बिस्वा की नहीं हो। इसमें से पॉच बिस्वा मनोहर को अलॉट होना गलत बताया। विवादित जायदाद में अपनी दुकानें होना बताया जो 15 वर्ष पूर्व से बनी होना बताया। उनके द्वारा कितने हिस्से का कनवर्जन करवाया, पता नहीं होने का कथन किया। प्रदर्श ए–4 में अपने व वादी के हस्ताक्षर नहीं होने का कथन किया। प्रदर्श–11 से स्वयं का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होना बताया व इसकी अपील नहीं करने का कथन किया। गवाह डी डब्ल्यू–4 ने विवादित जायदाद खसरा नम्बर 821 का रकबा होना बताया व राजकुमार वगैरा द्वारा इसमें दुकान का निर्माण करना बताया व कथन किया कि मनोहरलाल का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिरह में गवाह ने कथन किया कि वह विवादित प्लॉट की लम्बाई चौडाई नहीं बता सकता। परन्तु इसके उत्तर में नेशनल हाईवे पश्चिम में वैर हलैना सड़क पूर्व में रामेश्वर वगैरा के खेत व पीडब्ल्यूडी का क्वाटर तथा दक्षिण में रास्ता आम होना बताया। यह पता नहीं होने का कथन किया कि विवादित जायदाद की सनद मनोहर के नाम जारी हुई हो। रास्ते में पीडब्ल्यूडी वाले खेतों के नम्बर नहीं जानने का कथन किया। विवादित स्थल पर दुकानें 4–5 साल से बनी हुई होना बताया। दुकानों वाली जगह पर पहले राजू का खेत होना बताया। फिर कथन किया कि खेत के पीछे राजू का खेत है। खेतों के खसरा नम्बर पता नहीं होने का कथन किया। गवाह डी डब्ल्यू–3 रघुपतिराम ने भी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 821 का रकबा होना बताया व इस पर प्रतिवादी राजकुमार की दुकानें होना बताया। जिरह

में कथन किया कि राजकुमार के नाम कितनी खातेदारी है, उसे नहीं पता। विवादित दुकान 40–50 फुट में होना बताया तथा चौडाई 15–16 फुट होना बताया। गवाह डी डब्ल्यू–8 ताराचन्द ने भी विवादित भूमि खसरा नम्बर 821 है व उसमें राजकुमार की दुकानें होना बताया। जिरह में कथन किया कि उसे बयान देने राजू लेकर आया है। खसरा नम्बर 821 के पास कौन–कौन से खसरे हैं, उसे नहीं पता। खसरा नम्बर 823 में कितना बीघा है, उसे नहीं पता। खसरा नम्बर 821 का विभाजन नहीं होना बताया। गवाह डी डब्ल्यू–5 ईश्वरचन्द ने भी विवादग्रस्त स्थान पर प्रतिवादी राजकुमार की दुकान होना बताया व वादी मनोहरलाल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होने का कथन किया। जिरह में गवाह ने कथन किया कि खसरा नम्बर 821 कितने बीघा का है, उसे नहीं पता। उसके शपथ–पत्र में कितनी मदें हैं, उसे नहीं पता। खसरा नम्बर 821 के दक्षिण में स्वयं की जमीन होना बताया जिसका खसरा नम्बर 821 ही होना बताया। खसरा नम्बर 821 व हाईवे के बीच में चैका होना बताया, जिसके खसरा नम्बर पता नहीं होने का कथन किया।

15– दोनों पक्षों की ओर से अपने अभिवचनों के सम्बन्ध में लिखित बहस भी न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसमें मुख्यतः वाद–पत्र के अभिवचनों को ही दोहराया है। वादी पक्ष के अनुसार वे अपनी साक्ष्य से दावे को साबित होना बताते हैं। वहीं प्रतिवादीगण के अनुसार कमजोर साक्ष्य होने से व वादी का लोकस स्टण्डाई नहीं होने से दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

16– दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर विचार किया गया व पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

17– वादी के हक में खसरा नम्बर 823 के सम्बन्ध में सनद जारी होना स्वयं प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जबावदावे में स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण की आपत्ति मुख्य रूप से यह है कि जो खसरा नम्बर 823 की भूमि वादी को आवंटित की गई है, वह ग्राम हलैना में स्थित न होकर ग्राम नया गॉव माफी में स्थित है। प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय का ध्यान प्रदर्श–11 की ओर आकर्षित किया एवं कथन किया कि प्रदर्श–11 में भूमि का जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से तहसील का नाम नया गॉव माफी लिखा गया है। इसके खण्डनस्वरूप वादी का कथन यह है कि उनका कब्जा हमेशा हलैना में स्थित खसरा नम्बर 823 पर ही रहा है एवं यदि प्रदर्श–11 में उल्लखित सीमाओं का अवलोकन किया जाये तो वे वास्तव में हलैना में स्थित खसरा नम्बर से ही मेल खाती हैं एवं सीमाओं के पास में ग्राम हलैना ही अंकित है। नया गॉव माफी होना लिपिकीय त्रुटि बताया। इस बिन्दू पर विचार किया गया व प्रदर्श–11 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह सही है कि प्रदर्श–11 में तहसील का नाम नया गॉव माफी लिखा गया है, परन्तु जिस स्थान पर सीमाओं का उल्लेख किया गया है, वहॉ इस भूमि के पूर्व में पीडब्ल्यूडी के क्वाटर व एक कृषि भूमि वहीं पश्चिम में लिंक रोड़ वैर से हलैना वाली दर्शित की गई। उत्तर में गैर मुमकिन रास्ता व दक्षिण में नेशनल हाईवे 11 होना दर्शित किया गया है जिससे यह जाहिर हो रहा है कि इस भूमि के जो आसे–पासे दिए गये है, वह नक्शा प्रदर्श–4 से मेल खाते है। सनद की पैमाईश नक्शा प्रदर्श–4 से मेल खाने

से यह जाहिर हो रहा है कि यह भूमि वास्तव में हलैना में स्थित है। इसमें हुई लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में कोई अपील या शिकायत प्रतिवादीगण की ओर से सक्षम प्राधिकारी को की गई हो, ऐसा कहीं उल्लखित नहीं है। जबकि प्रतिवादीगण इसे फर्जकारी होना बताते हैं, परन्तु इस फर्जकारी के सम्बन्ध में उनकी ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। अपितु प्रतिवादीगण का यह पक्ष अपनी साक्ष्य में रहा है कि उनका खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना से कोई सरोकार नहीं है। अपितु वे खसरा नम्बर 821 में ही अपना निर्माण करवा रहे हैं। वादी के पक्ष में दिनांक 09–12–1994 में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार वैर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसकी कोई अपील की गई हो, अथवा उक्त आदेश निष्प्रभावी हो गया हो, यह भी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से साबित नहीं किया गया है। हालांकि प्रतिवादीगण का यह तर्क अवश्य रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गैरमुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। परन्तु यह बिन्दू इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है व दिनांक 09–12–1994 को सक्षम न्यायालय द्वारा वादी मनोहरलाल के हक में आदेश पारित किया गया कि खसरा नम्बर 823 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम हलैना तहसील वैर की 5 बिस्वा अर्थात् 484 वर्गगज की भूमि पर 1970 से पूर्व से वादी का जो अनाधिकृत निर्माण किया हुआ है, उसका नियमन किया जाता है एवं इस आदेश प्रदर्श–16 के आधार पर ही सनद प्रदर्श–11 जारी की गई है, जिससे यह जाहिर हो रहा है कि वादी को ग्राम हलैना में स्थित खसरा नम्बर 823 की भूमि से ही 5 बिस्वा भूमि न्यायालय तहसीलदार वैर द्वारा आवंटित की गई है। इसका खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया जा सका है। अतः प्रतिवादीगण का यह कथन कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादी को लोकस स्टण्डाई प्राप्त नहीं है, माने जाने योग्य नहीं है।

18– जहॉ तक प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य किये जाने का प्रश्न है तो वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस बात की पुष्टि की है कि प्रतिवादीगण द्व ारा अपनी खसरा नम्बर 821 की भूमि को छोडकर वादी की खसरा नम्बर 823 की भूमि में जबरन निर्माण किया जा रहा है एवं यह बिन्दू वादी की जिरह में अखण्डनीय रहा है। यदि इस सम्बन्ध में स्वयं प्रतिवादी राजकुमार डी डब्ल्यू–1 की जिरह का अवलोकन किया जाये तो जब प्रतिवादी से विवादित भूमि के आसेपासे पूछा गया तो प्रतिवादी ने विवादित भूमि के पूर्व में स्वयं की भूमि होना बताया एवं विवादित भूमि में 15 वर्ष पूर्व से अपनी दुकानें स्थित होना बताया। यहॉ विचारणीय है कि जब विवादित भूमि के पूर्व में प्रतिवादी की भूमि स्थित है तो उसके द्वारा विवादित भूमि में निर्माण किस हक से करवाया गया, यह प्रतिवादी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी के गवाह डी डब्ल्यू–2 बाबूलाल ने भी विवादित भूमि के पूर्व में रामेश्वर वगैरा का खेत होना बताया व पीडब्ल्यूडी के क्वाटर होना बताया व इस भूमि के पास ही स्वयं की जायदाद होना भी बताया। विवादित जगह में 4–5 साल से दुकानें बनी हुई होना यह गवाह बताता है जो राजकुमार द्वारा बनवाना बता रहा है। ऐसे में यह दर्शित हो रहा है कि विवादित भूमि के पूर्व में प्रतिवादीगण का खेत स्थित है। परन्तु उनके द्वारा निर्माण विवादित स्थल पर करवाया गया है। यहॉ यह भी विचारणीय है कि प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 821 की भूमि स्वयं के अधिकार की तो होना बताते हैं, परन्तु यह भूमि कितने बीघा की है इसका कोई उल्लेख जबावदावे में नहीं किया गया है जिससे न्यायालय के

समक्ष यह स्पष्ट ही नहीं है कि खसरा नम्बर 821 की भूमि का वास्तविक नाप क्या है एवं प्रतिवादीगण कितनी भूमि पर काबिज रहने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा इस तथ्य को छुपाने से यह जाहिर हो रहा है कि वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। चूँकि 9न ही तो अपने अभिवचनों में, न ही साक्ष्य में प्रतिवादीगण द्व ारा इस बिन्दू को स्पष्ट किया गया है। जो मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में पेश की है उन सभी का खण्डन जिरह में वादी पक्ष की ओर से करवाया गया है। सभी गवाह खसरे की जानकारी व उसकी नाप का पता होने से इन्कार करते हैं। सन् 2015 में तहसील वैर द्वारा प्रदर्श–14 के अनुसार वादी के पक्ष में विवादित भूमि का नामान्तरण किये जाने के आदेश भी दिये गये थे, जिस बाबत् वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रदर्श–15 पेश किया गया । इस स्तर पर प्रतिवादी का कोई काउण्टर दावा न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं है जिससे न्यायालय यह निर्धारित करने हेतु बाध्य नहीं है कि खसरा नम्बर 823 की भूमि नियमानुसार वादी को आवंटित की गई या नहीं।

19– न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उससे यह जाहिर है कि वादी को खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना की 5 बिस्वा भूमि की सनद जारी की गई थी एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किये जाने का कथन वादी ने किया है जिसकी पुष्टि स्वयं प्रतिवादी डी डब्ल्यू–1 राजकुमार व उसके गवाहान् डी डब्ल्यू–2 बाबूलाल के बयानों से हो रही है। चूँकि दोनों ही गवाहान् ने विवादित स्थल के पूर्व में प्रतिवादी का खेत होना जाहिर किया है एवं निर्माण विवादित स्थल में होना जाहिर किया है प्रतिवादीगण यह कथन तो कर रहे हैं कि उन्होंने अपने खेत की कुछ भूमि का रूपान्तरण करवाया है व उस पर निर्माण किया है, परन्तु कितनी भूमि का रूपान्तरण करवाया, यह स्पष्ट नहीं किया व ना ही कोई रूपान्तरण आदेश न्यायालय के समक्ष पेश किया एवं इस बिन्दू को भी स्पष्ट नहीं किया कि जब विवादित स्थल के पूर्व में उनका खेत मौजूद है तो विवादित स्थल में किस आधार पर उनके द्वारा निर्माण किया गया। अतः न्यायालय की राय में वादी पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि उसके हक में आवंटित की गई खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना तहसील वैर की 5 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन दुकानों का निर्माण किया गया एवं वादी के आधिपत्य व स्वामित्व में दखलन्दाजी की जा रही है। वादी को दिनांक 06–07–2002 को वादकारण उत्पन्न होने की पुष्टि वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में की गई है। जिसका खण्डन भी प्रतिवादी पक्ष नहीं करवा पाया है। ऐसे में न्यायालय की राय में वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है। विवाद्यक संख्या–1 व 3 वादी के पक्ष में तय किया जाता है वहीं विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u>

20– इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इस सम्बन्ध में कथन किया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना की भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन निर्माण किया है जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है जिसे वादी प्रतिवादीगण के खर्चे पर तुडवाने का अनुतोष न्यायालय

से चाहता है।

21– प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में कथन किया कि निर्माण उनके द्वारा खसरा नम्बर 821 में किया गया है जो कि करीब 10–15 साल पूर्व से किया हुआ है। वादी को उक्त खसरा नम्बर में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध वादी तय किये जाने का निवेदन किया।

22– दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवाद्यकों के विवेचनानुसार वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि उसे खसरा नम्बर 823 ग्राम हलैना की 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिसकी सनद प्रदर्श–11 है एवं इस भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाये जाने की पुष्टि स्वयं प्रतिवादी डी डब्ल्यू–1 राजकुमार व उसके गवाहान् डी डब्ल्यू–2 बाबूलाल की जिरह से हो रही है। ये दोनों ही गवाह विवादित स्थल पर निर्माण होना स्वीकार करते हैं। यदि इस सम्बन्ध में नक्शा प्रदर्श–9 का अवलोकन किया जाये तो यह नक्शा गवाह पी डब्ल्यू–4 पदमेश शर्मा द्वारा कसीद किया गया था एवं इस नक्शा में जो आसेपासे दर्ज किये गये हैं उसके भी पूर्व में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस एवं प्रतिवादी राजकुमार का खेत होना दर्शित किया गया है अर्थात् इस नक्शा के अनुसार भी विवादित स्थल के पूर्व में वादी का खेत था। जबकि निर्माण विवादित स्थल पर पाया गया जिससे जाहिर हो रहा है कि उक्त निर्माण विवादित स्थल पर किया गया था जो प्रतिवादीगण के खेत की भूमि से भिन्न है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया जा सका। यहॉ तक कि तो प्रतिवादीगण द्वारा अपने आधिपत्य की भूमि की नाप भी जबावदावे में अंकित की गई, न ही यह कथन किया गया कि उनके द्वारा किस नाप की व कितनी दुकानें बनाई गई है जिससे प्रतिवादीगण का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आना दर्शित होता है। अतः न्यायालय के विचार में वादी उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 823 के अपने 5 बिस्वा हिस्से पर किये गये अवैध निर्माण को तुडवाने का अधिकारी है। अतः यह विवाद्यक वादी के पक्ष में एवं विरूद्ध प्रतिवादीगण तय किया जाता है।

अ नु तो ष

23– चूॅकि विवाद्यक संख्या–1, 2 व 3 वादी के पक्ष में विनिश्चित किये गये हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

– :: आ दे श :: –

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं मैण्डेटरी इन्जक्शन स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी को खसरा नम्बर 823 वाके ग्राम हलैना तहसील वैर में से आवंटित 5 बिस्वा अर्थात् 484 वर्गगज

भूमि जिसके तरफ पूर्व क्वाटर पीडब्ल्यूडी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 821 रणधीरसिंह आदि पैमाईश प्लॉट 87 फुट 2 इन्च, तरफ पश्चिम जमीन पटरी सडक व हलैना से वैर सड़क पैमाईश प्लॉट 87 फुट 2 इन्च, तरफ उत्तर जमीन चैका सड़क, ट्रांसफार्मर बिजली पैमाइश प्लॉट 50 फुट तथा तरफ दक्षिण पुख्ता घेर रणधीरसिंह वगैरा जमीन गैरमुमकिन रास्ता पैमाईश प्लॉट 50 फुट स्थित है, में वादी के उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व व आधिपत्य में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें साथ ही उक्त भूमि में किये गये अपने अवैध निर्माण को दो माह में स्वयं के खर्चे पर तुडवायें।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मिनाक्षी मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश
वैर।